बीकानेर के नवोद्य विद्यालय के विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का अध्ययन

गरीमा जोशी[1] व एन आर शर्मा[2]
[1]ज्यानकी देवी टी.टी. कॉलेज, डूंगरा, झून्झनू, राजस्थान।
[2]ग्रामोत्थान विद्यापीठ शिक्षा महाविद्यालय, संगरिया, हनुमानगढ राजस्थान।

प्रस्तावना

शिक्षा का अभिप्राय बालक का सर्वागीण विकास करना है । इसका आंतिम लक्ष्य बालक के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना है । आईजनेक (1950) के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के चरित्र, चित्त, प्रकृति एवं शारीरिक गठन का लगभग एक स्थायी और टिकाऊ संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है ।

बालकों की अकादमिक सफलता कई प्रकार के मनोवैज्ञानिक समाजशास्त्रीय तथा पर्यावरणीय तथ्यों पर निर्भर होती है जो कि बालक की अध्ययन प्रक्रिया के साथ अन्तंक्रिया करते हैं ।

शोध की आवश्यकता

कक्षा में सभी प्रकार के विद्यार्थी अध्ययन करते है तथा उन्हे समान कक्षागत वातावरण प्राप्त होता है । अध्यापक उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं को मद्देनजर रखते हुए उपयुक्त शिक्षण पद्धति का प्रयोग कर सभी को लाभान्वित करने का अथक प्रयास करता है फिर भी परीक्षा में उनकी शैक्षिक उपलब्धि भिन्न–भिन्न पाई जाती है । शोधकर्ता स्वयं अध्यापिका है तथा शिक्षा स्नातक स्तर पर उसने शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करने वाले चरों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया है और अध्यापन के दौरान यह व्यवहारिक रूप से भी अनुभव किया है कि शैक्षिक उपलब्धि को अनेकों घटक (चर) प्रभावित करते है, उनमें मुख्य रूप से विद्यार्थियों की बुद्धि, उनका सामाजिक आर्थिक स्तर, अन्तर्मुखी–बहुर्मुखी व्यक्तित्व, दृश्चिन्ता, तनाव, कुण्ठा, स्मृति, सृजनात्मकता, अध्ययन इच्छा तथा कक्षागत एवं पारिवारीक वातावरण इत्यादि।

शोध कथन

अध्ययन नावोदय विद्यालयों के शिक्षार्थियों पर इसलिए किया गया क्योंकि इन विद्यालयों में प्रवेश पूर्व परीक्षा का आयोजन कर होता हे । इस परीक्षा में आये प्राप्ताकों की वरियता के आधार पर कक्षा 6 में ही प्रवेश प्रदान किया जाता है । ये विद्यालय सह–शिक्षा प्रकार के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित आवासीय होते हैं तथा इन विद्यालयों में केवल 25 प्रतिशत विक्षार्थी शहरी क्षेत्र के होते हैं।

शोध परिसीमन

1–प्रस्तुत शोध बीकानेर जिले में श्री डूगरगढ व गजनेर में स्थित नवोदय विद्यालयों तक सीमित रखा गया है ।
2–शोध को 250 विद्यार्थियों तक सीमित रखा गया है ।
3– शोध में 150 छात्र व 100 छात्राओं को ही सम्मिलित किया गया है ।

शोध उपकरण

शोधकर्त्री ने शोध में डॉ. आर.ए.सिंह द्वारा निर्मित अन्तर्मुखी, बहिर्मुखी, परीक्षण का उपयोग व्यक्तित्व मापन के लिए किया है ।

दतों का संकलन

शोधकर्त्री बीकानेर जिल से न्यादर्ष में चयन किये गये छात्र एवं छात्राओं के विद्यालय में बारी–बारी से उपस्थित होकर व्यक्तित्व परीक्षण का प्रशासन करने हेतु संस्था प्रधानों से अनुमती प्राप्त की । सबसे पहले बीकानेर क्षेत्र में गजनेर स्थित नवोदय विद्यालय से लिये गये न्यादर्ष पर व्यक्तित्व परीक्षण को प्रशासित करने का निर्णय लिया। विद्यार्थियों को परीक्षण लेने उद्देश्यों से अवगत कराते हुए परीक्षण पर छपे हुए निर्देशें को पढकर सुनाया । तदुपरान्त उन्हे यह भी निर्देश दिये कि सभी प्रश्नो के उत्तर देने है ंपरीक्षण से एक–दो कथनो को लेते हुए उदाहरण स्वरूप उनके उत्तर लिखने के तरीके को स्पष्ट किया । उत्तर लिखने की विधि समझ लेने के पश्चात उनको परीक्षण हल करने के लिए निर्देशित किया । निर्धारित अवधि पूर्ण होने के पश्चात उत्तर पत्रकों को संकलित कर लिया गया । सही प्रक्रिया फिर से बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ में स्थित नवोदय विद्यालयों में भी अपनाई गई ।

बीकानेर क्षेत्र के छात्र छात्राओ द्वारा भरे गये परीक्षणों का व्यक्तित्व परीक्षण के मैन्युअल में बताई गई अंकन विधि से अंकन किया गया जिन्हे परिशिष्ट में क्षेत्रवार तथा लिंगार संलग्न किया गया है । इन्ही विद्यार्थियों के सामने दूसरे कॉलम में उनके शैक्षिक उपलब्धि के प्राप्तांक अकिंत कर दिये । छात्र तथा छात्राओं के व्यक्तित्व प्राप्ताकों तथा उपलब्धि प्राप्ताकों को

सारणीबद्ध करते हुए उनका सतत आवृति बंटन तैयार किया गया है जो निम्नानुसार है –

व्यक्तित्व प्राप्ताकों की अवतियां एवं संचयी आवृतियां बवतम	**Frequency**	**Cummulative Frequency**
70.90	1	1
90.110	4	5
110.130	5	10
130.150	23	33
150.170	20	53
170.190	36	89
190.210	25	114
210.230	10	124
230.250	14	138
250.270	37	175
270.290	45	220
290.310	30	250

सह–सम्बन्ध का अध्ययन

शोध का प्रथम उद्देश्य व्यक्तित्व प्रकार तथा शैक्षिक उपलब्धि के बीच सह–सम्बन्ध का अध्ययन करना रखा गया । इस उद्देश्य के लिए शोधकर्त्री ने समग्र विद्यार्थियों के व्यक्तित्व तथा शक्षिक उपलब्धि, अन्तर्मुखी, बहिर्मुखी के व्यक्तित्व व शैक्षिक उपलब्धि के बीच सह–सम्बन्ध गुणांक, छात्र तथा छात्राओं के पृथक–पृथक व्यक्तित्व व शैक्षिक उपलब्धि के बीच सह–सम्बन्ध गुणांक तथा अन्तर्मुखी छात्र व छात्राओं के शैक्षिक उपलब्धि के बीच सह–सम्बन्ध गुणांकों की गैणनां की गई जिन्हे निम्न सारणी संख्या 1 द्वारा प्रदर्शित कर उनकी व्याख्या की गई है ।

सारणी संख्या 1

व्यक्तित्व प्राप्ताकों तथा शैक्षिक उपलब्धि प्राप्तांको के मध्य सह–सम्बन्ध गुणांक व्यक्तित्व तथा उसके प्रकार	**सह–सम्बन्ध गुणांक**
समग्र व्यक्तित्व	+ 0.133
अर्न्तमुखी व्यक्तित्व	+ 0.082
बहिर्मुखी व्यक्तित्व	+ 0319
समग्र छात्र समग्र व्यक्तित्व	+ 0.170
समग्र छात्रा समग्र व्यक्तित्व	+ 0.118
अन्तर्मुखी छात्र	+ 0.293
बहिर्मुखी छात्र	+ 0.256
अर्न्तमुखी छात्रा	+ 0.184
बहिर्मुखी छात्रा	+ 0.344

सारणी का अवलोकन करने से विदित होता है कि सभी प्रकार के छात्र–छात्राओं के संयुक्त रूप में वयक्तित्व प्राप्तांकों तथा व्यक्तित्व प्रकार प्राप्तांकों और छात्र और छात्राओं के पृथम–पृथक व्यक्तित्व प्राप्ताको और उपलब्धि के बीच घनात्मक सह–सम्बन्ध पाया गया है । ये सह–सम्बन्ध गुणांक निम्न स्तर के सह सम्बन्ध को इंगित करता हे । निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि व्यक्तितव एवं उसके प्रकार एवं लिंगाचार विद्यार्थियों के व्यक्तित्व प्रकारों एवं उनकी शैक्षिक उपलब्धि के मध्य निम्न मात्रा का सह–सम्बन्ध होता है।

निष्कर्ष

व्यक्तित्व प्रकार का शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव 0.05 सार्थकता स्तर पर आसार्थक पाया गया । इसका एक कारण उपलब्धि तथा व्यक्तित्व के मध्य न्यून मात्रा का सह–सम्बन्ध पाया जाना है । प्रभाव सार्थक न आना तथा न्यून मात्रा का घनात्मक सह–सम्बध प्राप्त होने का प्रभावित कारण जवाहर नवोद्य विद्यालयों में पूर्व प्रवेश परीक्षा के आधार पर सभी दृष्टिकोण से अच्छे विद्यार्थियों का प्रवेश हेाना है । दूसरा सम्भावित कारण इन विद्यालयों में शिक्षिकों की प्रारम्भिक नियुक्ति भी

साक्षात्कार के आधार पर उनके सम्पूर्ण योग्यता व शिक्षण अभिवृति जानने के बाद की जाती है । ऐसे अध्यापकों द्वारा सम्भवतः कक्षा कक्ष अध्यापन सभी विद्यार्थियों की वैयक्तित्व भिन्नताओं को ध्याने मे रखते हुए किया जाना हो सकता है ।

संदर्भ सूची

1. Ahluwalia S.P. & Sidhu, N(1969): A study of personal problems of some adoleacent girls and their effect on academic achievement. Journal of Psychological Research 13(1) 56-57
2. Bower, E.M.and Holmes, J(1958): Emotional factors and academic achievement Review of Eductional Research 29. 529-544
3. Pandey, R.P. and Singh, R.A.(1978): A correlation sutdy of school examination mark intelligence and achievement scores. Asian Journal of Psychology and Education, 3(3_ (6-8
4. Verma B.P.,(1991) : A study of the Relationship of Cognitive Stule with Anxiety and Acadeic Achievement Journl of Education and Psychology, Vol.48, No.3 & 4, 156-161

बारेला जनजातीय महिलाओं के स्वरोजगार में स्वयं सहायता समूह की भूमिका

मोसम्बी सेनानी
अर्थशास्त्र, विभाग, डॉ० बी० आर० अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, डॉ० अम्बेडकर नगर (महू), इन्दौर, म० प्र०

शोध सारांश

प्रस्तुत शोध अध्ययन में बारेला जनजातीय महिलाओं के स्वरोजगार में स्वयं सहायता समूह की भूमिका से संबंधित है। जिसके लिए मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले की चयनित तहसील पानसेमल, निवाली एवं सेन्धवा तहसील से स्वयं सहायता समूह की सदस्य बारेला अनुसूचित जनजातीय महिला उत्तरदाताओं का चयन किया गया है। बारेला जनजातीय महिलाओं के स्वरोजगार में स्वयं सहायता समूह की भूमिका के अध्ययन हेतु चयनित किया गया है। ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत संचालित की जा रही स्वयं सहायता समूह योजना एक समान सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाली महिलाओं का एक संगठित समूह होता है। आज यह योजना ग्रामीण आदिवासी महिलाओं के लिए अहम साबित हुई है। बारेला जनजातीय महिलाएँ स्वयं सहायता समूह योजना से जुड़ कर समूह के माध्यम से स्वयं का छोटा मोटा स्वरोजगार स्थापित कर संचालित कर रही है, जिससे उनकी आय में भी वद्धि हुई है, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति व इनकी ही नही बल्कि वे परिवार की आर्थिक स्थिति में भी सुधार ला रही है, जिससे बारेला आदिवासी महिलाओं का परिवार व समाज में सम्मान बढ़ा है। शोधार्थी द्वारा इस विषय को चयन करने का कारण यह था कि बारेला आदिवासी महिलाओं की वास्तविक स्थिति को जान पाए। दैव निदर्शन विधि के आधार से प्राथमिक एवं द्वितीयक समंकों का संकलन किया गया। इससे बारेला आदिवासी महिलाओं की स्वयं सहायता समूह की सदस्यता प्राप्त करने से स्वरोजगार स्थापित करने में आसानी हुई तथा स्वरोजगार से इनकी मासिक व वार्षिक आय में बढ़ोत्तरी हुई। सरकार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत गरीब परिवार की महिलाओं को जोड़ा जाना चाहिए।

मुख्य शब्द *: बारेला आदिवासी महिलाएँ, स्वरोजगार, सेल्प हेल्प ग्रुप योजना, आमदनी ।*

प्रस्तावना

किसी गाँव या क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति के अध्ययन से ही वहाँ के विकास का पता चल जाता है। जिस क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक, पिछड़ापन, गरीबी आदि समस्या पायी जाती है। उस क्षेत्र का विकास का स्तर भी नीचे ही होता है। बारेला आदिवासी के अधिकांश लोग सुदूरवर्ती इलाकों, जंगलों, पहाड़ी तथा उच्चे भू–भाग में निवास करते हैं। जिसके परिणामस्वरूप यह जनजातीय लोग काफी पिछड़े हुए हैं,[1] जिससे इनका शिक्षा का स्तर भी काफी कम होता है। इनकी आर्थिक स्थिति पर गौर करे तो आर्थिक स्थिति काफी कमजोर होती है। बारेला जनजातियों की जीवन यापन का मुख्य साधन कृषि मजदूरी है तथा अपनी आजीविका चलाने के लिए खेती पर ही निर्भर रहती है। बारेला आदिवासियों की आर्थिक स्थिति व शिक्षा के अभाव के कारण यह अपना स्वरोजगार भी स्थापित नही कर पाते है, परन्तु वर्तमान में कई योजनाएँ एवं कार्यक्रम सरकार द्वारा संचालित किए जा रहे है, जिसमें दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत चलाई जा रही स्वयं सहायता समूह जो गरीब परिवार, निम्न तबके की बिखरी हुई महिलाओं को संगठित कर 10 से 20 स्त्रियों का समूह बनाया जाता है। यह योजना आज बारेला जनजातीय महिलाओं के जीवन में नई उमंग सवेरा लेकर आयी है। केवल बारेला महिलाएँ ही इस योजना का लाभ नही ले रही है, बल्कि देश के सभी निर्धन परिवार की स्त्रियाँ भी लाभ ले रही है। वर्तमान में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से नारी सशक्त, स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बन रही है। आज महिलाएँ स्वयं का स्वरोजगार स्थापित कर खुद के बल पर खड़ी हो पा रही है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो रही है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत लगभग 64.39 लाख स्वयं सहायता समूह के अंतर्वर्ती में करीब 6.47 करोड़ महिलाओं को लिंक किया जा चुका था। सरकार ने समूह और नारी उद्यमकर्ता की काबिलियत को रेखांकित कर वुमनिया सरकारी–ऑनलाइन बाजार प्लेस अर्थात् जीईएम बनाया है, ताकि उद्यमी महिलाओं को बढ़ावा मिल पाए। ग्रामीण अंचलों को निर्धनता से मुक्त करने के लिए सरकार का प्रयत्न स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। इस लक्ष्य हेतु सरकार के केन्द्र बिन्दु में गाँव की महिलाएँ है।[2]

स्वरोजगार का अर्थ

स्वरोजगार शब्द का अर्थ होता है, स्वयं के लिए रोजगार का सृजन करना। स्वरोजगार शब्द से तात्पर्य को जानने हेतु हमें सबसे पहले स्वरोजगार के 3 हिस्से करने की आवष्यकता है। यह शब्द तीन शब्दों के मेल से बना हुआ है–स्व+रोज+गार। प्रथम है, स्व यानी "स्वयं"...,दूसरा है, रोज जिसका तात्पर्य होता है, प्रत्येक दिन..., तीसरा है, गार जिसका अर्थ होता है, करना। इस तरह स्वरोजगार का तात्पर्य होता है, खुद के द्वारा आरंभ किया गया काम रोजाना करना। जीवन यापन के लिए जब हम किसी काम को स्वयं के द्वारा प्रारंभ कर रोजाना करते हैं तो वह स्वरोजगार कहलाता है। स्वरोजगार शब्द रोजगार का विस्तारित रूप है। जब

कोई भी मनुष्य अपनी जीविका यापन करने के लिए हर दिन काम करता है।[3]

यूरोपीय आयोग के अनुसार

"अपने स्वयं के खाते के लिए एक लाभकारी गतिविधि का पीछा, की स्थिति राष्ट्रीय कानून द्वारा निर्धारित के तहत" : किसी के रूप में एक स्वरोजगार करने वाले व्यक्ति को परिभाषित करता है। इस तरह की गतिविधि के अभ्यास में, व्यक्तिगत तत्व का विशेष महत्त्व होता है और इस तरह के व्यायाम में पेशेवर गतिविधियों की सिद्धि में हमेशा एक बड़ी मात्रा में स्वतंत्रता शामिल होती है।[4]

शोध अध्ययन का उद्देष्य

बारेला जनजातीय महिलाओं के स्वरोजगार में स्वयं सहायता समूह की भूमिका का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि

शोध प्रारूप

शोधार्थी द्वारा शोध अध्ययन हेतु वर्णनात्मक शोध विधि का प्रयोग किया गया है।

शोध अध्ययन का क्षेत्र

प्रस्तुत शोध अध्ययन में मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले की पानसेमल, निवाली एवं सेन्धवा तहसील जिसके अंतर्गत "बारेला अनुसूचित जनजातीय महिलाओं के आर्थिक विकास में स्वयं सहायता समूह की भूमिका" को देखते हुए बड़वानी जिले की पानसेमल, निवाली एवं सेन्धवा तहसील का चयन किया गया है।

शोध अध्ययन का समग्र

प्रस्तुत शोध में बड़वानी जिले की 3 तहसील पानसेमल, निवाली एवं सेन्धवा तहसील के अंतर्गत बारेला अनुसूचित जनजातीय महिलाएँ जो कि इस योजना का लाभ ले रही है, उन महिला हितग्राहियों को अध्ययन के रूप में चुना गया है।

शोध अध्ययन की इकाई

अध्ययन की इकाई के रूप में चयनित बड़वानी जिले की 3 तहसील पानसेमल, निवाली एवं सेन्धवा तहसील के अंतर्गत बारेला अनुसूचित जनजातीय महिला स्वयं सहायता समूह की हितग्राही महिला सदस्यों को सम्मिलित किया गया है।

चयन विधि

प्रस्तुत अध्ययन इकाई के चयन हेतु दैव–निदर्शन विधि की सहायता से अध्ययन क्षेत्र की कुल 9 तहसीलों में से सर्वाधिक बारेला आदिवासी बाहुल्य वाली 3 तहसीलें (पानसेमल, निवाली एवं सेन्धवा) का चयन किया गया है, इनमें से प्रत्येक तहसील से 5–5 ग्राम पंचायतों का चयन दैव–निदर्शन पद्धति द्वारा किया गया है और हर एक पंचायत से कुल गठित स्वयं सहायता समूह में से केवल 4–4 बारेला महिला समूह व प्रत्येक समूह से 5–5 हितग्राही महिला सदस्यों का चयन किया गया है। इस तरह से प्रत्येक तहसील से 100 x 3 = 300 महिला उत्तरदाताओं का चयन किया गया है।

तथ्यों का संकलन

प्रस्तुत शोध कार्य में समंको का संकलन करने में प्राथमिक एवं द्वितीयक स्त्रोत का प्रयोग किया गया है, जो इस प्रकार है –

प्राथमिक स्त्रोत

प्रस्तुत शोध अध्ययन में साक्षात्कार, साक्षात्कार अनुसूची तथा अवलोकन के द्वारा प्राथमिक आँकड़ों का संकलन किया गया है।

द्वितीयक स्त्रोत –

प्रस्तुत शोध अध्ययन में प्रकाशित शोध आलेखों, अप्रकाशित शोध सामग्री, समाचार पत्र–पत्रिकाएँ, इन्टरनेट आदि से द्वितीयक आँकड़ें प्राप्त किये गए है।

यन्त्र एवं तकनीकी उपकरण :–

आँकड़ों के संकलन के लिए साक्षात्कार अनुसूची, अवलोकन विधि, समूह चर्चा, कैमरा आदि का प्रयोग किया गया है।

तथ्यों का विष्लेषण

प्रस्तुत शोध अध्ययन में प्राथमिक तथ्यों का Statistical Package for the Social Sciences (S.P.S.S.), (सामाजिक विज्ञान के लिए सांख्यिकीय पैकेज) के माध्यम से सारणीयन, वर्गीकरण एवं विष्लेषण किया गया है।

तालिका क्रमांक – 1

महिला उत्तरदाताओं के परिवार से स्वरोजगार–रोजगार से जुड़े व्यक्तियों की संख्या संबंधित जानकारी

क्रमांक	विवरण	आवृति	प्रतिशत
1.	एक	227	75०7
2.	दो	41	13०7
3.	तीन	29	9०6
4.	चार से अधिक	3	1०0
	कुल	**300**	**100**

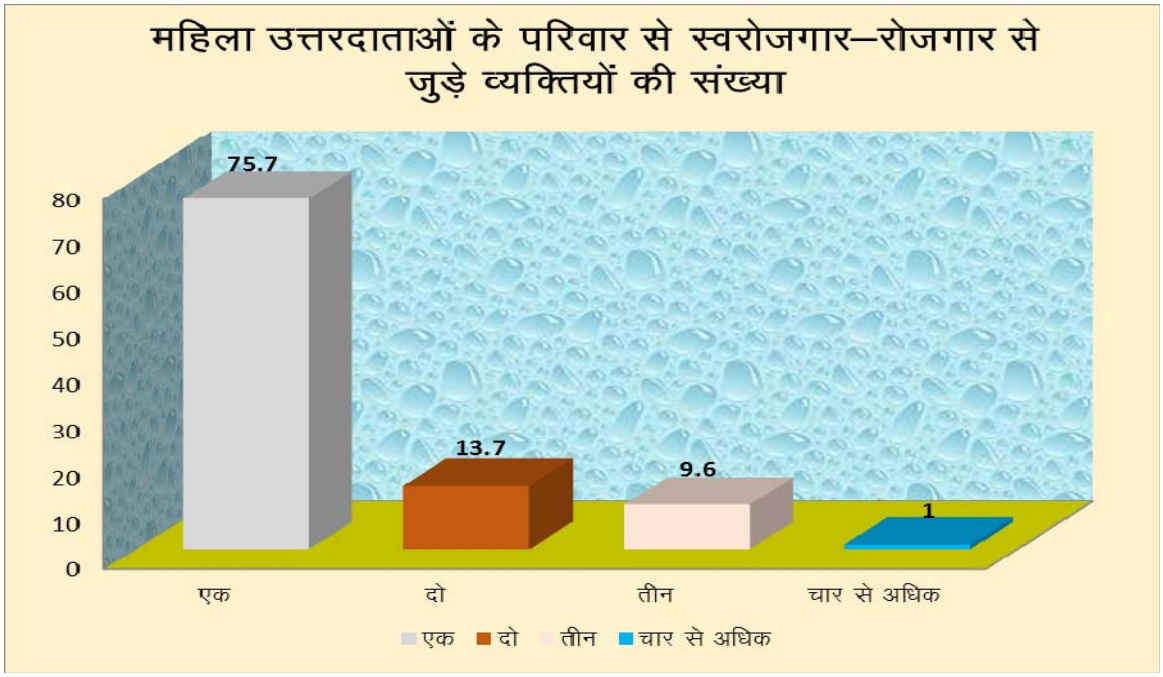

ग्राफ – 1

उक्त तालिका क्रमांक 1 के विवरण के अनुसार पता चलता है कि शोध क्षेत्र के स्वयं सहायता समूह की बारेला जनजाति की कुल 300 उत्तरदाताओं में से 75.7 प्रतिशत हितग्राहियों का कहना है कि उनके परिवार से एक व्यक्ति स्वरोजगार/रोजगार से जुड़ें हुए हैं तथा 13.7 प्रतिशत महिला सदस्यों के अनुसार बताया गया कि उनके परिवार से दो व्यक्ति स्वरोजगार/रोजगार से जुड़ें हुए हैं, वहीं 9.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं के द्वारा बताया गया है कि उनके परिवार से तीन व्यक्ति स्वरोजगार/रोजगार से जुड़ें हुए हैं तथा केवल 1 प्रतिशत महिला हितग्राही का मानना है कि उनके परिवार से 4 से अधिक व्यक्ति स्वरोजगार/रोजगार से जुड़े हुए हैं।

अतः इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि क्षेत्रीय गाँवों में यह योजना बहुत ही प्रभावी रही है। यह योजना जनजातीय महिलाओं के लिए एक नया उमंग लेकर आई है, जिससे महिलाएँ अपना खुद का स्वरोजगार स्थापित कर आत्मनिर्भर होने का सपना पूर्ण कर रही है, जिससे उनका आर्थिक विकास संभव हो रहा है। सर्वाधिक उत्तरदाताओं के परिवारों के सदस्य स्वरोजगार से जुड़े हुए हैं।

तालिका क्रमांक – 2
स्वयं सहायता समूह की सदस्यता के बाद स्थापित स्व–रोजगार संबंधित जानकारी

क्रमांक	विवरण	आवृति	प्रतिशत
1.	पशुपालन	71	23०7
2.	मुर्गीपालन	45	15०0
3.	पापड़/अचार	8	2०7
4.	सिलाई मशीन	42	14०0
5.	किराना दुकान	39	13०0
6.	अगरबत्ती बनाना	15	5०0
7.	सब्जी/मसाले का काम	77	25०7
8.	कपड़ें बेचने का कार्य	3	1०0
	कुल	**300**	**100**

स्त्रोत–व्यक्तिगत सर्वे के आधार पर

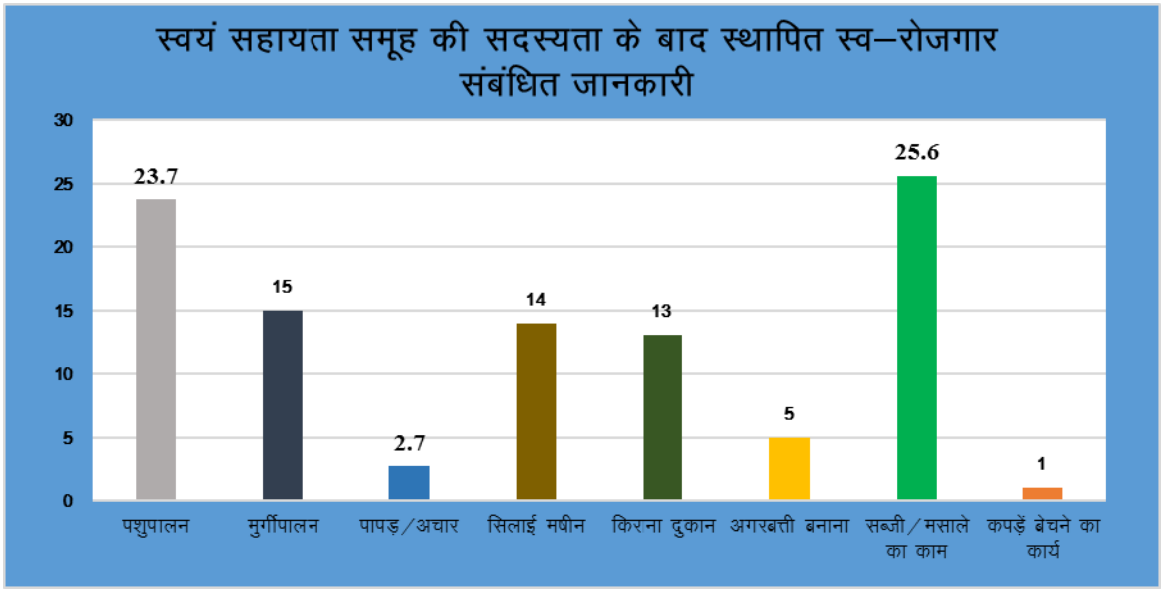

ग्राफ – 2

अध्ययन क्षेत्र की बारेला जनजाति की महिला उत्तरदाताओं का स्वयं सहायता समूह की सदस्यता ग्रहण करने के पश्चात् उनके द्वारा स्थापित स्वरोजगार का विवरण तालिका क्रमांक 2 में दिया गया है, जिससे यह पुष्टि होती है कि 23.7 प्रतिशत महिला सदस्यों ने स्वयं सहायता समूह की सदस्यता प्राप्त करने के बाद पशुपालन का व्यवसाय प्रारंभ किया। 15 प्रतिशत महिला हितग्राहियों के द्वारा कहा गया कि उनके द्वारा सदस्यता प्राप्त करने के पश्चात् मुर्गीपालन का व्यवसाय प्रारंभ किया तथा 2.7 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं ने बताया कि वे पापड़/अचार का व्यवसाय शुरू किया है, वहीं 14 प्रतिशत महिलाओं ने सिलाई मशीन का व्यवसाय प्रारंभ किया। 13 प्रतिशत महिला सदस्यों द्वारा किराना दुकान का व्यवसाय स्थापित किया है और 5 प्रतिशत महिलाओं ने अगरबत्ती बनाने का व्यवसाय स्थापित किया तथा 25.7 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं ने बताया कि वे सब्जी/मसाले का कार्य कर रही है। मात्र 1 प्रतिशत महिला हितग्राहियों ने कपड़ें बेचने का धंधा प्रारंभ किया है।

अतः इससे स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक 25.7 प्रतिशत उत्तरदाता सब्जी/मसाले का कार्य करती हैं। वहीं अन्य सदस्य भिन्न–भिन्न स्वरोजगार–रोजगार में संलग्न होकर आमदनी कमा रही है।

तालिका क्रमांक – 3
महिला उत्तरदाताओं के द्वारा स्थापित स्व–रोजगार से प्राप्त मासिक आमदनी

क्रमांक	विवरण	आवृति	प्रतिशत
1.	500–1000	64	21.3
2.	1000–2000	126	42.0
3.	2000–4000	75	25.0
4.	4000 से अधिक	35	11.7
	कुल	**300**	**100**

स्त्रोत–सर्वेक्षित क्षेत्र आधारित

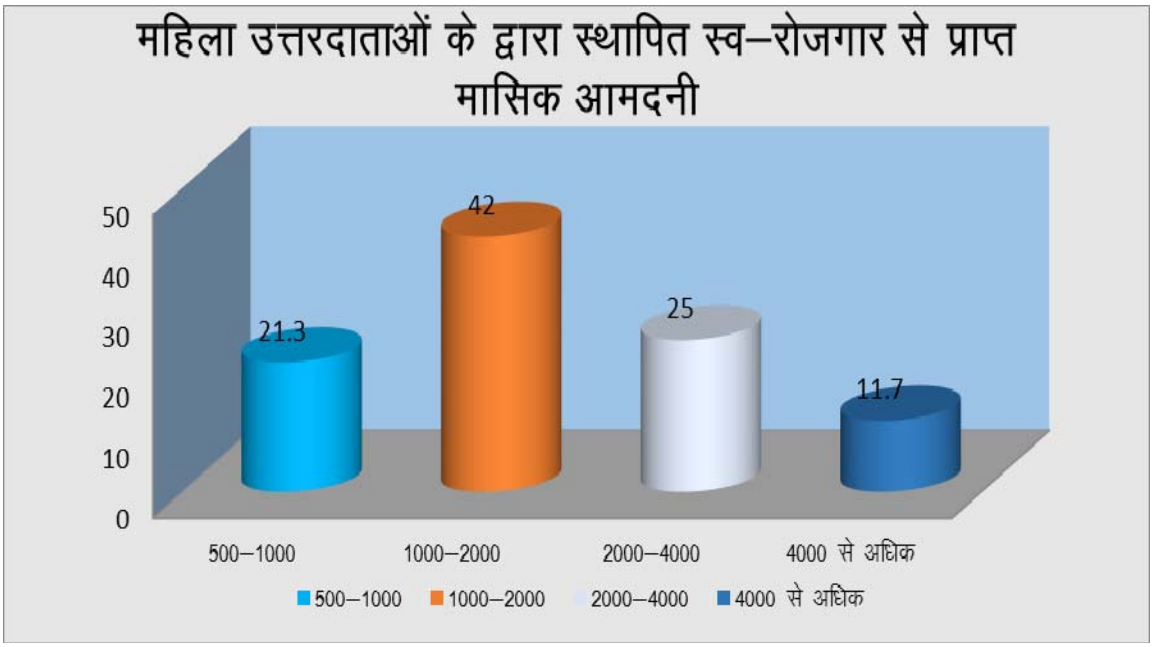

ग्राफ – 3

अध्ययन क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह की सदस्यता प्राप्त करने के पश्चात् बारेला जनजाति की महिला उत्तरदाताओं के आर्थिक विकास में स्वयं सहायता समूह का योगदान सराहनीय है। इस समूह के माध्यम से बारेला जनजाति की महिला उत्तरदाताओं के जीवन जीने के स्तर में बदलाव आया है और उनकी आमदनी में भी वृद्धि हुई है, जो तालिका क्रमांक 3 के विवरण से पुष्टि होती है कि 21.3 प्रतिशत महिला उत्तरदाता स्वयं के स्वरोजगार से 500–1000 के बीच मासिक आमदनी कमा लेती है। 42 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं का मानना है कि उनको अपने स्वरोजगार से 1000–2000 के मध्य मासिक आमदनी मिल जाती है तथा 25 प्रतिशत महिलाओं के द्वारा बताया कि उनको 2000–4000 के मध्य मासिक आमदनी प्राप्त होती है। केवल 11.7 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं ने बताया कि उनको 4000 से अधिक की मासिक आमदनी प्राप्त होती है।

अध्ययन के आधार पर एकत्रित किए गए तथ्यों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सर्वाधिक उत्तरदाता प्रति महीने स्वरोजगार से 1000–2000 के मध्य मासिक आमदनी प्राप्त कर लेती है, जिससे बारेला जनजातीय

स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों के परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।

तालिका क्रमांक – 4

समूह से जुड़ने के बाद स्व–रोजगार स्थापित करने में सरलता संबंधित जानकारी

क्रमांक	विवरण	आवृति	प्रतिशत
1.	हाँ	282	94
2.	नही	18	6
	कुल	**300**	**100**

स्त्रोत–सर्वेक्षित क्षेत्र आधारित

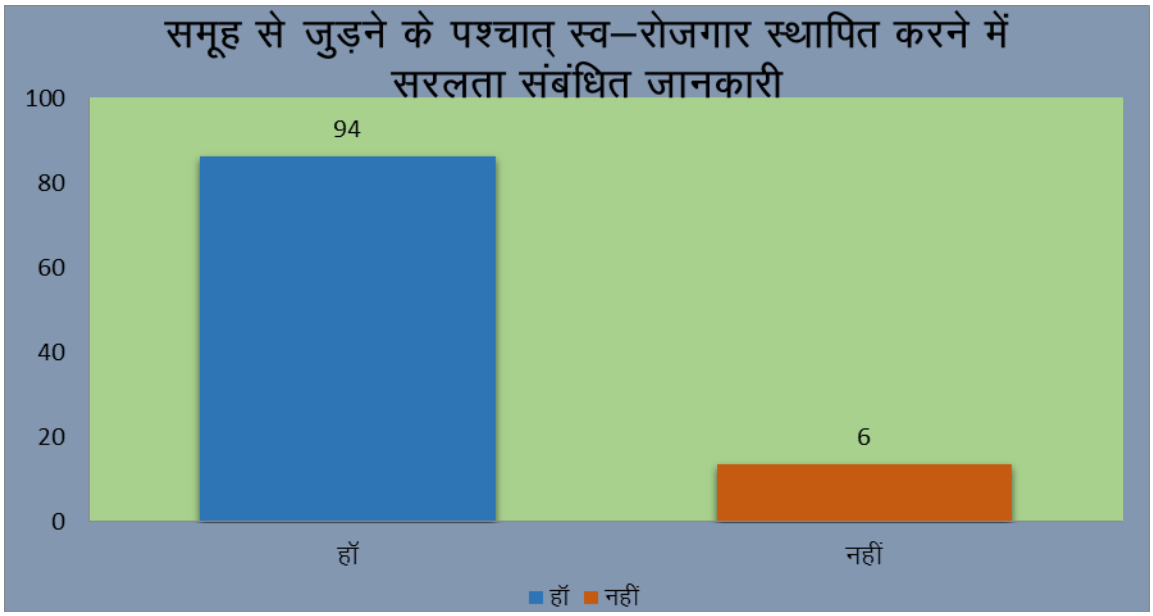

ग्राफ – 4

तालिका क्रमांक 4 के अनुसार सर्वेक्षित क्षेत्र की बारेला जनजाति की महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य बनने के बाद स्वरोजगार स्थापित करने में सर्वाधिक 94 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं का कहना है कि उन्हें स्वरोजगार स्थापित करने में आसानी हुई है। केवल 6 प्रतिशत महिलाओं द्वारा कहा गया कि उनको स्व–रोजगार स्थापित करने में कठिनाई आयी है।

शोध आधारित समंकों से ज्ञात होता है कि बारेला आदिवासी महिलाएँ अब साहूकारों पर आश्रित नही रही, वे आसानी से स्वयं सहायता समूह की कोष निधि से साख लेकर या उससे अधिक रूपयों की जरूरत होती है तो यह समूह सदस्य सीएलएफ से ऋण प्राप्त कर खुद का स्वरोजगार आसानी से स्थापित कर सकती है। क्षेत्रीय अंचलों में इस योजना का प्रभाव सकारात्मक देखने को मिला है।

निष्कर्ष

- अध्ययन क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह की 75.7 प्रतिशत बारेला जनजातीय महिला उत्तरदाताओं ने बताया कि हमारे परिवार से एक व्यक्ति स्वरोजगार/रोजगार से जुड़े हुए हैं। 13.7 प्रतिशत महिला हितग्राहियों द्वारा बताया गया कि हमारे परिवार से 2 सदस्य स्वरोजगार/रोजगार से जुड़े है। क्षेत्रीय अध्ययन की 9.6 प्रतिशत बारेला महिला उत्तरदाताओं का कहना है कि हमारे परिवार से 3 सदस्य स्वरोजगार/रोजगार से जुड़े है तथा मात्र 1 प्रतिशत महिलाओं का कहना है कि हमारे घर से चार से अधिक व्यक्ति स्वरोजगार/रोजगार से जुड़े हुए हैं। अतः इन आँकड़ों से पता चलता है कि सर्वाधिक उत्तरदाताओं के परिवार के सदस्य स्वरोजगार/रोजगार से जुड़े हुए पाए गए हैं।
- सर्वेक्षित क्षेत्र में 25.6 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं ने बताया है कि उन्होंने सब्जी/मसाले का काम प्रारंभ किया। 23.7 प्रतिशत महिला हितग्राही

पशुपालन का कार्य कर रही है, वहीं 15 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि वे मुर्गीपालन का काम कर रहे है तथा 14 प्रतिशत महिलाओं द्वारा बताया गया कि वे सिलाई मशीन का काम करती है और 13 प्रतिशत महिला हितग्राही किराना दुकान का काम करती है। 5 प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि वे अगरबत्ती बनाने का कार्य कर रही है और 2.7 प्रतिशत उत्तरदाता पापड़/अचार का व्यवसाय करती है। कपड़े बेचने का व्यवसाय करने वाले हितग्राहियों का प्रतिशत 1.0 है। अतः इससे स्पष्ट है कि सर्वाधिक उत्तरदाता सब्जी/मसाले का कार्य करती है।

- अध्ययन क्षेत्र में 42 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि स्वयं के स्व–रोजगार से वे एक महीने में एक हजार से दो हजार के मध्य रूपये कमा लेती है। 25 प्रतिशत हितग्राहियों के द्वारा बताया गया कि वे 2000–4000 तक की राशि प्रति माह कमा लेती है तथा 500 से 1000 तक आय प्रति महीने कमाने वाली महिला उत्तरदाताओं का प्रतिशत 21.3 है। केवल 11.7 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं ने बताया कि उनको 4000 से अधिक की मासिक आमदनी प्राप्त हो जाती है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि प्रति महीने स्वरोजगार व रोजगार से 1000–2000 के बीच मासिक आमदनी मिल जाती है।
- अध्ययन क्षेत्र में पाया गया कि 94 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं ने कहा कि वे आसानी से स्व–रोजगार स्थापित कर पायी है तथा मात्र 6 प्रतिशत महिलाओं को स्व–रोजगार स्थापित करने में कठिनाई हुई है। अतः इस तथ्य से स्पष्ट है कि गाँवों में इस योजना का प्रभाव सकारात्मक देखने को मिला है।

अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों को स्व–रोजगार से संबंधित प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि महिलाएँ अपने स्व–रोजगार को विकसित कर सके। जिससे इनकी सूदखोर व सेठ पर निर्भरता न रहें। यह स्वयं अपने लिए रोजगार का सृजन कर सके। समूहों को बैंक से अधिक लिंक किया जाए, ताकि उन्हें ऋण प्राप्त हो सके।

सन्दर्भ सूची

1. सावले, मनीषा (2020), "बारेला जनजातीय में आर्थिक एवं शैक्षणिक परिवर्तन" जर्नल ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड इनोवेटिव रिसर्च, अक्टुबर, वाल्यूम–7, इष्यू–10।
2. प्रधान, नितिन (2020), "राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की महिला सशक्तिकरण में भूमिका" कुरूक्षेत्र पत्रिका, मई, पृष्ठ संख्या, 46–47।
3. मिश्रा, जे० पी० (2020), "कृषि और ग्राम समृद्धि में महिलाओं की भूमिका" कुरूक्षेत्र पत्रिका, मई, पृष्ठ संख्या–8।
4. http://www.hindi2meaning.com
5. https://www.hmoob.in

भारत गणराज्य में नये राज्यों की मांग का औचित्य

हरिराम[1] व एन.के. सोमानी[2]

[1,2]राजनीति विज्ञान विभाग, टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर (राज.)

शोध सारांश

भारत में राज्यों के पुनर्गठन की मांग स्वतंत्रता के पूर्व से चली आ रही है और इसके लिये अनेक आयोगों का गठन भी समय–समय पर किया गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् राज्यों का गठन करके उन्हें इकाईवार 4 वर्गो में विभक्त किया गया था। इसके बाद भाषायी आधार पर होने वाली मांगों के फलस्वरूप सन् 1953 में एक राज्य में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग ने भाषायी आधार पर राज्यों के गठन किया था। सन् 1955 में आयोग ने राज्यों के गठन से सम्बंधित रिपोर्ट प्रकाशित की। सन् 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के समय पृथक् छोटे–छोटे राज्यों को बनाने की मांग उठती रही है। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करके 14 राज्यों का गठन किया गया था इन राज्यों की संख्या बढ़ते–बढ़ते 25 हो गई थी। वर्तमान समय में तीन नये राज्यों उत्तरांचल, वनांचल, छत्तीसगढ़ के गठन के परिणामस्वरूप इन की संख्या 29 हो गई है। आज देश के विभिन्न भागों में पृथक् राज्य की मांगे उठती रहती है। यदि इस पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाये तो यह प्रश्न उठता है कि आखिर पृथक् राज्य की मांग क्यों उठती है? पृथक् राज्य बनाये जाने की क्या आवश्यकता है? इसके लिये विभिन्न कारणों के तर्क दिया जाते है, जैसे–राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति, आर्थिक पिछड़ापन एवं बड़े राज्यों की प्रशासकीय व्यवस्था आदि।

मुख्य शब्द *: खालिस्तान, महाराष्ट्र, विदर्भ, गठबन्धन सरकारें।*

प्रस्तावना

इस प्रकार देश के विभिन्न भागों में पृथक् राज्य की मांग उठने के एक कारण नही बल्कि अनेक कारण है जिनमें से प्रमुख रूप से ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि होते है। ऐतिहासिक कारणों से भी देश के कुद क्षेत्रों मे जैसे–पंजाब में खालिस्तान, महाराष्ट्र में विदर्भ, मध्य–प्रदेश, में महाकौशल आदि का राज्य बनाने की मांग की जाती रही है। देश के विभिन्न भागों में भिन्न–भिन्न संस्कृति के लोग निवास करते है, इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग अपनी सांस्कृतिक अस्मित की पहचान बनाये रखने के लिए पृथक् राज्य की मांग करते हैं। देश में आर्थिक कारण भी पृथक् राज्य की मांग को प्रभावित करते है। स्वतंत्रता के पश्चात् देश के सभी क्षेत्रों के विकास के लिए पूंजीवादी प्रक्रियाएं अपनाई गई थीं, जिसमें उद्योगों का केन्द्रीकरण (जो एक स्पष्ट प्रमाण) जो क्षेत्र विकास की दृष्टि से पिछड़ गये, वे और भी पिछड़ने चले जा रहे है। बड़े राज्यों में आर्थिक नियोजन से कुछ क्षेत्र विकसित और कुछ अविकसित है। यहां के बजट में भी इस प्रकार का असंतुलन स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं, जिनके विकास की ओर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। आजादी के इतने वर्षो बाद तक ये अपने साथ होने वाले उपेक्षापूर्ण व्यवहार से असंतुष्ट हैं।

आर्थिक विषमता एवं अन्य कारणों से क्षेत्रों का विकास नहीं होने के कारण पिछड़े हुए क्षेत्रों के युवक दूसरे शहरों व राज्यों की ओर पलायन होने को विवश हो जाते है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक संसाधनों का क्षेत्र भी अन्य क्षेत्रों के लोगों द्वारा दोहन होने के कारण भी ये क्षेत्र पिछड़े रह गये है। देश के अनेक क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से सम्पन्न होने के बावजूद इन क्षेत्रों मे वह उन्नति नहीं हुई जो विकास की दृष्टि से आवश्यक थी, फलस्वरूप ये क्षेत्र पिछड़ गये। राजनीतिक कारण भी पृथक् राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते है। राजनीतिक नेता राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति हेतु पृथक् राज्य की मांग करने लगे है, वहीं कुछ नेता ऐसे भी हैं जो राजनीति मे छाये रहने के लिए पृथक् राज्य की मांग को प्रोत्साहित कर रहे है। इसी तरह सत्ता में आये कुछ राजनीतिक नेता जो सिर्फ अपने निर्वाचित क्षेत्रों के विकास की ओर अधिक ध्यान देते हैं तथा अन्य क्षेत्रों की ओर ध्यान नही जाता है। इन सत्ताधारी राजनीतिज्ञों द्वारा कुछ क्षेत्रो की लगातार उपेक्षा किये जाने की वजह से भी पृथक् राज्य की मांग की जा रही है। कुछ राजनीतिक व क्षेत्रीय नेता अपने क्षेत्र की समस्याओं को सुलझाने की जगह अपने स्वार्थो की पूर्ति हेतु जनता को पृथक् राज्य की मांग करने के लिए प्रेरित करते है, जनता को उनकी वास्तविक समस्याओं को सुलझाने की जगह उन्हें मार्ग से भटकाने के लिए पृथक् राज्य का एक काल्पनिक हल सामने ला रहे है अर्थात पृथक् राज्य को दिव्य दिखा रहे है।

देश के अनेक क्षेत्रों में पृथक् राज्यों की मांग जोर पकड़ती जा रही है। यदि देखा जाये कि जिन से पृथक् राज्य की मांग की जा रही है, तो क्या इनसे, सभी समस्याओं का समाधान हो जायेगा? अगर ऐसा होता तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में मेघालय, त्रिपुरा, अरूणाचल प्रदेश आदि राज्यों की स्थिति तस्वीर बदल गई होती। परन्तु ये राज्य आज भी गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे है। इन पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों को केन्द्र सरकार द्वारा बहुत अधिक संसाधन प्रदान किये जाने के बाद भी आज यहॉ पर पृथक्तावादी आन्दोलन जारी है। इस

तरह के प्रमाण के अनुसार पृथक राज्य के बनने से सभी समस्याओं का निदान संभव नही होगा। यदि पृथक् राज्य बनाने की मांग मान भी ली गई, तो यह मांग कभी समाप्त होने वाले नहीं है। प्रत्येक दिन एक नये क्षेत्र के लिए पृथक् राज्य की मांग की जाने लगेगी और ये मांग बढ़ती चली जायेंगी? क्या पृथक् राज्य बनाये जाने से समस्याओं और आवश्यकताओं की पूर्ति हो जायेगी? क्या पृथक् राज्य बनाने से रोजगार की समस्या का समाधान होगा? क्या इससे विघटनकारी शक्तियों को बढ़ावा नहीं मिलेगा? इस पृथक् राज्यों के गठन से विभिन्न जातीय, संस्कृति, भाषायी समूहों में आपसी कटुता की भावना उत्पन्न नहीं हो जायेगी? इस संगठनों से देश के विभिन्न क्षेत्रों में पृथक्तावादी आन्दोलनों को बढ़ावा नही मिलेगा? यदि इसी तरह एक–एक जिले को एक राज्य बनाया जाय, तो भविष्य में यह अतिश्योक्ति न होगी। लेकिन कुछ हद तक यह मांग संभव है : भारत में अनेक वर्षो तक बाहरी लोगों (विदेशियों) का शासन रहा है। जिसके कारण वर्षों से यहॉ के लोग शोषित और उत्पीड़ित होत रहे हैं और यहां के प्राकृतिक संसाधनों जैसे : खनिज सम्पदा, वन सम्पदा आदि की दृष्टि से सम्पन्न होते हुए भी इन क्षेत्रों का पूरा विकास नहीं हो पाया है और न ही ये सभ्यता, संस्कृति की दृष्टि से समृद्ध हो पाये हैं। आजादी के इतने वर्षो के बाद भी आज देश के अनेक क्षेत्र पिछड़े एवं अविकसित हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर समानता नहीं है। अनेक ऐसे भी क्षेत्र है, जहॉ प्राकृतिक संसाधनां की प्रचुरता है और अनेक क्षेत्र ऐसे भी हैं, जहॉ इनकी कमी है। इसी तरह जनसंख्या का घनत्व भी भिन्न–भिन्न है। जिसकी वजह से देश में पृथक् राज्य की मांग उठती रहती है।

भारत में कुछ बड़े राज्य भी हैं जिनका प्रशासन संभालना मुश्किल होता जा रहा है, प्रशासनिक कुशलता की दृष्टि से छोटे राज्य बनाना उचित (आदर्श) प्रतीत होता है क्योंकि इससे प्रशासनिक एवं कानून व्यवस्था नियंत्रण में रह सकती है। बड़े राज्यों की प्रशासनिक कठिनाईयों के परिणामस्वरूप कुछ क्षेत्र विकसित और कुछ अविकसित रह गये हैं। इन क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार को अलग–अलग नीतियों को अपनाने की भी आवश्यकता है। यह आवश्यकता छोटे राज्यों से संभव हो सकती है। भारत में कुछ छोटे राज्य जैसे–पंजाब और केरल भी है जिन्होंने हर क्षेत्र में प्रगति की है परन्तु आज इस पृथक् राज्यों की मांग का उद्देश्य जनता के हित से सम्बंधित न होकर राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति से जुड़ गया है। सामान्य रूप से यह माना जा रहा है कि इससे बड़े राज्य छोटे–छोटे राज्यों में विभक्त हो जाते है। इन सभी कारणों को देखते हुए पृथक् राज्य की मांग अनुचित नहीं कही जा सकती। पृथक् राज्य बन जाने पर इस क्षेत्र का कुछ तो विकास हो सकेगा।

आज भारत में लगभग 40 प्रतिशत से कम आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। अनेक गांवों में बिजली, स्वच्छ पीने का पानी, शिक्षा, सड़क, एवं सिंचाई व्यवस्था अदि की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो पा रही है, छोटे राज्यों के निर्माण में धन व्यय न करके इन समस्याओं को हल किया जाये तो उचित होगा। वर्तमान में संघ सरकार ने तीन राज्यों (उत्तरांचल, झारखण्ड तथा छत्तीसगढ़) के गठन को स्वीकार किया है। सरकार ने इन राज्यों का गठन देश के विकास को ध्यान में रखकर किया है। इन तीनों राज्यों के गठन पश्चात् देश के अन्य क्षेत्रों में भी पृथक् राज्य की मांग को लेकर आन्दोलन हो रहे हैं और इसके साथ ही नये–नये राज्यों के गठन के लिए जनता को इन आन्दोलनों का सामना करना पड़ सकता है। सरकार को इसके लिए प्रयास करना चाहिए ताकि ये मांगे बिना किसी ठोस आधार के अनावश्यक रूप से नही उठे। देश सार्वभौमिकता और अखण्डता दलगत राजनीति का शिकार न हो पाये। पृथक् राज्यों की मांगो को यदि सैद्धांतिक दृष्टिकोण से देखा जाये तो यह अव्यावहारिक है, क्योंकि यह राष्ट्रीय एकता के विकास में सबसे बड़ी बाधक है परन्तु व्यावहारिक दृष्टि से यह मांग उचित प्रतीत होती है क्योंकि इससे प्रत्येक क्षेत्र विशेष के लोग सामाजिक, आर्थिक, सांस्कतिक आदि रूप से विकास करके अपने जीवन स्तर को ऊपर उठा सकते है। राष्ट्र के निर्माण में जनता की भागीदारी के लिए सत्ता और आर्थिक शक्ति का विकेन्द्रीकरण तभी सार्थक होग, जब आर्थिक राजनीतिक, सत्ता के लिए राज्यों को पुनर्गठित किया जाये जैसे–उत्तर–प्रदेश का आर्थिक, राजनीतिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण करके फिर से राज्य, बनाया जाय जिससे यहॉ संतुलित विकास हो सके। यदि देश के संतुलित विकास की दृष्टि से देखा जाय तो इसके लिए छोटे राज्य उपयुक्त आवश्यक होते है। उदाहरण यदि उत्तर–प्रदेश को लिया जाय तो यहॉ की लगभग 14 करोड़ की आबादी है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री शायद ही जिला मुख्यालय तक पहुॅच पाते हों। पृथक् राज्य के लिए की जाने वाली मांगे सिंफ राष्ट्रीय हित के विरूद्ध ही नहीं है, बल्कि इनसे देश के विभिन्न क्षेत्रों में विकास सको एक नयी दिशा मिली है और देश के विभिन्न भागों में जो भिन्न–भिन्न योजनाएं, कार्यक्रम कुछ समय से निष्क्रिय एवं मंद पड़े हुये थे उन्हें गति मिली है।

आज विभिन्न राजनीतिक दल भी प्रादेशिकता की भावना का प्रचार करके राजनीति में अपने स्थिति मजबूत बनाये हुये हैं। यदि पृथक् राज्य की मांग करने की राजनीति को निष्कर्ष रूप से देखा जाय तो राजनीति करने वाले इस मुद्दे को बनाये रखना आवश्यक समझते है, क्योंकि इस तरह के आन्दोलन को जारी सरके वे राजनीतिक क्षेत्र में अपनी स्थिति बनाये रखना चाहते है। ये आन्दोलनकारी केन्द्र में अपने वाले सरकार के अनुसार अपना आन्दोलन का रूख बदलते रहते है। जब कांग्रेस सत्ता में थी, तो उसने पृथक् राज्य की मांग को पूरी तरह हटा दिया था। आज जब वह सत्ता में नहीं है तो अपनी राजनीतिक सुविधा के अनुसार पृथक राज्यों के संदर्भ में अलग–अलग रूख अपना (अख्तियार कर) रही है। यदि कांग्रेस केन्द्र सत्ता में आती है तो आज अपने वायदे से हटकर विरूद्ध हो जावेगी। इस प्रकार आन्दोलनकारी सरकार के अनुसार अपने निर्णय बदलते रहते है। भारत में बढ़ रहे आतंकवाद और साम्प्रदायिकतावाद ने पृथक् राज्यों की मांगों को और अधिक तीव्र किया है। जैसे–बोडोलैण्ड, खालिस्तान आदि की मांग से होने वाले हिंसात्मक आन्दोलनो को तीव्र करने के पीछे आतंकवादी एवं साम्प्रदायिक तत्वों का हाथ रहा है। भारत की वर्तमान अर्थव्यवस्था को देखते हुए छोटे राज्यों के गठन को कुछ हद तक दूर किया जा सकता है। छोटे राज्यों के गठन से आर्थिक पिछडापन विषमता को तो दूर किया जा सकता है परन्तु इससे देश की अर्थव्यवस्था का पूर्णरूप से विकास सम्भव नहीं हैं। नये राज्यों (छोटे राज्यों) के गठन से होने वाले खर्च से सरकार के ऊपर जो वित्तीय भार आयेगा, उससे आर्थिक संसाधनां को एकत्र करना कठिन कार्य हो जायेगा और इन क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर पिछड़े हुए इलाकों का विकास करना मात्र मृगतृष्णा ही होगा। इस तरह आज देश में प्रादेशिकता के आधार पर विभिन्न भागों में उठने वाली पृथक् राज्यों की मांगों से पृथक्तावादी आन्दोलनों एवं विघटनकारी शक्तियों को बढ़ावा मिलता है एवं देश कमजोर होता है। अतः हमें अपने देश के विकास एवं उन्नयन के लिए इन पृथक्तावादी आन्दोलनों की राजनीति से देश को दूर रखना चाहिए। भारतीय राजनीति में राष्ट्रीयता का विकास होना आवश्यक है।

प्रादेशिकता, राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में सबसे बड़ी चुनौती है। हमारे देश में प्रादेशिकता की इस भावना को समाप्त करने की दृष्टि से देश के संविधान में एक इकहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है परंतु आज भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों में भारतीय नागरिक होने की अपेक्षा बंगाली, बिहारी, मराठी, गुजराती, पंजाबी आदि होने की भावना की संकीर्ण मनोवृत्ति अधिक है। इस संकीर्ण मानसिकता के आधार पर देश के विभन्न भागों में क्षेत्रीय स्वार्थो और राजनीतिक स्वशासन को लेकर पृथक्तावादी आंदोलन किये जा रहे है। आज देश के विभिन्न भागों के मध्य आपसी वैमनस्य देखने मिलता है, इसका मूल कारण वास्तव में आर्थिक विषमता है। सरकार को क्षेत्रों के विकास के लिए पृथक् तरीके अपनाने चाहिये और ऐसी योजनायें भी बनानी चाहिये जिससे सभी जगह संतुलित विकास हो सके। आज देश में अधिकांश क्षेत्र बहुत अधिक पिछड़े हुए है। बड़े राज्यों के पिछड़े हुए क्षेत्रों की जनता के लिए पिछड़ेपन एवं अन्य समस्याओं का समाधान करने अथवा अन्य कोई उपाय करने की जगह पृथक् राज्य बना दिये जाने से ही यदि इन क्षेत्रों का विकास एवं अन्य समस्याओं का समाधान हो जाता तो यह कब का हो गया होता। आज देश में अनेक ऐसे राज्य हैं, जहॉ गरीबी एवं आर्थिक पिछड़ापन है। यहॉ अधिकांश जनता गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रही है। इससे यह प्रमाणित होता है कि क्षेत्र के विकास हेतु पृथक् राज्य बना देने से ही इस समस्या का समाधान नही हो जाता बल्कि इसके लिए जब तक हम सभी भारतीय नागरिक इन समस्याओं का समाधान खोजने का दृढ़ संकल्प न ले लें तब तक दृढ़ निश्चयी राजनीतिक आकांक्षाओं की दृढ़ निश्चयी सत्ता शक्ति की आवश्यकता है। यदि सत्ता के विकेन्द्रीकरण की शासन व्यवस्था अपनाये तो हमें छोटे राज्य, संभाग, जिला, तहसीलों, पंचायतों का गठन करके शासन की सत्ता को गांव–गांव तक पहुंचाया जाना चाहिए। ताकि सभी शासन व्यवस्था का संचालन सुचारू रूप से हो सके। यदि राज्य के निर्माण का उद्देश्य स्वतंत्र एवं स्वेच्छाचारित्र की प्रवृत्ति का है, तो यह निश्चय ही राष्ट्र के लिये घातक सिद्ध होगा। देश के विभिन्न भागों में पृथक्तावादी आन्दोलन किये जा रहे है। यही वजह है कि देश के विभिन्न भागों में पृथक् राज्य की मांग की जा रही है। यदि इन समस्याओं के समाधान का उचित उपाय नहीं किया गया, तो पृथक्तावादी आन्दोलनों का सामना करना पड़ सकता है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाये जाने चाहिए

1. भारत अनेक संस्कृतियों का सम्मिश्रण है, जहॉ पर अनेक संस्कृतियां आती गई और अतीत के गर्भ में समाती चली गई। भारतीय एकता बनाये रखने के लिए संस्कृति के सभी पहलूओं को भी महत्व दिया जाना चाहिए एवं विभिन्न राज्यों के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जाने चाहिए, जिससे कि इन विभिन्न राज्यों के मध्य सांस्कृतिक

आदान प्रदान हो सके। इनके बीच उत्पन्न आपसी वैमनस्य को दूर किया जा सके।

2. देश में एक राष्ट्रीय भाषा और साहित्य का विकास इस प्रकार होना चाहिए जिससे विभिन्न भाषा–भाषी समूहों को परस्पर मिलने का अवसर मिलेगा एवं उनके मध्य तनाव कम हो जायेगा।
3. देश में राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के लिए एक अखिल भारतीय भाषा का विकास किया जाय। देश के प्रत्येक नागरिक के लिए हिन्दी भाषा अनिवार्य कर दी जाय।
4. भाषा को राजनीतिक स्वार्थो की पूर्ति बनने से रोका जानाा चाहिए। भाषायी विवादो का तुरंत समाधान करना चाहिए।
5. भाषा विवादी की समस्याओं का समधान करने के लिए क्षेत्रीय भाषा को समान रूप से मान्यता प्रदान की जाय और हिन्दी भाषा, किसी अन्य क्षेत्रीय समुदाय के लोगों में जबरदस्ती न लायी जाय। हिन्दी भाषा का प्रचार इस तरह किया जाय कि विभिन्न क्षेत्रीय समूह इस सम्पर्क भाषा के रूप में स्वीकार करें।
6. हमारे देश में विभिन्न जाति एव जनजातियों के लोग निवास करते है। इन विभिन्न जातियों में आर्थिक, सांस्कृतिक विषमता विद्यमान हे जिससे उनमें जातिवाद की भावना का भी विकास होता जा रहा है। सरकार द्वारा इन विभिन्न जातियों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक समानता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए जिससे ये एक–दूसरे के निकट आ सके और प्रगति की ओर अग्रसर हो सकें।
7. जाति के नाम पर चल रही शिक्षा संस्थाओं का नाम बदल दिया जाय और ऐसी संस्थाओं में मंडलो के किसी विशेष जाति के प्रतिनिधियों की प्रधानता को समाप्त कर दिया जाय।
8. जातिवाद को समाप्त करने के लिए सरकार को आर्थिक, सांस्कृतिक दृष्टि से निम्न जातियों के उत्थान के लिए सहायता करना चाहिए।
9. सरकार को सभी में समान आर्थिक सुविधाएं दी जानी चाहिए जिससे उनके बीच अनावश्यक प्रतिस्पर्द्धा एवं उपेक्षा की भावना उत्पन्न न हो, कोई भी क्षेत्र अपने को उपेक्षित महसूस न कर सके देश के पिछड़े हुए भागों को विकास के लिए सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
10. सरकार द्वारा ऐसी नीति अपनायी जानी चाहिए, जिससे कि सभी सांस्कृतिक क्षेत्रों का संतुलित आर्थिक विकास हो और उनमें विभिन्न क्षेत्रों मे तनाव और मतभेद की भावना उत्पन्न न हो।

भारत में प्रादेशिकता के संदर्भ में उठने वाली पृथक् राज्यों की मांग को कम करने अथवा समाप्त करने में सहायक सिद्ध हो सकते है। प्रादेशिकता देश या राज्य की अपेक्षा किसी क्षेत्र के प्रति विशेष आकर्षण व लगाव दर्शाता है न कि सम्पूर्ण राष्ट्र पर। यही वजह है कि प्रादेशकता से विघटनकारी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिलता है। स्वतंत्रता के पश्चात् आर्थिक विपन्नता के कारण पृथक् राज्य की मांग की जाने लगी है। प्रादेशिकता देश के विकास एवं अखण्डता के मार्ग में एक बड़ी बाधा है जो क्षेत्र विशेष की स्वायत्ता चाहता है। ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से प्रान्तों का गठन किया और ब्रिटिश शासनकाल में प्रान्तों के साथ–साथ अनेक छोटी–छोटी देशी रियासते थी अंग्रेजो ने इन्हें अपने अधीन करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में इकाईयों के निर्माण को स्वीकार किया गया। इन इकाईयों के अन्तर्गत प्रान्तों और देशी रियासतों को शामिल किया गया है। संविधान की प्रथम अनुसूची में राज्यों को 4 वर्गो में विभक्त किया गया था किन्तु 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के समय इनको 14 राज्यों तथा 5 केन्द्रशासित प्रदेशों में विभक्त किया गया था। राज्यों के पुनर्गठन के पश्चात् से वर्तमान तक देश में गठित राज्यों व केन्द्रशासित प्रदेशों का विश्लेषण किया गया है। ब्रिटिश शासनकाल समाप्त होने के पश्चात् सन् 1947 में देश के विभाजन के समय देशी रियासतों को भी स्वतंत्रता मिल गयी थी। देश के विभिन्न आधारों में उठने वाली मांगों का विस्तृत विवेचना किया गया है, देश में पृथक् राज्य के उठने वाली मागों के लिए किसी एक आधार को ही प्रमुख नहीं माना जा सकता। देश में विभिन्न आधारों आर्थिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक आदि कारणों के आपस में मिले होने के कारण ये मांग की जा रही है। भारत में पृथक् राज्यों की मांग को भौगोलिक आधार के संदर्भ में किया गया है, भौगोलिक दृष्टि से भारत में कई राज्य आज भी विशाल हैं। जिससे विकास की प्रक्रिया उस राज्य में एक समान नही हो पाती, जिसका सीधा सा कारण यह होता है कि भौगोलिक संरचना विकास को प्रभावित करती है। इस संदर्भ में मध्य–प्रदेश में छत्तीसगढ़ राज्य की मांग तेजी से की जा रही थी जो वर्तमान एक राज्य रूप गठित हो गया है। भौगोलिक कारणों की भांति ऐतिहासिक कारणों से भी देश में पृथक् राज्य की मांग उठ रही है जैसा कि उल्लेख किया गया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय

भारत में अनेक देशी रियासतों का विलय भी राज्यों में कर दिया गया था। आज इन रियासतों के निवासी अपने पृथक् अस्तित्व को बनाये रखने के लिये पृथक् राज्य की मांग कर रहे हैं उनका कहना है कि यदि उनकी रियासत को पृथक् राज्य का रूप दिया जाता तो वे ज्यादा लाभ की स्थिति में होते। देश के विभिन्न भागों में आर्थिक विकास की असंतुलित स्थिति भी प्रादेशिकता के उदय का एक कारण रही है। देश के कुछ क्षेत्र सम्पदा, आर्थिक विकास की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं और कुछ क्षेत्र सम्पदा सम्पन्न हैं परन्तु उस सम्पदा के दोहन का लाभ किसी अन्य क्षेत्र मिलता है जिसके कारण उस क्षेत्र विशेष में सार्थक विकास नहीं हो पाता जिससे इन क्षेत्रों में असंतोष फैलने लगा और पृथक् राज्य की भावना पनपने लगी। भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है। भाषायी आधार पर राज्यों का निर्धारण किया गया है। प्रादेशिक भाषा के प्रति क्षेत्र के निवासी अधिक संवेगात्मक होते है जिससे वे यह मान लेते हैं कि उनकी ही भाषा शैली, शब्दावली, साहित्य समृद्ध है तथा वे अन्य लोगों से श्रेष्ठ हैं जिससे पृथक् राज्य की संभावना को अत्याधिक बल मिलता है। जातिगत आधार पर भी हमारे देश में पृथक् राज्य की जाने लगी हैं जैसे– असम, महाराष्ट्र, दक्षिण भारतीय आदि अनेक ऐसे राज्य हैं जहॉ क्रमशः पृथक् राज्य की मॉग जाति के आधार पर की जा रही है। देश में प्रादेशिकता का मूल कारण राजनीति है, अनेक क्षेत्रों में राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए कुछ लोग स्थानीयता के आधार पर राज्य बनाने की मांग करते है। इस दिशा में मिजो विद्रोही, नागा दल, पंजाब में मास्टर तारा सिंह आदि उल्लेखनीय हैं जो विभिन्न क्षेत्रीय हितों के लिए राष्ट्रीय हितों की परवाह न करके पृथक् राज्य की मांग करने लगते हैं।

निष्कर्ष

निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि देश के विभिन्न भागों में पृथक् राज्य की मांग भौगोलिक, ऐतिहासिक, भाषागत, राजनैतिक, आर्थिक आदि आधारों को लेकर उत्पन्न हुई है, बल्कि यह कहना श्रेयस्कर होगा कि स्थानीय समस्याओं के कारण पृथक् राज्य की मांग उठ रही है इसके पीछे शासन की नीतियों का अभाव है क्योंकि जिस इकाई से संबंधित विकास किंचित कारणों से नहीं हो पा रहा है उन्हें दूर करने के लिए ऐसा उपाय करना चाहिंए ताकि सम्पूर्ण इकाई का सकरात्मक विकास हो सके। पृथक् राज्यों के लिए की जा रही मांग संबंधी सुधारों पर आधारित हैं, जिनका प्रशासनिक आधार पर निराकरण किया जाना चाहिए यदि राज्यों के पुनर्गठन की आवश्यकता हो तो इसके लिए कुछ मापदण्ड बनाना चाहिए न कि बिना किसी नीति के राज्यों का बंटवारा किया जाना चाहिए। क्षेत्रीयता उत्तर प्रदेश के राजनीति की शैली और दिशा को प्रभावित करने में अहम् भूमिका रखती है। क्षेत्रीयता की राजनीति ने देश की एकता और अखण्डता के सम्मुख गंभीर चुनौतियां उपस्थित की है जिन्हे हर संभव प्रयास से हल किया जाये। क्षेत्रवाद की जड़े नागरिकों के मस्तिष्क में है। हर व्यक्ति किसी–न–किसी रूप में दोहरे व्यक्तित्व को प्रस्तुत करता है और उसमें उप–राष्ट्रवादी और राष्ट्रवादी दोनो ही प्रवृत्तियाँ पाई जाती है। उप–राष्ट्रवादी प्रवृत्ति स्वभाविक रूप से राष्ट्रवादी प्रवृत्ति से पहले आती है। प्रादेशिकता की भावना राष्ट्रीयता के मार्ग में एक चुनौती है, हमें अपने सजग एवं निष्पक्ष देशभक्ती की आवश्यकताओं है जो देश के विघटनकारी तत्वों को समाप्त कर सके। लोकतंत्र में राजनीतिक व स्थानीय नेता अपने स्वार्थो की पूर्ति के लिए जनता को गलत राह पर मोड़ देते हैं अर्थात् पृथक् राज्य की मांग के लिए प्रोत्साहित करते है, ऐसी स्थिति में जनता भी संकीर्ण मनोवृत्ति को अपनाती है। आज देश में ऐसे विद्वानों, महानुभावों की आवश्यकता है जो राष्ट्रीयता के महत्व को जानते हैं और जो देश में फैली प्रादेशिकता की भावना को समाप्त करके दूरदर्शी और सच्चे राष्ट्रभक्त की इस चुनौती को स्वीकार करें।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. तायल, बी0बी0 – भारतीय शासन एवं राजनीति मयूर पेपर बैक्स, नोएडा, 1992।
2. गुप्ता, डी0डी0, – भारतीय शासन व्यवस्था एवं राजनीति, विकास पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, बम्बई, 1977।
3. शर्मा, महादेव प्रसाद, – भारतीय गणतंत्र का संविधान, किताब महल, इलाहाबाद, 2011।
4. फड़िया, बाबू लाल एवं जैन, श्रीपाल, भारतीय संघ व्यवस्था कैलाश पुस्तक सदन, ग्वालियर, 1982।
5. सुवेदी, दिनेश चंद्र, भारतीय शासन एवं राजनीति, मीनाक्षी प्रकाशन मेरठ, 2014।
6. तायल, बी.बी., भारतीय शासन विधान, मयूर पेपरबैक्स नोएडा, 2002।
7. शरण, परमात्मा, भारतीय शासन और राजनीति रस्तोगी पब्लिकेशन, शिवाजी रोड़, मेरठ, 1980–81।

8. यादव, आर.एस., भारत की राजनीतिक व्यवस्था रियांस पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2017
9. खण्ड़ेलवाल, डी.सी., भारतीय राजनीतिक मुद्दे, छवी प्रकाशन, आगरा, 2008
10. शर्मा, रघुनन्दन, भारत में शक्तियों का विकेन्द्रीकरण एवं क्रियान्वन, कैलाश पुस्तक सदन, ग्वालियर, 2012।

ऋतुनुसार अपराध परिवर्तनः रोहतक नगर के संदर्भ में (2016–2018)

रीतू
भूगोल विभाग, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय,रोहतक
surender210882@gmail.com

शोध सारांश

अपराध एक सार्वभौमिक घटना है जो मानव समाज के प्रत्येक स्तर में विद्धमान है। अपराध के विभिन्न कारणों में भौगोलिक, जैविक, मनोवैज्ञानिक और शैक्षणिक, पारिवारिक स्थिति, सामाजिक, अपराध के आर्थिक आदि प्रमुख कारण हैं। अपराध में परिवर्तन जलवायु, मौसम, ऋतु आदि की बदलती परिस्थितियों के साथ भी पाया जाताहै। शुष्क और गर्म जलवायुक्षेत्रों में कुछ विशेष प्रकार के अपराध घटित होते है, जबकि शीत क्षेत्रों में कंपकंपाती सर्दी में कुछ विशेष प्रकार के अपराध घटित होते है। रोहतक नगर में अन्य मौसम की अपेक्षा सर्दियों के मौसम में संपत्ति से संबंधित अपराध अधिक हुए हैं। सर्दियों मेंसंपत्ति से संबंधित अपराध अधिक होने का मुख्यकारण इस ऋतु में आर्थिक आवश्यकताएं अधिक प्रबल होना है जैसे अधिक कपड़े एवं ईंधन की आवश्यकता होना है जिसके परिणामस्वरूप समाज के निम्न आर्थिक स्तर के व्यक्ति अक्सर लूट व चोरी करते हैं। इसके उपरांत शीत ऋतु में रात्रि की अवधि होने के कारण तथा कोहरा छाने के कारण ये अपराध अधिक होते हैं क्योंकि सामान्यतः शीत ऋतु में कम तापमान के कारण व्यक्ति खिड़की दरवाजें बंद कर अपने घरों में रहते हैं जिससे आस–पड़ोस में हुई वारदातों का आसानी से पता नहीं चल पाता है। ग्रीष्मकालिन ऋतु में व्यक्ति विरुद्ध अपराध अधिक मात्रा में होते हैं। नगर में आर्थिक संरचना बिगड़ने के कारण तथा बेरोजगारी बढ़ने के कारण नगरों में चोरी की घटनाएं अधिक मात्रा में बढ़ गई हैं जिसका प्रचलन शीत ऋतु में अधिक पाया जाता है।

मुख्य शब्द *: रोहतक नगर, ऋतु,अपराध, बेरोजगारी, कारक।*

प्रस्तावना

मौसम का प्रभाव अपराधों पर निश्चित रूप से पड़ता है। विभिन्न भूगोलवेत्ताओं के अनुसार भौगोलिक कारकों और अपराध का बड़ा निकटतम संबंध है। विभिन्न भौगोलिक कारक जैसे प्राकृतिक दशाएं, जलवायु तथा ऋतुएं अपराध को प्रभावित करते हैं। जलवायु भौगोलिक कारक के कारण अपराध के प्रकार पर प्रभाव पाया जाता है। सर्दियों के मौसम में संपत्ति से संबंधित तथा गर्मियों के मौसम में व्यक्ति के विरुद्ध अधिक अपराध पाए जाते है। सर्दियों के मौसम में चोरी, लूट, डकैती जबकि गर्मियों के मौसममें हत्या, मारपीट आदि अपराध ज्यादा मात्रा में मिलते है। गर्मियों के मौसम में लोग कूलर का प्रयोग अधिक करते है, जिससे चोर कूलर में बेहोशी की दवा मिला देते है, जब पूरा परिवार बेहोश हो जाता है तो वे वारदात को अंजाम देते है। शुष्क और गर्म जलवायु क्षेत्रों में कुछ विशेष प्रकार के अपराध घटित होते है, जबकि शीत क्षेत्रों में कंपकंपाती सर्दी में कुछ विशेष प्रकार के अपराध घटित होते है। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि क्षेत्रीय स्तर पर अपराध कीदर का संबंध अपराध के प्रकार और जलवायु की परिस्थितियों के अनुसार होता है। Tappan ने अमेरिका में अपराध संबंधी अध्ययन द्वारा यह बताने का प्रयास किया है कि देश के दक्षिणी भागमें जो कि गर्म क्षेत्र है उत्तेजनात्मक अपराध जैसे कि हत्या, एवं आक्रमण अधिक मात्रा में पाया गया है जबकि इस प्रकार के अपराध न्यू इंग्लैंड में कम मात्रा में पाये गए हैं। Huntington ने यह बताने का प्रयास किया है कि भौगोलिक कारक विशेष रूप से मौसम जो आंशिक रूप से आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन की नैतिकता को प्रभावित करते हैं तथा यह भी देखा गया है कि अपराध दर वायु, भार और हवा की दिशा के साथ बदलते हैं।एक रिसर्च रिपोर्ट(ब्रिटेन) के अनुसार अपराध तापमान के अनुसार बढ़ते हैं क्योंकि तापमान में वृद्धि के साथ साथ पर्यावरणीय तनाव के कारण मनुष्य का जैविक तंत्र प्रभावित होता है और वह अत्यधिक उत्तेजित होकर अपराध करता है। गर्मियों का तापमान भावनाओं को उत्तेजित कर देता है और विवेकहीनता को बढ़ता है जिससे हिंसा की प्रवृत्ति उजागर होती है।

अध्ययन क्षेत्र

रोहतक हरियाणा राज्य का एक समृद्ध नगर है।रोहतकनगर की स्थिति 28°49'53"–28°56'33" उत्तरी अक्षांश तथा 76°31'47"–76°42'43" पूर्वी देशांतर है। रोहतक जिला चारों तरफ से हरियाणा के ही 5 जिलों से घिरा हुआ है उत्तर में जींद, पूर्व में सोनीपत, पश्चिम में भिवानी, दक्षिण में झज्जर, उत्तर–पश्चिम में हिसार और दक्षिण पश्चिम में बहादुरगढ़ है। यमुना और सतलुज नदियों के मध्यवर्ती उच्चसम भूमि पर दिल्ली के उत्तर–पश्चिम में यह जिला स्थित है। इसका उतरी भाग पश्चिमी यमुना नहर की रोहतक और बुटाना शाखाओं द्वारा सींचा जाता है। यह समुद्र तल से 220 मीटर की ऊंचाई पर है।नगर का कुल क्षेत्रफल 72.18 वर्ग किलोमीटर है तथा जनसंख्या घनत्व 5185.5/वर्ग किलोमीटर है।वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार रोहतक की कुल जनसंख्या 3,74,292 है जिसमें 1,98,237 पुरुष, 1,76,055 महिलाएं

हैं। प्रस्तुत शोध पेपर का उद्देश्य रोहतक नगर में ऋतुनुसार अपराध परिवर्तन(2016–2018) का अध्ययन एवं निरीक्षण करना है।

अध्ययन विधि तथा आंकड़ों के स्रोत

किसी भी नगर का सामाजिक, भौगोलिक तथा आर्थिक पर्यावरण नगर के अपराध को प्रभावित करता है। इस शोध पेपर में नगर के ऋतुनुसार अपराध(2016–2018)के आंकड़े लिए गए है। इन आंकड़ों को पूर्ण रूप से द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त किया गया हैं क्योंकि इन सब आंकड़ों को प्राथमिक स्रोतों से पाना संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त अपराध संबंधी आंकड़ों को एकत्रित करना कठिन कार्य है क्योंकि इन आंकड़ों को छिपाया जाता है। इसलिए केवल दर्ज अपराधों को ही आंकड़ों के स्रोत के रूप में लिया गया है। अपराध के स्थान संबंधी सांख्यिकी आंकड़ों को मुख्य रूप से रोहतक नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के रिकॉर्ड से लिया गया हैं। इसके अतिरिक्त कुछ आंकड़े पुलिस थानों के रिकार्ड से एकत्रित किए गए हैं तथा कुछ ठोस जानकारियां प्रकाशित अपराध आंकड़ों से भी ली गई हैं जो केंद्रीय जांच संगठन द्वारा प्रकाशित की गई हैं। यह सामान्य मान्यता है कि कुछ आपराधिक वारदातों की पुलिस थानों में रिपोर्ट जाने या अनजाने में दर्ज नहीं की जाती हैं। प्रस्तुत शोध पेपर में रोहतक नगर में ऋतुनुसार(2016–2018) अपराधों का अध्ययन किया गया है।

अपराध के प्रकार

रोहतक नगर मेंसभी मुख्य अपराधों को हम मुख्यतः दो वर्गों में बांट सकते हैं :–

1. व्यक्ति संबंधित अपराध
2. संपत्ति संबंधित अपराध

तालिका 1. रोहतक नगर में अपराध विवरण(2016–2018)

अपराध		चोरी	हत्या	डकैती	लूट	दंगा	अपहरण	बलात्कार
सिटी थाना	2016	151	9	4	7	82	61	5
	2017	174	10	0	5	13	58	11
	2018	166	4	1	1	17	38	7
सिविल लाईन थाना	2016	264	2	0	1	108	26	0
	2017	278	2	0	3	10	58	1
	2018	128	3	0	0	6	17	0
अर्बन अस्टेट थाना	2016	141	7	4	2	62	40	4
	2017	107	3	2	4	19	19	1
	2018	162	3	1	5	11	25	11
शिवाजी कॉलोनी थाना	2016	108	4	1	6	9	53	4
	2017	121	4	1	6	13	83	6
	2018	124	10	0	3	24	49	10
ओल्ड सब्जी मंडी थाना	2016	55	3	0	2	3	55	1
	2017	75	1	0	0	6	48	4
	2018	87	1	0	1	15	31	9
पी.जी.आई. एम.एस.	2016	134	1	1	1	125	28	1
	2017	157	4	0	1	11	46	4
	2018	156	4	0	0	15	23	0
महिला थाना	2016	-	-	-	-	-	6	17
	2017	-	-	-	-	-	5	26
	2018	-	-	-	-	-	5	24
आर्य नगर थाना	2016	-	-	-	-	-	-	-
	2017	-	-	-	-	-	-	-
	2018	120	0	0	0	2	0	0

स्त्रोतः पुलिस अधीक्षक कार्यालय, रोहतक

1. व्यक्ति संबंधित अपराध के अंतगर्त हत्या, अपहरण, दंगा एवं बलात्कार आदि गंभीर अपराध आते हैं। सर्वाधिक व्यक्ति संबंधी अपराध, सन् 2016, 17,एवं 18 के अनुसार सिटीथाने (315) एवं शिवाजी कॉलोनी (269) पी.जी.आई.एम.एस. (262) सिविल लाईन (205) में पाया गया है। मध्यम स्तर पर यह अपराध थाना अर्बन अस्टेट तथा ओल्ड सब्जी मंडी थाना(177) में पाया गया है। निम्न स्तर पर यह अपराध थाना महिला (83) आर्य नगर थाना (2)में पाया गया है। गत तीन वर्षों में रोहतक नगर में कुल 1546 व्यक्ति संबंधित अपराध दर्ज हैं।

2. संपत्ति संबंधित अपराध के अंतगर्त चोरी, लूट एवं डकैती आदि संपत्ति से संबंधित अपराध है। रोहतक नगर में गत तीन वर्षों में संपत्ति संबंधित अपराध की कुल 2771 वारदातें दर्ज की गई हैं। जिनमें सर्वाधिक संपत्ति संबंधित अपराध सिविल लाईन थाना (674) सिटी थाना (509) एवं पी.जी.आई.एम. एस. थाने में(450) में पाया गया है। मध्यम स्तर पर यही अपराध थाना अर्बन अस्टेट(428) शिवाजी कॉलोनी (370)एवं ओल्ड सब्जी मंडी थाना (220) में पाया गया है। निम्न स्तर पर यह अपराध आर्य नगर थाना (120)थाना महिला (0)में पाया गया है।

तालिका 2. रोहतक नगर : व्यक्ति / संपति संबंधित अपराध विवरण(2016–2018)

नाम थाना	2016		2017		2018	
	व्यक्ति संबंधित	संपति संबंधित	व्यक्ति संबंधित	संपति संबंधित	व्यक्ति संबंधित	संपति संबंधित
सिटी थाना	157	162	92	179	66	168
सिविल लाईन थाना	136	265	71	281	26	128
अर्बन अस्टेट थाना	113	147	42	113	50	168
शिवाजी कॉलोनी थाना	70	115	106	128	93	127
ओल्ड सब्जी मंडी थाना	62	57	59	75	56	88
पी.जी.आई.एम. एस. थाना	155	136	65	158	42	156
महिला थाना	23	0	31	0	29	0
आर्य नगर थाना	0	0	0	0	2	120
कुल	716	882	446	934	364	955
प्रतिशत	44.81	55.19	33.29	66.71	26.17	68.66

स्त्रोतः पुलिस अधीक्षक कार्यालय, रोहतक

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि नगर में व्यक्ति संबंधित अपराध की अपेक्षा संपत्ति संबंधित अपराध अधिक मात्रा में पाया जाता है। आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि पिछले तीन वर्षों में संपत्ति संबंधित अपराध अधिक हुए हैं। 2016 में व्यक्ति संबंधित अपराधों की संख्या 716 थी जो कुल अपराधों का 44.81 प्रतिशत थी। वहीं संपत्ति संबंधित अपराधों की संख्या 882 थी जो कुल अपराधों की संख्या का 55.19 प्रतिशत थी। 2017 में व्यक्ति संबंधित अपराध घटकर 33.29 प्रतिशत हो गए जबकि संपत्ति संबंधित अपराध में 66.71 प्रतिशत की वृद्धि पाई गई। 2018 में पुनः व्यक्ति विरुद्ध अपराध में गिरावट आई जो कुल अपराधों की 26.17 प्रतिशत रही जबकि संपत्ति संबंधित अपराध बढ़कर 68.66 प्रतिशत हो गया है। रोहतक नगर मे जनसंख्या का अधिक घनत्व, नगरीय जनसंख्या, व्यापारिक केंद्र एवं सांस्कृतिक असमानता आदि विभिन्न कारणों से अपराधों में वृद्धि हुई है। स्थानीय आंकड़े यह दर्शाते हैं कि नगर में पुलिस थानों में व्यक्ति संबंधित अपराधकी तुलना में संपत्ति संबंधित अपराध की घटनाएं मुख्य रूप से दर्ज की गई हैं औरयह भी देखा गया है कि घनी संख्या वाले क्षेत्रों में संपत्ति से संबंधित अपराध अधिक हैं जबकि विरल क्षेत्रों में व्यक्ति से संबंधित अपराध अधिक पाए जाते हैं।

जलवायवीय विशेषताएं

रोहतक नगर की जलवायु अत्यंत शुष्क है। गर्मियों में अधिक गर्मी तथा सर्दियों में अधिक सर्दी होती है। मई तथा जून गर्मियों के महीने है। सापेक्ष आर्द्रता गर्मियों में

कम तथा सर्दियों में मध्यम तथा वर्षा के दिनों में अधिकतम होती है। इसके अलावा मनुष्य के क्रियाकलापों को भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जलवायु प्रभावित करती है। रोहतक नगर की जलवायु तापमान, आर्द्रता तथा वायु के कारण विशेष प्रकार की है।गर्मियों में मौसम बहुत गर्म 38.8°सेल्सियस से ऊपर तथा सर्दियों में 7.6°सेल्सियस से नीचे रहता है।जहां मई तथा जून के महीने सबसे अधिक गर्मी होती है वहीं दिसंबर व जनवरी के महीने अधिक ठंड होती है। वर्षा की दर ऋतु के अनुसार भिन्न है 80% वर्षा मानसून के मौसम में जुलाई सितंबर में होती है यहां नगर में हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का सर्वेक्षण किया जा चुका है जो मौसम संबंधी सभी घटनाओं का ब्यौरा अपने पास रखता है। नगर की जलवायु तथा आस–पास क्षेत्र भी जलवायु को मौसम के संदर्भ के साथ अच्छी प्रकार से समझाया जा सकता है जिन्हें नगर वर्षभर अनुभव करता है। नगर के मौसमों को मुख्यतः तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं जो नगर पूरे साल में अनुभव करता है। ये तीन मौसम इस प्रकार है :–

(क) ग्रीष्म काल (मार्च से मध्य जून तक)

(ख) वर्षा ऋतु (मध्य जून से सितंबर तक)

(ग) शीत ऋतु (अक्टूबर से फरवरी तक)

अपराध में ऋतु अनुसार परिवर्तन

अपराध में परिवर्तन जलवायु, मौसम, ऋतु आदि की बदलती परिस्थितियों के साथ भी पाया जाताहै। शुष्क और गर्म जलवायु क्षेत्रों में कुछ विशेष प्रकार के अपराध घटित होते है, जबकि शीत क्षेत्रों में कंपकंपाती सर्दी में कुछ विशेष प्रकार के अपराध घटित होते है। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि क्षेत्रीय स्तर पर अपराध कीदर का संबंध अपराध के प्रकार और जलवायु की परिस्थितियों के अनुसार होता है। Tappan ने अमेरिका में अपराध संबंधी अध्ययन द्वारा यह बतानेका प्रयास किया है कि देश के दक्षिणी भागमें जो कि गर्म क्षेत्र है उत्तेजनात्मक अपराध जैसे कि हत्या, एवं आक्रमण अधिकमात्रा में पाया गया है जबकि इस प्रकार के अपराध न्यू इंग्लैंड में कम मात्रा मेंपाये गए हैं। Huntington ने यह बताने का प्रयास किया है कि भौगोलिक कारक विशेष रूप से मौसम जो आंशिक रूप से आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन की नैतिकता को प्रभावित करते हैं तथा यह भी देखा गया है कि अपराध दर वायु, भारऔर हवा की दिशा के साथ बदलते हैं।

तालिका 3. रोहतक नगर में ऋतुनुसारअपराध(2016–2018)

मौसमानुसार महिने	2016								
	व्यक्ति संबंधित				संपति संबंधित			कुल	प्रतिशत
	हत्या	दंगा	अपहरण	बलात्कार	डकैती	लूट	चोरी		
नवंबर से फरवरी	10	60	90	11	0	5	281	457	37
मार्च से जून	13	0	82	14	4	4	231	348	28.18
जुलाई से अक्तूबर	3	0	63	7	6	10	341	430	34.82
कुल	26	60	235	32	10	19	853	1235	100.00
2017									
नवंबर से फरवरी	12	26	102	10	1	12	380	543	40.04
मार्च से जून	4	13	94	19	2	2	304	438	32.31
जुलाई से अक्तूबर	8	33	77	24	0	5	228	375	27.65
कुल	24	72	273	53	3	19	912	1356	100.00
2018									
नवंबर से फरवरी	5	33	56	6	2	6	412	520	40.69
मार्च से जून	13	28	45	20	0	2	302	410	32.08
जुलाई से अक्तूबर	9	29	41	37	0	3	229	348	27.23
कुल	27	90	142	63	2	11	943	1278	100.00

स्त्रोतः पुलिस अधीक्षक कार्यालय, रोहतक

एक रिसर्च रिपोर्ट(ब्रिटेन) के अनुसार अपराध तापमान के अनुसार बढ़ते हैं क्योंकि तापमान में वृद्धि के साथ साथ पर्यावरणीय तनाव के कारण मनुष्य का जैविक तंत्र प्रभावित होता है और वह अत्यधिक उत्तेजित होकर अपराध करता है। गर्मियों का तापमान भावनाओं को उत्तेजित कर देता है और विवेकहीनता को बढ़ता है जिससे हिंसा की प्रवृत्ति उजागर होती है। आंकड़ों के चित्र एवं विश्लेषण यह स्पष्ट करते है कि अन्य मौसम की अपेक्षा सर्दियों के मौसम मेंसंपत्ति से संबंधित अपराध अधिक हुए हैं। सर्दियों में संपत्ति से संबंधित अपराध अधिक होने का मुख्यकारण इस ऋतु में आर्थिक आवश्यकताएं अधिक प्रबल होना है जैस अधिक कपड़े एवं ईंधन की आवश्यकता होना है जिसके परिणामस्वरूप समाज के निम्नआर्थिक स्तर के व्यक्ति अक्सर लूट व चोरी करते हैं। इसके उपरांत शीत ऋतु मेंरात्रि की अवधि होने के कारण तथा कोहरा छाने के कारण ये अपराध अधिक होते हैं क्योंकि सामान्यतः शीत ऋतु में कम तापमान के कारण व्यक्ति खिड़की दरवाजें बंद कर अपने घरों में रहते हैं जिससे आस–पड़ोस में हुई वारदातों का आसानी से पता नहीं चल पाता है। ग्रीष्मकालिन ऋतु में व्यक्ति विरुद्ध अपराध अधिक मात्रा में होते हैं। नगर में आर्थिक संरचना बिगड़ने के कारण तथा बेरोजगारी बढ़ने के कारण नगरोंमें चोरी की घटनाएं अधिक मात्रा में बढ़ गई हैं जिसका प्रचलन शीत ऋतु में अधिकपाया जाता है अतः 2017 में शीत ऋतु में अपराध की संख्या दूसरी ऋतुओं की तुलनामें अधिक पाई गई है। जिसका विवरण तालिका 5.17 में दर्शाया गयाअतः 2016 में कुल 1235 अपराध दर्ज हुए। जिसमें से सर्वाधिक37 प्रतिशत शीतऋतु में,34.82 प्रतिशत वर्षा ऋतु में 28.18 प्रतिशत ग्रीष्मऋतु में पाए गए हैं। इसी प्रकार 2017 में कुल 1356 अपराध दर्ज हुए, जिनमें से सर्वाधिक अपराध 40.04 प्रतिशतशीत ऋतु में, 32.31 प्रतिशत ग्रीष्म ऋतु में एवं 27.65 प्रतिशत वर्षा ऋतु में पाए गए हैं।सन् 2018 में कुल 1278 अपराध दर्ज हुए हैं जिसमें सर्वाधिक 40.69 प्रतिशत शीत ऋतुमें, 32.08 प्रतिशत ग्रीष्म ऋतु में तथा 27.23 प्रतिशत वर्षा ऋतु में पाया गया है।

चित्र संख्या–1

ठंड बढ़ने के साथ बढ़ी सेंधमारी की वारदात, 2 जगह चोरी

भास्कर न्यूज | रोहतक

श्रीनगर कॉलोनी में चोर मकान से सोने-चांदी के गहने समेत अन्य सामान चोरी कर ले गए। थाना पीजीआई पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। श्रीनगर कॉलोनी निवासी प्रवीन अहलावत ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 4 जनवरी को उनके मकान पर टायल घिसाई व चिनाई का काम चल रहा था। वह छत पर धूप में बैठा हुआ था। दोपहर को लेबर जब खाना खाने चली गई। जब वो छत से नीचे आया तो सामान बिखरा मिला। अलमारी में रखे ज्वेलरी के बॉक्स से एक सोने की चेन, एक लॉकेट, तीन जोड़ी सोने के टॉप्स, एक अंगूठी सोने की, एक जोड़ी टॉप्स , एक जोड़ी पाजेब चांदी समेत अन्य समान गायब मिला। अमित ने घर पर काम करने वाले लोगों पर शक जाहिर किया है। गांधी कैंप चौकी पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

बोहर में प्यून के मकान से गहने-नकदी ले गए चोर

गांव बोहर में चोर गुरुवार को दिन दिहाड़े मकान से हजारों रुपए की नकदी और गहने चोरी कर ले गए। थाना अर्बन एस्टेट पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गांव बोहर निवासी सुनीता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह सीआर कॉलेज में पियन की नौकरी करती हूं। गुरुवार को मैं ड्यूटी पर गई हुई थी। घर पर मेरी सास सुशीला अकेली थी। वह करीब दो बजे घर गई तो सारा सामान बिखरा हुआ मिला। मकान से 17 हजार रुपए, बच्चों के सोने व चांदी के घुघरू, चांद-सूरज, एक सोने की अंगूठी, एक जोड़ी सोने की बाले व चार नाक की सोने की तिली नहीं मिली। थाना अर्बन एस्टेट पुलिस मामले की जांच कर रही है

चित्र संख्या–2

सेंधमारी के बढ़ते ग्राफ पर पुलिस की एडवाइजरी

शहर से बाहर जाएं तो पुलिस को बता दें कितने दिनों के लिए कहां जा रहे हो आप

रोहतक | सर्दी की रातों में चोरी की घटनाएं की संभावना ज्यादा होती है। पुलिस की ओर से शहर वासियों के लिए एडवाइजरी की गई। सर्दी की छुट्टियों में जब भी कोई मकान मालिक बाहर घूमने के लिए जाए तो संबंधित थाना पुलिस को सूचित करें। इसके अलावा अपने पड़ोसी को इस बारे में सूचना दें। पुलिस सर्द रातों में सड़क पर घूमने वालों की चेकिंग करने के साथ उनका पूरा ब्योरा दर्ज करेगी। यह सारी कवायद ठंड के मौसम में बढ़ी चोरों की सक्रियता को देखते हुए शुरू की जा रही है। सर्दी की लंबी रातों, सुनसान सड़कें और अंधेरा का फायदा चोर न उठाए इसके लिए पुलिस की राइडर और पीसीआर निरंतर चेकिंग अभियान चलाएंगी।

अदालत की 2 जनवरी तक रहेंगी शीतकालीन छुट्टियां

रोहतक। जिला अदालत की शीतकालीन की छुट्टियां शुरू हो चुकी है। बार प्रधान के अनुसार दो जनवरी तक कोर्ट की छुट्टी रहेगी। रूटीन के मामलों के निपटारे के लिए दो जेएमआईसी और एडिशनल सेशन जज की अदालत लगेंगी। इन अदालतों में रूटीन का काम किया जाएगा। अब नए साल के बाद ही अदालत परिसर की अन्य अदालतों में काम शुरू हो पाएगा।

चित्र संख्या–3

सर्दी में चोरों का आतंक • शहर के हाई सिक्योरिटी जोन में वारदात, सुबह तक अनजान रही पुलिस

एसपी आवास के सामने रिलायंस शोरूम में चोरी, लाखों के लैपटॉप, कैमरे व फोन ले गए

हाई सिक्योरिटी जोन का सच : पुलिस को चोरी का पता भी तब लगा जब शोरूम से फोन आया

छत के रास्ते घुसे, तीन दरवाजों के ताले तोड़ सामान पर किया हाथ साफ : पुलिस के अनुसार चोर शोरूम के साथ लगती निर्माणाधीन बिल्डिंग से शोरूम में छत के रास्ते घुसे। सीढ़ियों के दरवाजे समेत तीन जगह के दरवाजों के ताले तोड़कर लाखों रुपए की कीमत का सामान चोरी कर ले गए। मंगलवार सुबह जब शोरूम का स्टाफ आया तो घटना के बारे में पता चला। मामले के बारे में सिविल लाइन पुलिस को सूचित किया। थाना सिविल लाइन पुलिस ने इस मामले में शोरूम के मैनेजर के बयान पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

निष्कर्ष

उपर्युक्त आंकड़ों का विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि चोरी, लूटपाट, डकैती में मौसम के अनुरूप अधिक विभिन्नता प्रकट नहीं होती लेकिन नगर में सर्दियों में गर्मियों की अपेक्षा अधिक अपराध होते हैं। लूट के अधिक मामले शीत ऋतु मेंअधिक दर्ज किए गए हैं, संपत्ति से संबंधित अपराधों की मात्रा के पर्याप्त कारण हैं। इस प्रकार के अपराध सामान्यतः रात के अंधकार में किए जाते हैं। यह देखा गया है कि अपराध की घटनाएं चंद्रमा की स्थिति के अनुरूप भिन्न होती है। उदाहरणार्थ अपराध चंद्रकलाओं की पहली अवस्था कृष्ण पक्ष में अपराध रात्रि केसमय में अधिक किए जाते हैं जबकि चंद्रकला की दूसरी अवस्था शुक्ल पक्ष में अपराध रात्रि के समय में कम रहते हैं। प्रत्यक्ष रूप से रात के अंधकार का समय अपराध करने के लिए अधिक सुरक्षित समझा जाता है। यही कारण है कि महीने के पहले और आखिरी सप्ताह में संपत्ति से संबंधित अपराध अधिक होते हैं। मौसम और अपराध में संबंध चित्र में भली–भांति प्रदर्शित किया गया है।

संदर्भ

8. Goswami, P., 1964 : Criminology, p.21
9. Marshal. B. Clinard & Dainard J. Abbott, 1973, Crime in Developing Countries, p.11
10. डॉ. के के. शर्मा 'सहारनपुर संदर्भ' ।
11. गोस्वामी पी.. क्रिमिनोलोजी, 1964, पृष्ठ–163
12. डोनाल्ड टेफ्ट : क्रिमिनोलोजी, (संस्करण 4) पृष्ठ–129
13. क्यूनी रिचर्ड : दि सोशल रियलिटी ऑफ क्राइम (1970), पृष्ठ–131
14. डब्ल्यू. ए बोंगर : क्रिमिनेलिटी एंड इकानामिक कंडीशन्स (पी. हार्टन द्वारा अनुदित), पृष्ठ–107
15. गेब्रिल हार्ड : पेनल फिलोसफी, पृष्ठ–38
16. Tappan, W. Paul, 1960: Crime Justice and Correction, MC Grew Hill BookCo., New York.
10. Huntington, Elsworth (1945): Mainspirings of classification, Willey & Sons, New York, p.608..
11. Morsis, A. (1934); Criminality, Longmans' Green, New York.
12. mekay, H.D. (1942): Juvenile Delingquency Urban ariss Oxford.
13. Adebadkum, A. (1990): Essays on Crime & Development.
14. Kassibown, G. (1982): Crime and Economic Development Indian Jr. OfSocial Work, Vol.-XLL, No.1, pp.1-10.
15. Smith, Bruece (1933): Rural Crime Control, New York, Institute of PublicAdministration.
16. Shannan; L.A. (1954) : The Spatial Distribution of Criminal Offencies byStats, Jr. of Criminal Law, p.264-273.

कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा : चुनौतियाँ और अवसर

सुनीता सिंह[1] व नितेश कुमार मौर्य[2]

[1]शिक्षाशास्त्र विभाग, रमाबाई राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अकबरपुर, अम्बेडकरनगर, उत्तर प्रदेश
सम्बद्ध– डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या, उत्तर प्रदेश, भारत
[2]शिक्षाशास्त्र विभाग, राजकीय महिला महाविद्यालय, समदी, अहिरौला, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश,
सम्बद्ध–वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर, उत्तर प्रदेश, भारत
[1]sunitasinghfd@gmail.com, [2]samratcrimebranch@gmail.com

शोध सारांश

कोरोना वायरस महामारी के भयावह प्रकोप का मानव–जीवन के प्रत्येक क्षेत्र– कृषि, अर्थव्यवस्था, उद्योग, रोजगार, समाज, चिकित्सा, स्वास्थ्य, पोषण, जनसंचार माध्यम, तकनीक, मानसिक स्वास्थ्य, पर्यटन एवं अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध आदि पर गहरा प्रभाव पड़ा है। शिक्षा का क्षेत्र भी इस प्रकोप से अछूता नहीं रहा है। समस्त विश्व के करोड़ों विद्यालय, महाविद्यालय व शिक्षण–संस्थान विगत वर्ष से पूर्णतया बन्द हैं, जिससे कि कोरोनावायरस से बचाव हो सके। अध्ययन–अध्यापन की प्रक्रिया भौतिक रूप से सम्पन्न न हो पाने की स्थिति में कमोवेश ऑनलाइन शिक्षा के नवीन स्वरूप, जैसे– जूम एप, गूगलमीट, गूगलक्लासरूम, ऑनलाइन शिक्षण अधिगम पोर्टल, मूडल, मूक आदि को अपनाने में एक विचारणीय वृद्धि दर्ज की जा रही है। हालांकि कोविड–19 के प्रकोप से पूर्व भी ऑनलाइन शिक्षा क्षेत्र अभूतपूर्व गति से वृद्धि कर रहा था, किन्तु वर्तमान समस्या के दृष्टिगत अकादमी का अन्तःक्रिया जहाँ एक ओर शिक्षक व छात्र के लिए अनन्त सम्भावनाएं समेटे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर ऑनलाइन शिक्षा से जुड़ी अनेक चुनौतियां भी हैं। जिनका समाधान करके परम्परागतशिक्षा व्यवस्था को अधिक मजबूत व उपयोगी बनाया जा सकता है। प्रस्तुत शोध आलेख में लेखक द्वारा कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा में हुए विस्तार, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के लिए नये आयामों व ऑनलाइन शिक्षा के दौरान आने वाली समस्याओं को जानने का प्रयास किया गया है तथा ऑनलाइन शिक्षा के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों के समाधान पर भी प्रकाश डाला गया है।

मुख्य शब्द *: कोरोना वायरस, ऑनलाइन, शिक्षा, शिक्षण, दूरस्थ शिक्षा।*

परिचय

भारत में शिक्षा के क्षेत्र में अनेकों परिवर्तन हुए है। 21वीं सदी में शिक्षा का स्तर उच्च बनाए रखने के लिए भारत सरकार सदैव प्रयत्नशील रही है। जिसका परिणाम यह देखने को मिला है कि, शिक्षा की व्यवस्था सभी वर्ग, जाति, धर्म के व्यक्तियों के लिए की गयी है। मनुष्य शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन में सफलता प्राप्त करके जीवन में आने वाली सभी चुनौतियों का डट कर सामना करने में सक्षम रहता है। परन्तु आज वैश्विक महामारी नोवल कोरोना वायरस या कोविड–19 के तेजी से फैल रहे संक्रमण के कारण देश के सभी नागरिकों तक शिक्षा की पहुँच नहीं हो पा रही है। जिसका मुख्य कारण यह है कि, कोविड–19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 24 मार्च 2020 को "राष्ट्र के नाम" अपने सम्बोधन में यह दिशा–निर्देश जारी कियागयाकि, 'देश में अगले 21 दिनों तक सम्पूर्ण भारत में सम्पूर्ण लॉकडाउन' होगा (25 मार्च 2020 से 14 अप्रैल 2020तक)। पीएम ने कहा कि, स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख विशेषज्ञों और अन्य देशों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए सम्पूर्ण देश में लॉकडाउन करने का निर्णय लिया गया है। इसके पश्चात् कोरोना वायरस से बचने और उचित सामाजिक दूरीबनाये रखने के लिए निरन्तर समय–समय पर देश में लॉकडाउन जारी रखा गया, अर्थात भारत सरकार द्वारा दूसरी बार लॉकडाउन 15 अप्रैल 2020 से 3 मई 2020 तक 19 दिनों के लिए, तीसरी बार 4 मई 2020 से 17 मई 2020 तक 14 दिनों के लिए, चौथी बार 18 मई 2020 से 31 मई 2020 तक 14 दिनों के लिए तथा पांचवी बार 1 जून 2020 से 30 जून 2020 तक 30 दिनों के लिए लॉकडाउन हुआ। सरकार के इसी दिशा निर्देशों के फलस्वरूप सभी स्कूल, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि शिक्षा संस्थाएंबंद कर दी गयी। ऐसी परिस्थिति में निश्चय ही शिक्षा का स्तर नीचे गिर सकता है। क्योकि स्कूल, महाविद्यालय आदि के बंद होने पर शिक्षा द्वारा प्राप्त होने वाले ज्ञान, विनय, विद्या, अनुभव आदि मूल्यों से विद्यार्थी समूह वर्ग वंचित हो रहें हैं। केंद्र सरकार एवं सभी राज्य सरकारें शिक्षा व्यवस्था को सुचारू ढंग से निरंतर चलाने की दृष्टि से प्रयत्न कर रही हैं। भारत सरकार सभी तक शिक्षा की पहुँच को सुनिश्चित करने के संदर्भ में ऑनलाइन, इन्टरनेट प्रौद्योगिकी आदि के माध्यम से 'वेब पोर्टल' जारी करके शिक्षा प्रदान करने की दिशा में प्रयासरत है। जिससे कि देश के किसी भी कोने में स्थित विद्यार्थियों तक शिक्षा को सरलता से पहुँचाया जा सके। वास्तव में इस समय शिक्षा को आमजन तक पहुँचाने के लिए यही एकमात्र साधन है। अतः शिक्षा की पहुँच को देश के सभी लोगो तक सुनिश्चित करना ही महामारी कोविड–19 के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती है।

शोध आलेख का उद्देश्य

- कोरोना महामारी के कारण भारत में ऑनलाइन शिक्षा की वास्तविक स्थिति का पता लगाना ।
- कोरोना काल में भारत सरकार द्वारा शिक्षा के डिजिटलीकरण हेतु किये जाने वाले प्रयासों की जानकारी एकत्र करना ।
- भारत के विभिन्न राज्यों में कोरोना महामारी के कारण ऑनलाइन शिक्षा की वस्तुस्थिति का पता लगाना ।
- ऑनलाइन शिक्षा को वृहद स्तर पर साकार रूप लेने में शिक्षकों एवं छात्रों द्वारा अनुभव की जाने वाली चुनौतियों/समस्याओं को जानना ।
- कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था को लागू करने से प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा के क्षेत्रों में आयें प्रभावों/परिवर्तनों को जानना ।
- भारत में ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था के सफल संचालन के लिए सुझाव प्रस्तुत करना ।

कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा

कोरोना काल के समय सभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के कक्षा–कक्ष शिक्षण कार्य स्थगित होने के कारण भारत में ऑनलाइन इन्टरनेट यूजर्स की संख्या में काफी वृद्धि हुई है । इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट (2019) के अनुसार भारत के ग्रामीण इलाकों में 22.70 करोड़ इंटरनेट यूजर हैं जबकि शहरों में यह संख्या 20.50 करोड़ है अर्थात कोरोना काल में शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट यूजर्स अधिक हो गए है। रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2019 में भारत में 45.1 करोड़ इन्टरनेट यूजर्स थें जिनमें 5.3 करोड़ इन्टरनेट यूजर्स का इजाफा कोरोना काल में हुआ है। जिससे वर्तमान भारत में पांच साल से अधिक उम्र के एक्टिव इंटरनेट यूजर की संख्या 50.40 करोड़ हो गई है। वैश्विक स्तर की यदि बात की जाय तो चीन में एक्टिव मोबाइल यूजर की संख्या लगभग 85 करोड़ है तथा सयुंक्त राज्य अमेरिका में इंटरनेट यूजर की संख्या लगभग 28–30 करोड़ के आसपास है, इस हिसाब दुनिया में ऑनलाइन इंटरनेट यूज के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। इस भयावह बीमारी के कारण देश के सभी विद्यार्थी, शिक्षाविद अपने–अपने घरों में ई–लर्निंग अथवा सरकार द्वारा जारी किये गए शिक्षा के विभिन्न वेब पोर्टलों के माध्यम से अध्ययन कर रहें है। लॉकडाउन के दौरान इस दिशा में कार्य करते हुए 'अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्' (A.I.C.T.E.) ने एक वेब पोर्टल (http://free.aicte-india.org/) जारी किया है। जिसके माध्यम से विद्यार्थी तकनीकी शिक्षा के कोर्सेज का ऑनलाइन अध्ययन–अध्यापन कर सकतें है एवं प्रमाणपत्र भी प्राप्त कर सकतें हैं। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (U.G.C.) द्वारा जारी स्वयं,स्वयंप्रभाआदि वेब पोर्टल के माध्यम से भी विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की जा रही है। हम कह सकतें है कि, कोविड–19 महामारी के संकट के समय में भारत सरकार शिक्षा के स्तर को उच्च बनाए रखने की दृष्टि से हर संभव प्रयास कर रहा है। जिससे कि सभी को शिक्षा प्राप्त हो सके, एवं सबका विकास हो सके। परन्तु वेब पोर्टल या इंटरनेट के माध्यम से प्रत्येक विद्यार्थी एवं शिक्षक तक शिक्षा की पहुँच को सुनिश्चित कर पाना संभवतः मुश्किल है। इसका मुख्य कारण यह है कि, भारत में केवल 31.68 फीसदी लोगों को ही इंटरनेट प्रौद्योगिकी आदि के उपयोग की संज्ञानता एवं अनुप्रयोग के संसाधनों की उपलब्धता है। जबकि 68.32 फीसदी व्यक्तियों के पास न ही प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के संसाधन उपलब्ध है और न ही उसके उपयोग करने की संज्ञानता है।

कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा हेतु किये गए सरकारी प्रयास

प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में

प्राथमिक शिक्षा का बालक के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है । जिस प्रकार की शिक्षा उसेप्रदान की जाएगी, उसी प्रकार से बालक के जीवन का भविष्य तय होगा। परन्तु आज वर्तमान कोरोना काल में विद्यार्थियों की प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा संकट में पड़ गयी है। इस महामारी के कारण भारत के सभी राज्यों के स्कूल, विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों को सरकार के निर्देशानुसार बंद कर दिया गया है। ऐसी परिस्थितियों में विद्यार्थी निश्चय ही शिक्षा की प्राप्ति से वंचित हो रहें हैं साथ ही अपने जीवन लक्ष्यों को भी प्राप्त करने में असफल हो रहें हैं। एक तरफ जहाँ देश के सभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बंद पड़े हुए हैं तो दूसरी तरफ शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण जारी करने की दिशा में ऑनलाइन शिक्षा ही एकमात्र विकल्प रह गया है। यही कारण है कि, कोरोना काल में परम्परागत कक्षा–कक्ष अध्ययन–अध्यापन प्रक्रिया का स्थान ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल ई–शिक्षा एवं दूरस्थ शिक्षा को दे दिया गया है। अर्थात कोरोना काल से पूर्व, शिक्षा में प्रचलित आमने–सामने सम्प्रेषण का स्थान अब मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट, कंप्यूटर आदि ई–डिजिटल डिवाइसों ने कक्षा का स्वरूप ले लिया है। जिससे छात्र एवं शिक्षक दोनों ही अपनी अध्ययन–अध्यापन प्रक्रिया को बढ़ावा दे रहें हैं। इसके साथ ही ऑनलाइन शिक्षा

को जूम एप, गूगलमीट, गूगलक्लासरूम, ऑनलाइन शिक्षण अधिगम पोर्टल, मूडल, मूक आदि के माध्यम से भी सम्पन्न किया जा रहा है। कोरोना काल में प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में 14 जुलाई 2020 को भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय पूर्व –प्राथमिक एवं प्राथमिक स्कूलों द्वारा ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से डिजिटल शिक्षा पर 'प्रज्ञाता' (पीआरएजीवाईएटीए) दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा कि, इसमें ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा के आठ चरणहैं, जिनमें योजना, समीक्षा, व्यवस्था, मार्गदर्शन, वाक (बात), असाइन, ट्रैक और सराहना शामिल हैं। ये आठ चरण उदाहरणों के साथ चरणबद्ध तरीके से डिजिटल शिक्षा की योजना और कार्यान्वयन का मार्गदर्शन करतें हैं।'प्रज्ञाता' दिशा–निर्देश विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से विकसित किए गए हैं, जो लॉकडाउन के कारण अभी घरों पर मौजूद छात्रों के लिए ऑनलाइन मिश्रित/डिजिटल/शिक्षा पर केंद्रित है। प्री–प्राइमरी छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षा की अवधि 30 मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए। कक्षा 1 से 8 के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 45 मिनट के दो ऑनलाइन सत्र की सिफारिश कीहैं। कोरोना काल में प्राथमिक स्तर पर बच्चों की ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा की दिशा में एक पहल के रूप में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 17 मई 2020 को पहले से मौजूद "दीक्षा" (डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर यानॉलेज शेयरिंग) पहल के साथ ऑनलाइन शिक्षा का एक मल्टी–मोड डिजिटल प्लेटफॉर्म 'पीएमईविद्या' जारी करने की घोषणा की है। पीएम ई–विद्या के माध्यम से भारत में "एक राष्ट्र एक डिजिटल प्लेटफार्म" आरंभ किया जाएगा। जिसके माध्यम से प्रत्येक कक्षा के लिए टेलीविजन पर एक डीटीएचचैनलतैयार किया जायेगा। पीएम ई–विद्या के माध्यम सेसामुदायिक रेडियो और पोडकास्ट का भी व्यापक उपयोग किया जाएगा। जो बच्चों और परिवारों को भावनात्मक और मानसिक सहारा देने के कार्यक्रम 'मनोदर्पण' के संदर्भ में होगा।मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के 'स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग' द्वारा जारी जून, 2020 में 'इंडिया रिपोर्ट डिजिटल एजुकेशन' के अनुसार भारत के विभिन्न राज्यों में ऑनलाइन शिक्षा हेतु किये गए प्रयासों की यथास्थिति को सारणी संख्या 1 में प्रस्तुत किया गया है–

सारणी संख्या–1. भारत के विभिन्न राज्यों में ऑनलाइन शिक्षा की वस्तुस्थिति–

क्र.सं.	कार्यक्रम	उत्तरप्रदेश	केरल	तमिलनाडु	राजस्थान	बिहार	पंजाब	हरियाणा	दिल्ली
1	डिजिटल क्लासरूम	Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y
2	आईसीटी लैब	Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y
3	ऑनलाइन एडमिशन		Y	Y		Y			Y
4	ई–कंटेंट रिपॉजिटरी	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y
5	ई–बुक	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
6	इंटरैक्टिव रिसोर्से ऑनलाइन	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
7	एजुकेशनल टेलीविजन	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
8	एजुकेशनल रेडिओ चैनल	Y	Y		Y		Y		
9	वेब टेलीविजन चैनल	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
10	ई–लर्निंग पोर्टल	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
11	मोबाइल एप्लीकेशन	Y		Y	Y	Y	Y		
12	कंप्यूटर आधारित अधिगम	Y	Y	Y	Y			Y	Y

स्रोत–https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/India_Report_Digital_Education_0.pdfसे 20 जनवरी, 2021 को लिया गया ।

कोरोना काल में जहाँ एक ओर भारत सरकार विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने की दिशा में प्रयासरत है तो वही दूसरी ओर राज्य सरकारें भी ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देतें हुए विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों तक शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करने में प्रयत्नशील है (सारणी संख्या–1. में देखें) ।

माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा के संदर्भ में

कोरोना काल के दौरान देश की माध्यमिक शिक्षा भी उतनी ही प्रभावित हुई है जितनी कि प्राथमिक शिक्षा। मानव संसाधन विकास मंत्रालयद्वारा जारी दिशानिर्देश 'प्रज्ञाता' के अनुसारकक्षा 9से 12तकके बच्चों के लिए 30–45मिनट की अवधि के चार सत्र की सिफारिश की गई है। ऑनलाइन शिक्षा के दौरान बच्चों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, परन्तु इसके अधिकाधिक उपयोग करने के फलस्वरूप बच्चे सरलता से उपयोग करने में सक्षम हो रहें है। इस दिशा में भारत सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है। जिससे कि, प्रत्येक विद्यार्थी अपने को वैश्विक स्तर पर

उपलब्ध ज्ञान के खुलेपन एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की प्रतिस्पर्धा में तैयार रखने में सक्षम हो सके। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा स्तर पर ऑनलाइन एवं दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक प्रमुख पहल 'स्वयं' अर्थात 'स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स' (SWAYAM) एक एकीकृत ई–पोर्टल है, जो स्कूली शिक्षा (कक्षा 9वीं से 12वीं) से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है।SWAYAM पर अब तक 3605 'मूक' अर्थात 'विस्तृत खुला ऑनलाइन पाठ्यक्रम' (Massive Open Online Courses- MOOC) अपलोड किये गये हैं, जिसमें लगभग 1.61 करोड़ छात्रों ने विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया है (सारणी संख्या 2 में देखें)।

सारणी संख्या–2.भारत के विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं द्वारा 'स्वयं ऑनलाइन वेब पोर्टल' पर अपलोड की गयी शिक्षा पाठ्यक्रमों एवं उनमें अध्ययनरत व सफल विद्यार्थियों की वस्तुस्थिति–

S.N.	Institute	Education Level	Completed Courses	Student Enrollment	Successful Certification	Web link
1	NIOS	School Education	174	3132625	0	https://swayam.gov.in/nc_details/NIOS
2	NCERT	School Education	112	234526	0	https://swayam.gov.in/nc_details/NCERT
3	IGNOU	Out-of-School Education	111	226547	1440	https://swayam.gov.in/nc_details/IGNOU
4	NITTTR	Out-of-School Education - for Teacher Training Programme	70	183997	961	https://swayam.gov.in/nc_details/NITTTR
5	CEC	Under-Graduate Education	587	1235001	9691	https://swayam.gov.in/nc_details/CEC
6	NPTEL	Under & Post Graduate Education- for Engineering	2052	10252010	631545	https://swayam.gov.in/nc_details/NPTEL
7	AICTE	Under & Post Graduate Education- for Self-Paced and International Courses	131	280628	10233	https://swayam.gov.in/nc_details/AICTE
8	IIMB	Under & Post Graduate Education- for Management Studies	105	329250	3383	https://swayam.gov.in/nc_details/IIMB
9	UGC	Post-Graduate Education	263	284766	9289	https://swayam.gov.in/nc_details/UGC
10	Total		3605	16,159,350	667503	

स्रोत–https://swayam.gov.in/से 21 जनवरी, 2021को लिया गया ।

भारत सरकार की विभिन्न नियामक संस्थाएं 'राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान' (N.I.O.S.) एवं 'अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद' (A.I.C.T.E.) द्वारा स्कूली विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए कुल 286'विस्तृत खुला ऑनलाइन पाठ्यक्रम' (Massive Open Online Courses- MOOCs) चलाए जा रहें हैं । जिसमें अबतक कुल 33.67 लाख विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है । 'इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय' (I.G.N.O.U) द्वारा 111 ऑनलाइन पाठ्यक्रम व 'राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान' (N.I.T.T.T.R.) द्वारा शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु 70 पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहें हैं । उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी विभिन्न शिक्षा संस्थाओं द्वारा 'स्वयं वेब पोर्टल' पर ऑनलाइन 'मूक' के माध्यम से विभिन्न पाठ्यक्रम उपलब्ध कराएँ जा रहें है । स्नातक एवं परास्नातक विद्यार्थियों के लिए 'कंसोर्टियम एजुकेशनल कम्युनिकेशन' (C.E.C.), 'नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एन्हांस्ड लर्निंग' (N.P.T.E.L.), 'अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद' (A.I.C.T.E.), 'भारतीय प्रबंधन संस्थान बंगलोर' (I.I.M.B.) एवं 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' (U.G.C.) द्वारा कुल 3138 ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गएँ है जिसमें 1 करोड़ 23. 81लाख से अधिक विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है । इसके अतिरिक्त कोरोना काल में ऑनलाइन शि(ा ,वं दूरस्थ शि(ा को बढ़ावा देने में 'स्वयं प्रभा' (SWAYAM Prabha), 'राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी' (National Digital Library of India-NDL), 'एक एकल–खिड़की खोज सुविधा' (Single-Window Search Facility), 'स्पोकन ट्यूटोरियल' (Spoken Tutorial), 'शिक्षा के लिये निःशुल्क और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर' (Free and Open Source Software for Education), वर्चुअल लैब (Virtual Lab), 'ई–यंत्र' (E-Yantra) प्रयत्नशील हैं।जो पढ़ाई के नए–नए अवसर वेब और वीडियो कोर्स के माध्यम से प्रदान करती है। इसके द्वारा विभिन्न

पाठ्यक्रमों को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से डिजिटल बनाने के प्रयत्न को बढ़ावा दिया जा रहा है।

भारत के विभिन्न राज्यों में कोरोना महामारी के कारण ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में अनेक डिजिटल शिक्षा संबंधी गतिविधियों को लागू किया गया है । उत्तर प्रदेश में, 'मिशन प्रेरणा' 'ई–पाठशाला', टॉप पैरेंट एप', 'मैथ्स मस्ती', 'गूगल बोलो' व 'चिम्पल' शिक्षा प्रदान करने वाली एप जारी की गयी है । बिहार में, 'उन्नयन बिहार कार्यक्रम' के तहत 'मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय एप', 'विद्यावाहिनी बिहार एप', टीवी कार्यक्रम 'मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय', 'वृहद स्तर पर सामाजिक मीडिया आधारित अधिगम कार्यक्रम' 'डिजिटल एजुकेशन पोर्टल (http://www.bepcssa.in/en/digital-learning.php)', 'वेब आधारित अधिगम कार्यक्रम (https://www.youtube.com/channel/UCk-LGy9rQLi6t_A3UXw2GTQ)', 'बिहार इजी स्कूल ट्रेकिंग मोबाइल एप (BEST-www.bepcbest.com)' कार्यक्रम चलाये जा रहें है । केरल में, 'ऑनलाइन स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम' के तहत 'अवधिकाला संथोसंगल कार्यक्रम', 'अक्षरवृक्षम', 'ऑनलाइनSAMAGRA कंटेंट रिसोर्सेस पोर्टल' के द्वारा छात्रों कों शिक्षा दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है । तमिलनाडू में, 'ई–लर्निंग प्लेटफोर्म फॉर स्टूडेंट (https://elearn.tnschools.gov.in/)', छात्रों एवं शिक्षकों के लिए 'टी.एन.–दीक्षा एप', 'तमिलनाडू टीचर्स प्लेटफोर्म (https://elearn.tnschools.gov.in/)' पर शिक्षा दी जाती है । इसके अतिरिक्त यूट्यूब चौनल 'टीएनएससीइआरटी' और टेलीविजन चौनलों जैसे– 'कलविथोलिकोच्चि', 'अक्षय केबल', 'वीके डिजिटल (पॉलिमर)', 'टीसीसीएल' एवं 'टीएसीटीवी' के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गयी है । कोरोना काल में दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा 4अप्रैल, 2020को छात्रों एवं अभिभावकों के लिए 'कोरोना के समय में 'पेरेंटिंग प्रोग्राम' के तहत 'हर घर एक स्कूल, हर माता–पिता एक शिक्षक कार्यक्रम' जारी किया गया । कक्षा 10वीं एवं 12वीं के छात्रों के लिए 'हर दिन अंग्रेजी और व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम', 'डिजिटल उद्यमशीलता माइंडसेट क्लासेस' 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए, 'ऑनलाइन हैप्पीनेस क्लास फॉर फैमिली प्रोग्राम', कक्षा 11वीं के छात्रों के लिए 'लाइव ऑनलाइन क्लासेज' तथा इसके अतिरिक्त दिल्ली सरकार द्वारा अध्यापकों की शिक्षा हेतु 'ऑनलाइन क्षमता निर्माण कार्यक्रम (OCBP)' भी चलायें जा रहें है । इन सभी सरकारी प्रयासों के बाद भी देश के दुर्गम क्षेत्र के अधिकांश विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से अपनी शिक्षा पूर्ण करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

ऑनलाइन शिक्षा की चुनौतियाँ

विद्यार्थियों के लिए, महामारी कोविद–19 के दौरान विद्यार्थियों को इन्टरनेट के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने में उत्पन्न होने वाली समस्याएं एवं चुनौतियाँ निम्नलिखित है–**उपकरणों का अभाव,**इस माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के लिए सभी विद्यार्थियों के पास उपयुक्त उपकरणों का होना आवश्यक है। वर्तमान समय में भी भारत में डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है, देश के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में में अब भी उन छात्रों की संख्या काफी सीमित है, जिनके पास लैपटॉप, मोबाईल, कंप्यूटर या टैबलेट कंप्यूटर उपकरणों जैसी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। अतः ऐसे छात्रों के लिये ऑनलाइन शिक्षण कार्य से जुड़ना एक बड़ी समस्या है।**अनुशासन की कमी होना,** बिना आत्म अनुशासन या अच्छे संगठनात्मक कौशल के अभाव में, विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षा में की जाने वाली पढ़ाई में पिछड़ सकते हैं। परम्परागत माध्यम से पठन–पाठन की प्रक्रिया में कक्षा में बैठे विद्यार्थियों में अनुशासन की भावना को बनाए रखना शिक्षक के लिए एक बड़ी चनौती रही है। ऐसे में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के दौरान विद्यार्थियों में अनुशासन बनाए रखना ऑनलाइन शिक्षा की क्षेत्र मेंएक बड़ी चुनौती है। **मानसिक स्वास्थ्य पर अनुचित प्रभाव,** छोटी उम्र के बच्चों के लिए इन्टरनेट, कंप्यूटर आदि डिजिटल उपकरणों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने से उनकी मानसिक स्वास्थ्य पर अनुचित प्रभाव पड़ रहा है। समाचार पत्र दैनिक जागरण (11 जून 2020) के रिपोर्ट में कहा गया कि, न्यूरो फिजीशियन व मनोचिकित्सक डा. हरिनाथ यादव के मुताबिक 'अमेरिकन एकेडमिक आफ पीडियाट्रिक' द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार "पांच साल तक के बच्चे एक घंटे से अधिक स्क्रीन का इस्तेमाल न करें, वहीं छह साल से ऊपर के बच्चों को भी स्क्रीन देखने का समय सीमित रखना चाहिए। साथ ही उनके अभिभावकों को सतर्क रहना चाहिए कि उनका बच्चा मोबाइल, टीवी, लैपटाप, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि पर अधिक समय तो नहीं बिता रहा है। उन्होंने बताया कि हर दिन अनिद्रा, उदासी आदि बीमारियों से पीड़ित बच्चों, युवाओं की संख्या अस्पताल में बढ़ रही है"। यही कारण है कि, मध्य प्रदेश एवं कर्नाटक राज्य में कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा पर प्रतिबन्ध लगाया गया है जिससे कि वे मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकें। **बच्चों के आँखों पर स्क्रीनका दुष्प्रभाव,**मोबाइल एवं

कंप्यूटर के स्क्रीन पर ज्यादा अध्ययन करने से विद्यार्थियों की आँखों में विभिन्न प्रकार के विकार उत्पन्न होने लगतें है जो उनकी आँखों को बहुत नुकसान पहुंचा सकतें हैं । नव भारत टाइम्स (एन.बी.टी.) 7 मार्च 2020 एवं लाइव हिंदुस्तान 27 फ़रवरी 2013 के रिपोर्ट के अनुसार लगातार अधिक समय तक टी.वी., कंप्यूटर, लेपटॉप एवं मोबाईल आदि की स्क्रीनके कारण विद्यार्थियों की आँखों में कंप्यूटर विजन सिंड्रोम एवं ड्राई आई सिंड्रोम जैसे घातक बीमारियाँ भी हो सकती है।**बच्चों का अकेलापन उनकी शिक्षा में बाधक,**घर पर ऑनलाइन शिक्षा अध्यापन के समय छात्र बिना किसी शिक्षक और सहपाठियों के अकेला महसूस कर सकते हैं। क्योकि जब वे स्कूल या कॉलेज के वातावरण में शिक्षा ग्रहण करतें है तो अपने सहपाठियों के साथ मनोरंजन करते हुएं शिक्षा प्राप्त करतें है। जबकि ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से प्रत्येक सहपाठी अपने–अपने घर से शिक्षा ग्रहण करतें है, जिसके परिणामस्वरूप वे अवसाद से पीड़ित हो सकते हैं।**दिव्यांग विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ,**इस प्रकार की शिक्षा को दिव्यांग विद्यार्थी ग्रहण नहीं कर सकतें है क्योकि इनमें कुछ आँख, कान, हाँथ व अस्थिदोष के दिव्यांग विद्यार्थी भी है।**शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों में उत्पन्न शंका का समाधान न हो पाना,**ऑनलाइन शिक्षा वेब पोर्टल एवं पूर्व में रिकॉर्ड किये गये शिक्षक के लेक्चर, विडियो आदि विद्यार्थियों में उत्पन्न शंका का समाधान नहीं हो सकता है।

शिक्षकों के लिए,महामारी कोविद–19 के दौरान शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने में उत्पन्न होने वाली समस्याएं एवं चुनौतियाँ निम्नलिखित है–**शिक्षकों में विशिष्ट योग्यता एवं विशेषज्ञता की आवश्यकता,**ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षकों में व्यापक विशेषज्ञता का होना आवश्यक है जिससे कि, वे विद्यार्थियों को आसानी से शिक्षा प्रदान कर सकें।**ई–मूल्याङ्कन हेतु विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता,**ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली (ई–लर्निंग) के द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने एवं उनकी परीक्षाओं के मूल्याङ्कन के लिए शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। जिससे कि, वे सही ढंग से इन्टरनेट आधारित शिक्षा पर विद्यार्थियों का मूल्याङ्कन आसानी से करने में सक्षम हो सके। अतः ई–अधिगम के द्वारा मूल्याङ्कन करने वाले शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य है।**इन्टरनेट कनेक्टिविटी की समस्या,**शिक्षक द्वारा ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करते समय खराब इंटरनेट कनेक्शन या पुराने कंप्यूटर, पाठ्यक्रम एक्सेस करने वाली सामग्री को निराशाजनक बना सकते हैं। हालाँकि कुछ शहरी क्षेत्रों जैसे– दिल्ली, केरल, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, मुम्बई, गुजरात आदि में इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी है परन्तु उत्तर प्रदेश, झारखंड, मेघालय, बिहार आदि राज्यों के ग्रामीण देहाती क्षेत्रों में इन्टरनेट कनेक्टिविटी की समस्या मौजूद है। **ऑनलाइन शिक्षा के प्रति शिक्षकों में मतभेद का होना,**केवल कुछ ही शिक्षक इसके माध्यम से शिक्षा प्रदान करने में आत्मविश्वास रखतें हैं, अर्थात शिक्षकों में ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के प्रति वैचारिक मतभेद है।**ऑनलाइन शिक्षा में सभी के सहयोग की आवश्यकता,** ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत के सभी स्कूलों, प्रशासन और समुदाय की सहमति आवश्यक है जिससे कि, सभी शिक्षा प्रदान करने एवं प्राप्त करने में अपना योगदान दे सके।**डेटा चोरी अथवा हैकर्स की समस्या,**इन्टरनेट के माध्यम से शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करते समय सभी पर्सनल डेटा चोरी (हैक) होने का डर रहताहै।**ऑनलाइन शिक्षा में विद्युत् की समस्या,**भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की भांति विद्युत व्यवस्था का अभाव है, जो कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने में एक बड़ी बाधा है।

कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था को सफल बनाने हेतु सुझाव

देश की लगभग 70 प्रतिशत आबादी गांवों में निवास करती है । आज भी अनेक ग्रामीण क्षेत्र बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, ऐसे में ऑनलाइन शिक्षा का लाभ उठाने के लिए मोबाईल, लैपटॉप, कंप्यूटर आदि का प्रयोग संभव नहीं है । ऐसी स्थिति में सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की अबाध्यता की आपूर्ति करके ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बना सकती है ।**सरकार को ग्रामीण** क्षेत्रों के साथ ही पहाड़ी व सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक इन्टरनेट नेटवर्क उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कोई ठोस कदम उठाने होंगे,जिससे ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले छात्र भी ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था का लाभ बाधारहित ढंग से उठा सकें ।**वर्तमान में ऑनलाइन शिक्षा** ने आर्थिक रूप से सम्पन्न एवं विपन्न लोगों के बीच एक खाई बना दी है । सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा से जुड़ने हेतु आवश्यक न्यूनतम सुविधाओं यथा एक स्मार्टफोन या लेपटॉप, इन्टरनेट पैक या मुफ्त वाई–फाई को उपलब्ध कराकर ही इस खाई को भरा जा सकता है ।**ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था** को बेहतर बनाने के लिए शिक्षकों का तकनिकी रूप से दक्ष होना अति आवश्यक है । इसके लिए उन्हें अतिरिक्त समय

निकालकर सघन तकनिकी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कार्य योजना बनायीं जानी चाहिए, जिससे कि वे अपने विशिष्ट क्षेत्रों में उच्च गुणवत्तापूर्ण ई–कंटेंट तैयार करके ऑनलाइन कक्षाएं चला सकें ।**ऑनलाइन शिक्षा प्रदान** करने वाले शिक्षकों में बेहतर प्रयास करनेवाले शिक्षकों कों विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ।**देश के अधिकांश सरकारी स्कूलों** में ई–बोर्ड, वाई–फाई कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्शन, कंप्यूटर, प्रिंटर, स्मार्ट क्लासेस आदि की व्यवस्था नही है । स्कूलों में ऑनलाइन शिक्षा सम्बन्धी इन सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण विद्यार्थियों को कंप्यूटर एवं इंटरनेट संबंधी तकनिकी ज्ञान नहीं हो पाता है । जिससे ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करने में उन्हें कठिनाई होती है । यदि ऑनलाइन शिक्षा को सफल बनाना है, तो सभी सरकारी स्कूलों (जहां कंप्यूटर, इंटरनेट संबंधी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है) में व्यापक स्तर पर योजना बनाकर इन सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए । **ऑनलाइन शिक्षा को प्रोत्साहित** करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा अनेक ऑनलाइन शिक्षा (ई–बस्ता, डिजिटल इंडिया, पढ़े भारत ऑनलाइन, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी,"Study Webs of Active-Learning for Young Aspiring Minds –स्वयं पोर्टल", "भारत नेट") योजनाएं चलायी गयी हैं । जिसका स्थानीय स्तर पर जन–जागरूकता न होने के कारण इसका उपयोग एक सीमित वर्ग द्वारा ही किया जा रहा है । इसके अभाव में ग्रमीण छात्रों एवं शिक्षकों की अपेक्षा शहरी छात्रों एवं शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन शिक्षा योजनाओं का अधिक उपयोग किया जा रहा है । अतः इन योजनाओं की जानकारी जन–जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से स्थानीय स्तर पर व्यापक रूप से "जन–जागरूकता अभियान" चलाये जाने की आवश्यकता है । जिससे सभी छात्र एवं शिक्षक "सरकारी ऑनलाइन शिक्षा योजनाओं" का भरपूर लाभ उठा सकें ।**ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा** देने के लिए सरकार दीर्घकालिक योजनाओं को तैयार करने की दिशा में प्रयासरत है । अगले पाँच वर्षों में सरकार का लक्ष्य है कि, देश के लगभग 40 प्रतिशत महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को लैपटॉप अथवा टैबलेट वितरित किये जायेंगे । परन्तु ऑनलाइन शिक्षा को सफल बनाने के लिए 100 प्रतिशत छात्रों तक उपकरणों का विरतण किया जाना आवश्यक है, जिससे कि प्रत्येक छात्र को ऑनलाइन शिक्षा से जुड़ने हेतु प्रोत्साहन मिल सके ।**ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने** की दृष्टि से सरकार द्वारा विद्यार्थियों को लैपटॉप अथवा टैबलेट वितरित किये जाने की योजना बनाई गयी है । यदि सम्भव हो तो सरकार को चाहिए कि इस योजना का और अधिक विस्तार करके प्रत्येक शिक्षक को भी ऑनलाइन शिक्षण संबंधी उपकरण लैपटॉप, स्मार्टफोन आदि प्रदान किये जायें । इनमें ऐसी सॉफ्टवेयर भी विकसित किये जाने चाहिए जिससे कि, शिक्षक वितरित किये गए उपकरणों का उपयोग बेहतर ढंग से केवल ऑनलाइन शिक्षा प्रादन करने हेतु कर सके ।**कोरोना काल से पहले देश** में ऑनलाइन शिक्षा को इतना महत्व नहीं दिया जाता था । इसीलिए स्कूलों, कालेजों, विश्वविद्यालयों के पास ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने हेतु कोई उपयुक्त इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था । केवल कुछ ही शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने हेतु उपयोगी इंफ्रास्ट्रक्चर था । अतः ऑनलाइन शिक्षा को निरंतर सुचारू ढंग से प्रदान करने के लिए संगठित रूप से "व्यवस्थित आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर" विकसित किये जाने की अति आवश्यकता है ।

निष्कर्ष

कोविड–19 से शिक्षा के क्षेत्र में उत्पन्न विभिन्न प्रकार की चुनौतियों और उनसे निपटने के लिए बताए गए सभी सुझावों के विवेचन से स्पस्ट है कि, आज जो परिस्थिति महामारी के रूप में सम्पूर्ण विश्व में बनी हुयी है उसके निवारण एवं बचाव के लिए सभी को एकबद्ध होकर प्रयास करते रहना चाहिए। जब सबका योगदान एकसाथ मिलेगा तभी इस बीमारी से मुक्ति मिलेगा तथा जब इस बीमारी से छुटकारा मिल जायेगा तब शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्ध चुनौतियों का स्वतः समाधान हो जायेगा। इसलिए यह आवश्यक है कि सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देशों का दृढ़ता से हमें पालन करना चाहिए। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि, शिक्षा को सभी लोगों तक पहुँचाने के लिए इन्टरनेट के उपयोग में आने वाले विभिन्न आवश्यक उपकरणों आदि का होना आवश्यक है। इसके साथ ही उपकरणों का उपयोग करने के लिए आवश्यक जानकारी भी होनी चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो इस संकट के समय में भी सभी शिक्षक एवं शिक्षार्थी शिक्षा को सरलता से ग्रहण करके अपने अध्ययन और अध्यापन संबंधी कार्य को पूर्ण कर सकने में सक्षम हो सकेंगे।

संदर्भ ग्रन्थ

1. Arora, A. K., & Srinivasan, R. (2020). Impact of pandemic COVID-19 on the teaching–learning process: A study of higher education teachers. Prabandhan: Indian journal of management, 13(4), 43-56.
2. Batubara, B. M. (2021). The Problems of the World of Education in the Middle of the Covid-19 Pandemic. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 4(1), 450-457.
3. Budur, T., Demir, A., & Cura, F. (2021). University Readiness to Online Education during Covid-19 Pandemic. International Journal of Social Sciences and Educational Studies, 8(1), 180-200.
4. Doyumgaç, I., Tanhan, A., & Kiymaz, M. S. (2021). Understanding the most important facilitators and barriers for online education during COVID-19 through online photovoice methodology. International Journal of Higher Education, 10(1), 166-190.
5. Grover, S., Goyal, S. K., Mehra, A., Sahoo, S., & Goyal, S. (2021). A survey of parents of children attending the online classes during the ongoing COVID-19 pandemic. The Indian Journal of Pediatrics, 88(3), 280-280.
6. Jadhav, V. R., Bagul, T. D., & Aswale, S. R. (2020). COVID-19 Era: Students' Role to Look at Problems in Education System during Lockdown Issues in Maharashtra, India. International Journal of Research and Review, 7(5), 328-331.
7. Jena, P. K. (2020). Online learning during lockdown period for covid-19 in India. International Journal of Multidisciplinary Educational Research (IJMER), 9.
8. Joshi, A., Vinay, M., & Bhaskar, P. (2020). Online Teaching amidst COVID-19 in India: An Outlook. Asian Journal of Distance Education, 15(2), 105-111.
9. Kapasia, N., Paul, P., Roy, A., Saha, J., Zaveri, A., Mallick, R., ...& Chouhan, P. (2020). Impact of lockdown on learning status of undergraduate and postgraduate students during COVID-19 pandemic in West Bengal, India. Children and Youth Services Review, 116, 105194.
10. Mishra, L., Gupta, T., & Shree, A. (2020). Online teaching-learning in higher education during lockdown period of COVID-19 pandemic. International Journal of Educational Research Open, 1, 100012.
11. Muthuprasad, T., Aiswarya, S., Aditya, K. S., & Jha, G. K. (2021). Students' perception and preference for online education in India during COVID-19 pandemic. Social Sciences & Humanities Open, 3(1), 100101.
12. Paudel, P. (2021). Online education: Benefits, challenges and strategies during and after COVID-19 in higher education. International Journal on Studies in Education, 3(2), 70-85.
13. Singh, H. K., Joshi, A., Malepati, R. N., Najeeb, S., Balakrishna, P., Pannerselvam, N. K., ...& Ganne, P. (2021). A survey of E-learning methods in nursing and medical education during COVID-19 pandemic in India. Nurse education today, 99, 104796.
14. A programme initiated by Government of India, (2021.Jan.21), In Human Resource Development Ministry spells out as Study Webs of Active-Learning for Young Aspiring Mind, Retrieved from- https://swayam.gov.in/
15. Computer Vision Syndrome: vka[k esa dqN fdjfdjkrk gS ij dqN gksrk ugÈ gS](2020.Aug.21), In Nav Bharat Times N.B.T., Retrieved from- https://navbharattimes.indiatimes.com/lifestyle/health/computer-vision-syndrome-and-dry-eye-problem-in-hindi/articleshow/74528172.cms?story=1
16. Corona virus has not reached these 11countries. (2020.July.19), In Patrika, Retrieved from- https://www.patrika.com/hot-on-web/corona-virus-has-not-reached-these-11-countries-5920215/
17. Coronavirus covid19 declared pandemic by who. (2020.July.20), In Live Hindustan, Retrieved from- https://www.livehindustan.com/international/story-coronavirus-covid19-declared-pandemic-by-who-3079194.html

18. Coronavirus Disease (COVID-19) Pandemic. (2020.July.20), In WHO: World Health Organization, Retrieved from-https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
19. Covid-19 10 Recommendations Plan Distance Learning solutions. (2020.Aug.13), In UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Retrieved from -https://en.unesco.org/news/covid-19-10-recommendations-plan-distance-learning-solutions
20. Covid-19 Lockdown Online Classes Higher Education, (2020.Aug.14), In The Wire hindi, Retrieved from-https://thewirehindi.com/122150/covid-19-lockdown-online-classes-higher-education/
21. Department of School Education & Literacy, Ministry of Education, Government of India, (2021.Jan.21),Retrieved from-http://dashboard.seshagun.gov.in/mhrdreports/#/home
22. Education System, (2020.Aug.14), In Web Dunia, Retrieved from-https://hindi.webdunia.com/my-blog/education-system-116081300066_1.html https://www.jagran.com/editorial/apnibaat-today-the-entire-world-is-suffering-from-the-corona-epidemic-and-is-struggling-for-its-existence-jagran-special-20209751.html?utm_expid=.W6HdjhiBQ-ml0nTAajwI9g.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
23. INDIA REPORT DIGITAL EDUCATION-Jun 2020, (2021.Jan.21), In Department of School Education & Literacy, Ministry of Human Resource Development, Government of India, Retrieved from-https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/India_Report_Digital_Education_0.pdf
24. Limitations of Online Learning, (2020.Aug.14), In Drishti Ias, Retrieved from-https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-editorials/limitations-of-online-learning
25. Ministry of Education, Government of India, (2021.Jan.21),Retrieved from-https://www.education.gov.in/
26. Report on Pragyata Guidelines for Digital Education, (2020.Aug.17), In Indian Ministry of Human Resource Development (M.H.R.D.), Retrieved from-https://www.mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/pragyata-guidelines_0.pdf
27. To Many Challenges in Online Education. (2020.July.20), In Patrika, Retrieved from-https://www.patrika.com/opinion/to-many-challenges-in-online-education-6078969/
28. Today the Entire World is Suffering from the Corona Epidemic and is Struggling for its Existence.(2020.Aug.14),In Jagran, Retrieved from-
29. WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. (2020.July.21), In WHO: World Health Organization, Retrieved from-https://covid19.who.int
30. कोरोना वायरसः दुनिया का कौन सा हिस्सा, कितना प्रभावित? (2020.July.19).In BCC News Hindi, Retrieved from-https://www.bbc.com/hindi/international-51897014
31. शिक्षक, शिक्षण एवं आईसीटी. (2020.Aug.12), In Vikaspedia,Retrieved from-https://hi.vikaspedia.in/education/teachers-corner/teachers-teaching-and-icts
32. डिजिटल प्रणाली शिक्षा के लाभ और नुकसान. (2020.Aug.13), In Wordpress, Retrievedfrom-https://shree952.wordpress.com/2018/05/26/डिजिटल–प्रणाली–शिक्षा–के/
33. ई–शिक्षा. (2020.July.14), In Wikipedia, Retrieved from-https://hi.wikipedia.org/wiki/ई–शिक्षा
34. भारत लॉकडाउनः देश में अगले 21 दिन संपूर्ण लॉकडाउन, PMने कहा– यह एक तरह से कर्फ्यू ही है,(2020. Aug. 15), In Nav Bharat Times(N.B.T.), Retrieved from-https://navbharattimes.indiatimes.com/india/pm-narendra-modi-announced-21-day-country-lockdown/articleshow/74797750.cms
35. भारत में कोरोनावायरस से लॉकडाउन 2020, (2020. Aug.15), In Wikipedia, Retrieved

from- https://hi.wikipedia.org/wiki/भारत में कोरोनावायरस से लॉकडाउन 2020

36. गांवों में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या पहली बार शहरों से हुई ज्यादा,(2020.Aug.16), In The Economic Times India Hindi, Retrieved from- https://economictimes.indiatimes.com/hindi/news/india-has-more-rural-net-users-than-urban-for-the-first-time/articleshow/75567841.cms?from=mdr
37. छोटे स्कूली छात्रों की 30 मिनट से अधिक की ऑनलाइन क्लास नहीं, मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस,(2020.Aug.16), In The Economic Times India Hindi, Retrieved from- https://economictimes.indiatimes.com/hindi/news/hrd-announces-guidelines-for-online-classes-by-schools/articleshow/76970842.cms?from=mdr
38. ऑनलाइन डिजिटल शिक्षणःप्री–प्राइमरी और प्रारंभिक कक्षाओं में भी ऑनलाइन शिक्षा दी जा सकेगी, (2020.Aug.17), In Dainik Bhaskar, Retrieved from- https://www.bhaskar.com/local/mp/ratlam/mandsaur/news/online-education-can-also-be-given-in-pre-primary-and-elementary-classes-127572572.html
39. डिजिटल/ऑनलाइन शिक्षा पर 'प्रज्ञाता' दिशा–निर्देश जारी, (2020.Aug.18), In E-Dristi, Retrieved from- https://www.edristi.in/hi/डिजिटल–ऑनलाइन–शिक्षा–पर/
40. ऑनलाइन शिक्षा से अनिद्रा व उदासी की गिरफ्त में आ रहे बच्चे,(2020.Aug.19), In Jagran, Retrieved from- https://www.jagran.com/uttar-pradesh/jaunpur-online-education-20376230.html
41. मध्य प्रदेशः पहली से 5वीं तक के छात्रों के लिए अब नहीं लगेंगी ऑनलाइन क्लासेस, (2020.Aug.19), In News Byte Hindi N.B.H., Retrieved from- https://hindi.newsbytesapp.com/timeline/career/18484/93264/madhya-pradesh-government-ban-online-classes-for-1st-to-5th
42. कम्प्यूटर आंखों को दे रहा ड्राई आई सिंड्रोम] (2020.Aug.20), In Live Hindustan, Retrieved from- https://www.livehindustan.com/news/article/article1-story-312254.html
43. ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली रूलाभ और इसे बेहतर बनाने के उपाय, (2021.Jun.26), In KEEP INSPIRING ME, Retrieved from- https://keepinspiringme.in/online-education-in-india-in-hindi/

भारतीय सुरक्षा में भारतीय–रूसी संरचनात्मक संबंध

सुनीत काशिव
रिसर्च स्कॉलर, मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सिहोरे (MP)

शोध सारांश

रूस के साथ संबंध भारत की विदेश नीति के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं और रूस भारत का दीर्घकाल से समय की कसौटी पर खरा उतरा भागीदार देश है। अक्टूबर 2000 में भारत–रूस कूटनीतिक भागीदारी संबंधी घोषणा पर (रूस के राष्ट्रपति महामहिम ब्लादीमिर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान) हस्ताक्षर किए जाने के बाद से भारत–रूस संबंधों में गुणवत्ता की दृष्टि से नई विशेषता आ गई है जिनमें विपक्षीय संबंधों के लगभग सभी क्षेत्रों में सहयोग का स्तर बढ़ गया है जिनमें राजनीति, सुरक्षा, व्यापार एवं अर्थव्यवस्था, रक्षा, विज्ञान एवं प्रौदयोगिकी और संस्कृति शामिल हैं। कूटनीतिक भागीदारी के अंतर्गत, सहयोग संबंधी गतिविधियों पर नियमित बातचीत एवं अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए राजनैतिक एवं आधिकारिक दोनों स्तरों पर विभिन्न संस्थागत वाद कार्यतंत्र काम कर रहे हैं। दिसंबर 2010 में रूस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान कूटनीतिक भागीदारी को "विशेष एवं अधिकारप्राप्त कूटनीतिक भागीदारी" के स्तर पर पहुंचा दिया गया ।

मुख्य शब्द *: कोरोना वायरस, ऑनलाइन, शिक्षा, शिक्षण, दूरस्थ शिक्षा।*

प्रस्तावना

भारत और रूस महत्वपूर्ण रक्षा सहयोग, खुफिया साझाकरण और राजनयिक संबंधों के साथ रणनीतिक सहयोगी हैं। दोनों देश एक गहरी जड़ें और समय–परीक्षण वाली दोस्ती साझा करते हैं जो पिछले कुछ वर्षों में कई गुना बढ़ गई है। स्वतंत्रता के बाद, भारत ने सोवियत समाजवादी गणराज्य (USSR) के साथ अपने राजनयिक संबंधों की खेती की। यूएसएसआर ने हमेशा संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर पर भारतीय रुख का समर्थन किया। दोनों देशों ने रणनीतिक संबंध विकसित किए और रक्षा प्रौद्योगिकियों, मुख्य रूप से हथियारों और संबंधित उपकरणों का संयुक्त निर्माण शुरू किया। आज तक, भारत रूस से अपने अधिकांश हथियार और उपकरण आयात करता है, उदाहरण के लिए, विमान वाहक, परमाणु पनडुब्बी, निगरानी और टोही विमान/हेलीकॉप्टर, एसयू –30 एमकेआई विमानों का संयुक्त निर्माण, सुखोई विमानक्षेत्र का उन्नयन, टी –90 मुख्य युद्धक टैंक। (MBTs) और विभिन्न हथियार प्रणालियों का नवीनीकरण। यह अध्ययन समान महत्व के दो वर्गों में विभाजित है। पहले भाग में भारतीय सेना द्वारा आधुनिक हथियारों और उपकरणों के संयुक्त विकास और प्रेरण पर जोर देते हुए भारत–रूस रणनीतिक संबंधों और रक्षा सहयोग का विश्लेषण किया गया है। उत्तरार्द्ध भाग दक्षिण एशियाई निरोध स्थिरता के लिए इस रणनीतिक सहयोग के निहितार्थ पर चर्चा करता है।

अध्ययन के उदेश्य

1. भारत और रूस के बीच संबंधों का ऐतिहासिक अवलोकन का अध्ययन
2. भारत–रूस रक्षा सहयोग का अध्ययन

राजनीतिक संबंध

दिसंबर 2010 में रूस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान, कूटनीतिक भागीदारी को "fवशेष एवं अधिकारप्राप्त कूटनीतिक भागीदारीष के स्तर पर पहुंचा दिया गया। अब तक बारी बारी से भारत और रूस में 15 वार्षिक शिखर बैठकें हो चुकी हैं जिनमें से 15वीं वार्षिक शिखर बैठक 11 दिसंबर 2014 को रूस के राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा के दौरान नई दिल्ली में हई थी। इस शिखर बैठक के दौरान 20 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए जिनमें परमाणु ऊर्जा सहयोग, रक्षा, हाइड्रो कार्बन, विज्ञान एवं प्रौदयोगिकी, व्यापार एवं निवेश आदि शामिल हैं। प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने "जबा–दोस्ती. आगामी दशक में भारतीय–रूसी भागीदारी को सुदृढ़ करने का स्वप्नष के एक संयुक्त वक्तव्य को भी अंगीकार किया। दिसंबर 2014 में वार्षिक शिखर बैठक के अलावा हमारे प्रधान मंत्री ने 15 जुलाई, 2014 को ब्राजील में फोर्टालेजा में ब्रिक्स शिखर बैठक के दौरान अतिरिक्त समय में रूस के राष्ट्रपति से मुलाकात की तथा 13 नवंबर 2014 को नाय पी ताव, म्यांमार में 9वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के समय रूस के प्रधान मंत्री महामहिम श्री दिमित्री मेदवेदेव से भी मुलाकात कर चुके थे। राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने 9 मई, 2015 को मास्को में दवितीय विश्व युद्ध में विजय की 70वीं वर्षगांठ के संस्मारक समारोह में भाग लिया तथा अतिरिक्त समय में राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक की।

दोनों देशों के बीच उच्च स्तर पर नियमित रूप से बातचीत होती रहती है। दो अंतर–सरकारी आयोगों की वार्षिक बैठकें होती हैं जिनमें से एक व्यापारिक, आर्थिक,

वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय एवं सांस्कृतिक सहयोग (आईआरआईजीसी–टीईसी) से संबंधित है, जिसकी सह–अध्यक्षता विदेश मंत्री और रुसी उप प्रधान मंत्री द्वारा की जाती है, और दूसरा सैन्य तकनीकी सहयोग (आईआरआईजीसीएमटीसी) से संबंधित, जिसकी सह–अध्यक्षता रुसी और भारतीय रक्षा मंत्री दवारा की जाती है। आई आर आई जी सी – टीईसी के 20वें सत्र की सह – अध्यक्षता हमारी विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज और रुस के उप प्रधानमंत्री श्री दिमित्री रोगोजिन दवारा की गई थी। भारत और रुस के विदेश मंत्रियों ने 2 फरवरी, 2015 को बीजिंग में रुस – भारत – चीन (आर आई सी) विदेश मंत्री बैठक के दौरान अतिरिक्त समय में बैठक की। विदेश कार्यालय परामर्श का पिछली वार्षिक बैठक 15 से 17 अप्रैल, 2014 के दौरान मास्को में आयोजित हुआ। विदेश सचिव ने 8 मई, 2015 को मास्को में उप विदेश मंत्री इगोर मोरगुलोव से मुलाकात की।

भारत – रुस अंतर संसदीय आयोग की तीसरी बैठक की लोक सभा अध्यक्ष के साथ सह अध्यक्षता करने के लिए राज्य डुमा (रुसी संसद का निचला सदन) के अध्यक्ष ने फरवरी, 2015 में भारत का दौरा किया। उन्होंने भारत के राष्ट्रपति एवं उप राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। मार्च 2015 में, रुस के दूरसंचार एवं जन संचार मंत्री श्री निकोलाय निकिफोरोव ने दिल्ली का दौरा किया जहां उन्होंने अपने भारतीय समकक्ष संचार एवं सूचना प्रौदयोगिकी मंत्री तथा सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री से मुलाकात की। अप्रैल 2015 में, भारत के रक्षा राज्य मंत्री ने मास्को का दौरा किया तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर चौथे मास्को सम्मेलन में भाग लिया और रक्षा रक्षा उदयोग सहयोग पर एसोचौम – सबेरबक सम्मेलन को संबोधित भी किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा विधि एवं न्याय मंत्री ने मई, 2015 में सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय विधि मंच में भाग लिया। जन 2015 में, 15वें सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच (एस पी ई आई एफ) में भाग लेने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने सेंट पीटर्सबर्ग का दौरा किया तथा उन्होंने रुस के व्यापार एवं उद्योग मंत्री श्री डेनिस मेन्ट्रोव से मुलाकात भी की।

रूस ने अप्रैल 2015 में ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की तथा तब से यह ब्रिक्स फार्मेट के तहत अनेक कार्यक्रमों एवं बैठकों का आयोजन कर रहा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री ने 21 अप्रैल, 2015 को ब्रिक्स पर्यावरण मंत्री बैठक के लिए मास्को का दौरा किया, सचिव (पूर्व) ने 22 मई, 2015 को मास्को में मध्य पूर्व तथा उत्तरी अफ्रीका पर ब्रिक्स परामर्श में भाग लिया, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने 25 एवं 26 मई, 2015 को सुरक्षा समस्याओं के लिए ब्रिक्स के उच्च प्रतिनिधियों की 5वीं बैठक में भाग लेने के लिए मास्को का दौरा किया तथा विदेश मामले पर संसदीय स्थाई समिति के अध्यक्ष ने 8 जून, 2015 को मास्को में ब्रिक्स संसदीय मंच में भाग लिया।

रक्षा सहयोग

रक्षा क्षेत्र में रूस के साथ भारत के संबंध दीर्घकालिक और व्यापक सहयोग वाले रहे हैं। भारत – रुस सैन्य तकनीकी सहयोग एक साधारण क्रेता – विक्रेता रुपरेखा से आगे बढ़ कर एक ऐसी रुपरेखा बन गया है जिसमें उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों, ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम का संयुक्त अनुसंधान, विकास और उत्पादन का काम शामिल है, पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान और मल्टी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का संयुक्त विकास और सुखोई – 30 विमान और टी–90 टकों का लाइसैंसयुक्त उत्पादन ऐसे बड़े सहयोग के उदाहरण हैं। पिछले वर्ष जून में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रुस दवारा निर्मित विमान वाहक जहाज आई एन एस विक्रमादित्य को गोवा के तट पर एक विशेष समारोह में राष्ट्र को समर्पित किया। दोनों देश अपने सशस्त्र बलों के बीच वार्षिक रुप से आदान–प्रदान एवं प्रशिक्षण अभ्यास भी आयोजित करते हैं। एक भारतीय टुकड़ी ने दवितीय विश्व युद्ध में विजय की 70वीं वर्षगांठ के दौरान 9 मई, 2015 को मास्को में सैनिक परेड में हिस्सा लिया।

दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की सह अध्यक्षता में सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर्सरकारी आयोग (आई आर आई जी सी – एम टी सी) तथा दोनों देशे बीच इसके कार्य समूहों एवं उप समूहों की रक्षा सहयोग समीक्षा। द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को आगे बढ़ने के लिए चल रहे सहयोग तथा भावी अवसरों की समीक्षा करने के लिए 21 जनवरी, 2015 को आयोग की पिछली बैठक (14वां सत्र) के लिए रुस के रक्षा मंत्री श्री सर्गेई शोइगू ने नई दिल्ली का दौरा किया। दिसंबर 2014 में, दोनों देशों की सरकारों ने रुसी परिसंघ के रक्षा मंत्रालय के सैन्य शिक्षा प्रतिष्ठानों में भारत के सहस्त्र बलों के कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए करार पर हस्ताक्षर किए।

आर्थिक संबंध

भारत और रूस के बीच व्यापारिक एवं आर्थिक सहयोग को बढ़ाना देना दोनों देशों की सरकारों के लिए मुख्य प्राथमिकता है। 15वीं वार्षिक शिखर बैठक के दौरान, दोनों नेताओं ने वर्ष 2025 तक 30 बिलियन यूएस

डॉलर के दविपक्षीय व्यापार का लक्ष्य तय किया है। वर्ष 2014 के दौरान दविपक्षीय व्यापार 9.51 बिलियन अमरीकी डालर था जिसमें भारत के निर्यात का मूल्य 3. 17 बिलियन अमरीकी डालर था (जो वर्ष 2013 की तुलना में 2.6 प्रतिशत अधिक है) तथा रुस से आयात का मूल्य का 6.34 बिलियन अमरिकी डालर था (जो वर्ष 2013 की तुलना में 9.2 प्रतिशत कम है)। भारत से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में भेषज पदार्थ, विविध विनिर्माण, लौह एवं इस्पात, परिधान, चाय, कॉफी और तम्बाकू शामिल हैं। रुस से आयात की जाने वाली मुख्य वस्तुओं में रक्षा एवं परमाणु ऊर्जा उपकरण, उर्वरक, बिजली की मशीनरी, स्टील और हीरे शामिल हैं। रूस में भारतीय निवेश लगभग 7 बिलियन यूएस डॉलर होने का अनुमान है जिनमें इंपीरियल इनर्जी टॉम्स्क, सखालीन आई, वोल्झस्की अब्रेसिव वर्क्स वोलगोग्राडय और कमर्शियल इंडो बक शामिल हैं। भारत में लगभग 3 बिलियन अमरीकी डॉलर के रुसी निवेश में होसुर में कमाज वेक्ट्रा, श्याम सिस्टमा टेलीकॉम लिमिटेड, एसबरबैंक और वीटीबी शामिल हैं।

व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय एवं सांस्कृतिक सहयोग संबंधी अंतर सरकारी आयोग (आई आर आई जी सी – टी ई सी) आर्थिक सहयोग की समीक्षा करने वाला सर्वोच्च सरकार दर सरकार मंच है। यह व्यापार एवं आर्थिक सहयोग, प्राथमिकता वाले निवेशों, आधुनिकीकरण और औद्योगिक सहयोग (नागर विमान, खनन, उर्वरक और आधुनिकीकरण संबंधी उप समूहों), बकाया मुद्दों, ऊर्जा एवं ऊर्जा कार्यकुशलता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन तथा संस्कृति, और बैंकिंग तथा वित्तीय मामलों एवं बाघ एवं तेंदुआ संरक्षण संबंधी मामलों के उप समूहों के तहत क्षेत्रीय सहयोग की समीक्षा करता है। व्यापारिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौदयोगिकीय एवं सांस्कृतिक सहयोग संबंधी अंतर सरकारी आयोग (आई आर आई जी सी – टी ई सी) का 20वां सत्र 5 नवंबर 2014 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।

भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा रूस के आर्थिक विकास मंत्री की सह–अध्यक्षता वाला भारत–रूस व्यापार एवं निवेश मंच और भारत–रूस सीईओ काउंसिल भारत और रूस के बीच प्रत्यक्ष परस्पर द्विपक्षीय व्यापारिक संपर्कों को बढ़ावा देने वाले दो प्राथमिक कार्यतंत्र हैं। भारत–रूस व्यावसायिक परिषद (भारत के फिक्की और रूस के सीसीआई के बीच भागीदारी), भारत–रूस व्यावसायिक संवाद (भारत के सीआईआई और रूस के बिजनेस काउंसिल फॉर को–ऑपरेशन विद इंडिया के बीच भागीदारी) और भारत–रूस चौम्बर ऑफ कॉमर्स (एसएमई पर विशेष ध्यान के लिए) जैसे कार्यतंत्र प्रत्यक्ष व्यवसाय से व्यवसाय संबंधों को बढ़ाने के प्रयासों को सम्परित करते हैं। व्यापार एवं निवेश पर 8वें भारत – रूस मंच का आयोजन 5 नवंबर, 2014 को नई दिल्ली में किया गया था। जन 2015 में, 15वें सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच (एस पी आई ई एफ) के दौरान भारत और यूरेशियाई आर्थिक संघ (ईए ई यू) दवारा भारत और यूरेशियाई आर्थिक संघ के बीच मुक्त व्यापार करार के लिए संयुक्त संभाव्यता अध्ययन संचालित करने के लिए एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किया गया।

हाइड्रो कार्बन दोनों देशों के बीच सहयोग की पड़ताल करने के लिए एक सक्रिय क्षेत्र है। मई 2014 में, ओ एन जी सी तथा रोसनेफ्ट ने रूस के आर्कटिक के तटवर्ती क्षेत्र में सरफेस सर्वेक्षण, खोज, मूल्यांकन और हाइड्रो कार्बन उत्पादन में द्विपक्षीय सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पिछले वर्ष जून में एक रूसी कंपनी गाजप्रोम इंटरनेशनल ने तेल और गैस के क्षेत्र में सहयोग के लिए ऑइल इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हसताक्षर किए हैं जिसमें तेल क्षेत्रों की संयक्त खोज, प्रशिक्षण, विकास तथा जानकारी का आदान–प्रदान शामिल है। दिसंबर 2014 में रोसनेफ्ट ने कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए एस्सार ग्रुप के साथ एक दीर्घकालिक संविदा की संभावना संबंधी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

परमाणु ऊर्जा

रूस परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में एक महत्वपूर्ण भागीदार है और यह भारत को एक त्रुटिरहित परमाणु अप्रसार रिकॉर्ड के साथ उन्नत परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी वाला देश मानता है। दिसंबर, 2014 में, परमाणु ऊर्जा विभाग (डी ए ई) और रूस के रोसाटोम ने भारत और रूस के बीच परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोगों में सहयोग सुदृढ़ करने के लिए सामरिक विजन पर हस्ताक्षर किया। रूस के सहयोग भारत में कुडानकुलम परमाणु विद्युत संयंत्र (के के एन पी पी) का निर्माण से हो रहा है। कुडनकुलम परमाणु विद्युत संयंत्र (के के एन पी पी) की यूनिट–1 जुलाई 2013 में चालू हो गया और 7 जून 2014 को इसने पूर्ण उत्पादन क्षमता हासिल कर ली थी. जबकि इसकी यनिट–2 2015 के उत्तरार्ध में चाल होने की प्रक्रिया में है। भारत और रूस ने के के एन पी पी यनिट 3 एवं 4 पर एक सामान्य रूपरेखा करार पर हस्ताक्षर किया है तथा परवर्ती करार तैयार किए जा रहे हैं। परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोगों के क्षेत्र में व्यापक सहयोग की समीक्षा

करने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव ने 9 जून, 2015 को मास्को का दौरा किया।

अंतरिक्ष सहयोग

बाहरी अंतरिक्ष का शांतिपूर्ण कार्यों के लिए उपयोग करने संबंधी भारत – रूस सहयोग लगभग चार दशक पुराना है। इस साल रूस (तत्कालीन यू एस एस आर) के उपग्रह प्रक्षेपण वाहन 'सोयुज' पर भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण की 40वीं वर्षगांठ 2007 में, भारत और रूस ने बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण प्रयोगों पर एक रूपरेखा करार पर हस्ताक्षर किया जिसमें उपग्रह प्रक्षेपित करना, ग्लोनास नेविगेशन, दूर संवेदी तथा बाहरी अंतरिक्ष के अन्य सामाजिक अनुप्रयोग शामिल हैं। जून 2015 में, दोनों देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने शांतिपूर्ण प्रयोगों के लिए बाहरी अंतरिक्ष के अन्वेषण एवं प्रयोग के क्षेत्र में सहयोग के विस्तार पर एक एम ओ यू पर हस्ताक्षर किया है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

व्यापारिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय एवं सांस्कृतिक सहयोग संबंधी अंतर सरकारी आयोग (आई आर आई जी सी – टी ई सी) के तहत कार्यरत विज्ञान एवं प्रौदयोगिकी संबंधी कार्य समूह, समेकित दीर्घकालिक कार्यक्रम (आई एल टी पी) और बुनियादी विज्ञान सहयोग कार्यक्रम द्विपक्षीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए तीन मुख्य संस्थागत कार्यतंत्र हैं, जबकि दोनों देशों की विज्ञान अकादमियां अंतर–अकादमी आदान–प्रदान को बढ़ावा देती हैं। 25 साल की लंबी कार्यान्वयन अवधि के दौरान आई एल टी पी ने भारत एवं रूस में 500 से अधिक संयुक्त अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के संचालन तथा 9 विषयपरक केंद्रों की स्थापना में सहायता प्रदान की जिनसे 1500 से अधिक संयुक्त प्रकाशनों तथा 10000 से अधिक वैज्ञानिक करारों के विकास के अलावा अनेक नए उत्पादों, प्रक्रियाओं, विधाओं एवं अनुसंधान केंद्रों का सृजन हआ है। भारत – रूस विज्ञान एवं प्रौदयोगिकी केंद्र, जिसकी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा मॉस्को में एक शाखा है, की स्थापना प्रौद्योगिकियों के अंतरण और उनके वाणिज्यीकरण को बढ़ावा देने के लिए 2011–12 में की गई थी।

अक्टूबर 2013 में, विज्ञान, प्रौदयोगिकी एवं नवाचार के क्षत्र में तथा जैव प्रौदयोगिकी में संचालित दो नए कार्यक्रम सक्रिय तंत्र बन गए हैं, ये 2014 में 11 संयुक्त अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के पहले बैच की सहायता कर चुके हैं। दिसंबर 2014 में, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद तथा रूसी बुनियादी अनुसंधान केंद्र ने स्वास्थ्य अनुसंधान में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। 8 मई 2015 को, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डी एस टी) तथा रूसी विज्ञान प्रतिष्ठान ने बुनियादी एवं अन्वेषणात्मक अनुसंधान की सहायता के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किया।

सांस्कृतिक सहयोग

रूस में भारतीय अध्ययन की एक सुदृढ़ परंपरा है। भारतीय दूतावास, मॉस्को में जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक केंद्र (जे एन सी सी) रूस की अग्रणी संस्थाओं के साथ निकट संबंध बना कर रखता है जिनमें दर्शन संस्थान, मॉस्को, रसियन स्टेट यूनिवर्सिटी फॉर ह्युमेनिटीज, मॉस्को, प्राच्य अध्ययन संस्थान, मॉस्को, मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी का एशियाई एवं अफ्रीकी अध्ययन संस्थान, सेंट पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय का अंतरराष्ट्रीय संबंध विद्यापीठ, कजान फेडरल विश्वविद्यालय, कजान और फार ईस्टर्न नेशनल यूनिवर्सिटी, ब्लाडीवोस्टक, रूसी सांस्कृतिक अनुसंधान संस्थान, क्रासनोडार शामिल हैं। दर्शन संस्थान, मॉस्को में भारतीय दर्शन संबंधी एक महात्मा गांधी पीठ है। अग्रणी विश्वविदयालयों और स्कूलों सहित लगभग 20 रूसी संस्थाएं 1500 छात्रों को नियमित रूप से हिंदी पढ़ाते हैं। हिंदी के अलावा, रूसी संस्थाओं में तमिल, मराठी, गुजराती, बंगाली, उर्दू, संस्कृत और पाली जैसी भाषाएं भी पढ़ाई जाती हैं। रूसी लोगों के बीच भारतीय नृत्य, संगीत, योग और आयुर्वेद के प्रति आम तौर पर रुचि है। जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक केंद्र प्रति माह लगभग 500 छात्रों के लिए योग, नृत्य, संगीत और हिंदी की कक्षाएं संचालित करता है।

भारत एवं रूस के बीच जन दर जन संपर्कों को बढ़ावा देने के लिए नियमित रूप से सांस्कृतिक पहलें की जाती हैं जिसमें एक – दूसरे की संस्कृति के वर्षों का आयोजन शामिल है। भारत के राष्ट्रपति ने 10 मई 2015 को मास्को में भारतीय संस्कृति वर्ष ष्नमस्ते भारतष का उदघाटन किया। "नमस्ते भारत" के अंग के रूप में वर्ष 2015 में रूस के विभिन्न भागों में 8 शहरों में 15 परफार्मेंस की योजना बनाई गई है। 21 जन, 2015 को, रूस में 60 से अधिक क्षेत्रों को शामिल करते हुए तथा 250 से अधिक कार्यक्रमों के साथ पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (आई डी वाई) मनाया गया जिसमें लगभग 45000 योग उत्साहियों ने भाग लिया।

भारतीय समुदाय

रूसी संघ में भारतीय समुदाय के लोगों की संख्या लगभग 14,500 है। इसके अतिरिक्त, भारतीय मूल के लगभग 1500 अफगान नागरिक रूस में रहते हैं। रूस में लगभग 500 भारतीय व्यवसायी रहते हैं जिनमें से लगभग 200 व्यवसायी मॉस्को में काम करते हैं। अनुमानतः 300 पंजीकृत कंपनियां रूस में काम कर रही हैं। रूस में अधिकांश भारतीय व्यवसायी कंपनियां व्यापार में लगी हुई हैं जबकि कुछ भारतीय बैंकों, दवा कंपनियों, हाइड्रोकार्बन और इंजीनियरिंग कंपनियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन कंपनियों द्वारा भारत से आयात किए जा रहे उत्पादों में चाय, कहवा, तम्बाकू, औषधियां, चावल, मसाले, चमड़े के जूते–चप्पल, ग्रेनाइट, आईटी और परिधान शामिल हैं। रूसी संघ में चिकित्सा एवं तकनीकी संस्थाओं में लगभग 4500 भारतीय छात्र नामांकित हैं। उनमें से लगभग 90 प्रतिशत रूस भर के लगभग 20 विश्वविद्यालयोंध्संस्थाओं में चिकित्सा की पढ़ाई करते हैं। 'हिंदुस्तानी समाज' रूस में 1957 से कार्यरत सबसे पुराना भारतीय संगठन है। मॉस्को के अन्य भारतीय संगठनों में इंडियन बिजनेस अलायंस, ओवरसीज बिहार एसोशिएसन, एएमएमए (ऑल मॉस्को मलयाली समाज), डीआईएसएचए (इंडिया–रशिया फ्रेंडसिप सोसाइटी), टेक्सटाइल बिजनेस अलायंस, भारतीय सांस्कृतिक समाज और रामकृष्ण सोसायटी वेदांत केंद्र शामिल हैं। मॉस्को का एम्बेसी ऑफ इंडिया स्कूल नई दिल्ली के केंद्रीय विद्यालय संगठन से संबद्ध है जिसमें भारत से शिक्षक प्रतिनियुक्त किए गए हैं। इस स्कूल में I से XII तक की कक्षाएं चलती हैं और इसमें लगभग 350 छात्र हैं।

भारत–रूस रक्षा सहयोग

रूस मजबूत अर्थव्यवस्था और सैन्य मांसपेशियों के साथ एक महान शक्ति के रूप में फिर से उभरा है। 2008 में, इसने अपनी समग्र सैन्य मशीन को पुनर्जीवित करने और US-17 के बराबर होने के लिए नवीनतम तकनीकों को शामिल करने के लिए एक बड़े पैमाने पर आधुनिकीकरण योजना शुरू की, हालांकि, कुछ मोर्चों पर भारत और रूस एक ही पृष्ठ पर नहीं हैं, उदाहरण के लिए भारत की बढ़ती रणनीतिक अमेरिका और अन्य के साथ संबंध यूरोपीय देशों और चीन के साथ आर्थिक संबंधों में सुधार, 18 इन सभी घटनाओं के बावजूद, भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग का कोई समानांतर नहीं है। रूस अभी भी भारतीय सेना का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता है

भारत–रूस सैन्य तकनीकी सहयोग क्रेता–विक्रेता ढांचे से संयुक्त अनुसंधान, विकास और उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों के उत्पादन को शामिल करने के लिए विकसित हुआ है। ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम और साथ ही SU–30 एयरक्राफ्ट और T–90 टैंकों के भारत में लाइसेंस प्राप्त उत्पादन, इस तरह के प्रमुख फ्लैगशिप का उदाहरण हैं ।

उपसंहार

भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग गहरा है और समय बीतने के साथ बढ़ता जा रहा है – नवीकरण और सैन्य आधुनिकीकरण से लेकर आतंकवाद, निगरानी और टोही, परिवहन और रसद क्षमताओं तक। इस सहयोग से भारत की सेना की समग्र क्षमताओं में सुधार होगा और उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ अपने आक्रामक सिद्धांतों को संचालित करने में मदद मिलेगी। नवीनतम एमबीटी में भागीदारी न केवल भारतीय वायुसेना के लिए आक्रामक पंच को जोड़ेगी, बल्कि सीएसडी को संचालित करने में भी उनकी मदद करेगी। वायु और नौसेना रक्षा उत्थान भी पाकिस्तान की सेना के लिए गंभीर चुनौतियां पैदा कर सकते हैं। परमाणु क्षेत्र में, रूस अपने परमाणु उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए भारत को अपनी परमाणु ईंधन की जरूरतों और निर्बाध आपूर्ति, सामग्री और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को दूर करने में मदद कर रहा है, जिससे उसके परमाणु हथियारों के कार्यक्रम में एक बड़ा गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन हो सकता है। रूसी परमाणु पनडुब्बियों के शामिल होने से भारत को हिंद महासागर और अरब सागर में पाकिस्तान की समुद्री स्थापना, आर्थिक और सामरिक हितों पर कर लगाने वाली दूसरी स्ट्राइक क्षमता और अधिक से अधिक आउटरीच हासिल करने में मदद मिलेगी। सभी संभावना में, यह रक्षा सहयोग पाकिस्तान के लिए रणनीतिक रणनीतिक विषमता पैदा करेगा। पारंपरिक निरोध की विफलता कमजोर पार्टी (पाकिस्तान) को भारत द्वारा किसी भी आक्रामक कदम को रोकने के लिए अपने परमाणु हथियारों पर भरोसा करने के लिए आमंत्रित कर सकती है। नतीजतन, भारत के सैन्य आधुनिकीकरण के साथ–साथ आक्रामक सिद्धांत और पाकिस्तान द्वारा परमाणु हथियारों पर अत्यधिक निर्भरता दक्षिण एशिया की शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर सुरक्षा समस्याएं पैदा करेगी। दोनों परमाणु राज्यों के लिए टकराव से बचना, आक्रामक सिद्धांतों से बचना और सभी बकाया मुद्दों (कश्मीर सहित) को सौहार्दपूर्ण बातचीत के माध्यम से हल करना अनिवार्य है, तभी क्षेत्र में दीर्घकालिक शांति और स्थिरता हो सकती है।

संदर्भ

1. गुरमीत कंवल (साथी, रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान, नई दिल्ली), लेखक के साथ चर्चा में, 11 अक्टूबर, 2017
2. लेखक, 10 अक्टूबर, 2017 से चर्चा में भारत कर्नाड (अनुसंधान प्रोफेसर, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्ली, राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ)।
3. मुहम्मद मुस्तफा खान (पूर्व प्रमुख, जनरल स्टाफय कॉर्प्स कमांडर, स्ट्राइक कोर/सेंट्रल कमांड), लेखक के साथ चर्चा में, 25 अक्टूबर, 2017
4. अशरफ जहाँगीर काजी (भारत, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राजदूत), लेखक के साथ चर्चा में, अक्टूबर 13,
5. हर्ष वी। पंत (प्रोफेसर, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, रक्षा अध्ययन विभाग और भारत संस्थान, किंग्स कॉलेज, लंदन), लेखक के साथ चर्चा में, 11 अक्टूबर, 2017
6. राजेश बसरुर (प्रोफेसर, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, समन्वयक, दक्षिण एशिया कार्यक्रम, एस। राजारत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, सिंगापुर), लेखक के साथ चर्चा में, 13 अक्टूबर, 2017।
7. पीटर आर। लवॉय, "इस्लामाबाद के परमाणु मुद्रारू इसके परिसर और कार्यान्वयन," हेनरी डी। सोकोल्स्की, एड में, पाकिस्तान के परमाणु भविष्यरू युद्ध से परे चिंता (कार्लिसल: रणनीतिक अध्ययन संस्थान, 2008)।
8. एशले जे टेलिस (वरिष्ठ साथी, कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस, वाशिंगटन, डी.सी.), लेखक के साथ चर्चा में, 4 नवंबर, 2017।
9. मलिक कासिम मुस्तफा, "पाकिस्तान की सैन्य सुरक्षा और पारंपरिक शक्ति संतुलन," सामरिक अध्ययन 29, नहीं। 1 (2009): 35–44य और रॉडनी डब्ल्यू। जोन्स, "दक्षिण एशिया में पारंपरिक सैन्य असंतुलन और रणनीतिक स्थिरताष (पेपर नंबर 1, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड, दक्षिण एशियाई रणनीतिक स्थिरता इकाई, ब्रैडफोर्ड, 2005)।
10. एशले जे टेलिस, दक्षिण एशिया में स्थिरता (सांता मोनिका: रैंड, 1997), 5।
11. माइकल क्रेपोन, दक्षिण एशिया में छ टाक नुक्स, ब्वदजतवस आर्म्स कंट्रोल वोनक, 18 अप्रैल, 2012 को वाल्टर सी। लाडविग III, "इंडियन मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन एंड कन्वेंशनल डिटेरेंस इन साउथ एशिया", जर्नल ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज 38, नं 5 (2015)
12. सौमित्र मोहन, भारतीय नीति और विकास (चेन्नई: मैकग्रा–हिल एजुकेशन, 2017)।

ई–बैंकिंग और बैंकिंग सेवाओं से ग्राहकों की संतुष्टि

अभिषेक नागपुरे
रिसर्च स्कॉलर, मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सीहोर (MP)

शोध सारांश

इंटरनेट आधारित प्रौद्योगिकियों के विस्तारित उपयोग के साथ, इसने भौगोलिक सीमाओं को समाप्त कर दिया है। बैंकिंग क्षेत्र वैश्विक उपस्थिति बनाने वाले पहले क्षेत्रों में से एक है। बैंकों द्वारा अपनाई गई तकनीकों में बदलाव के साथ, बैंकों द्वारा उपयोग की जाने वाली रणनीतियाँ भी बदल रही हैं। कई अभिनव उत्पाद लॉन्च किए गए हैं इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से। इंटरनेट बैंकिंग मूल रूप से उन प्रणालियों को संदर्भित करती है जो ग्राहकों को खातों तक पहुंचने में सक्षम बनाती हैं और कंप्यूटर या अन्य बुद्धिमान उपकरणों जैसे मोबाइल और वायरलेस उपकरणों के माध्यम से बैंक उत्पादों और सेवाओं के बारे में सामान्य जानकारी। अध्ययन उन कारकों की पहचान करने का एक प्रयास है जो इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं के साथ ग्राहकों की संतुष्टि में योगदान करते हैं। स्पर्शनीयता, विश्वसनीयता, जवाबदेही, आश्वासन और सहानुभूति जैसी सेवा की गुणवत्ता के आयाम ने इंटरनेटबैंकिंग सेवाओं के साथ ग्राहकों की संतुष्टि पर कम या ज्यादा प्रभाव दिखाया है।

प्रस्तावना

अब – एक दिन, ग्राहक को राजा कहा जाता है जो सेवाओं के संदर्भ में उन लाभों का आनंद ले रहा है जो उन्हें विपणन रणनीतियों के एक समूह के रूप में पेश किए जाते हैं जो कि संगठन द्वारा ग्राहक आधार को बढ़ावा देने के लिए फर्मों द्वारा अपनाए जाते हैं। ग्राहक की संतुष्टि इस बात का एक पैमाना है कि किसी कंपनी द्वारा उत्पादों और सेवाओं की आपूर्ति कैसे की जाती है या ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करती है। इसे व्यवसाय के भीतर एक प्रमुख प्रदर्शन संकेतक के रूप में देखा जाता है। इंटरनेट बैंकिंग एक शब्द है जिसका इस्तेमाल इंटरनेट पर बैंक की सुरक्षित वेबसाइट के माध्यम से लेनदेन, भुगतान आदि करने के लिए किया जाता है। यह बहुत उपयोगी हो सकता है, विशेष रूप से बैंक घंटों के बाहर बैंकिंग के लिए (जो बहुत कम होता है) और कहीं भी और किसी भी स्थान से बैंकिंग, जहां इंटरनेट का उपयोग उपलब्ध है। इंटरनेट बैंकिंग को पारंपरिक शाखा बैंकिंग सेवाओं के रूप में देखा जाता है जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों, अर्थात और इंटरनेट के माध्यम से वितरित की जाती हैं। लेकिन, यह एक नया वितरण चैनल सामान्य रूप से कल्पना क्या होगा परे निहितार्थ मिला है। इंटरनेट बैंकिंग में शारीरिक उपस्थिति की आवश्यकता के बिना इलेक्ट्रॉनिक, इंटरैक्टिव संचार साधनों के माध्यम से ग्राहकों को सीधे स्वचालित बैंकिंग सेवाओं की डिलीवरी शामिल है। जेरार्ड एंड कनिंघम (2013) ने अपने पत्र में इंटरनेट बैंकिंग के बारे में चर्चा की जिसमें स्वयं–सेवा प्रौद्योगिकी का एक रूप है, जिसकी कीमत लाखों डॉलर है, लेकिन इसे प्रमुख खुदरा बैंकरों द्वारा उपलब्ध कराया गया है। अध्ययन ने मुख्य विशेषताओं का पता लगाने पर ध्यान केंद्रित किया जो इंटरनेट बैंकिंग को अपनाने की दर को प्रभावित करते हैं, और ऐसी आठ विशेषताएं पाई गईं। अध्ययन के परिणामों से पता चला कि इंटरनेट बैंकिंग के अपनाने वाले सेवा को अधिक सुविधाजनक, कम जटिल, उनके लिए अधिक संगत और उन लोगों के लिए अधिक अनुकूल मानते हैं जो कंप्यूटर प्रवीण हैं। अध्ययन में यह भी पता चला है कि गोद लेने वाले भी अधिक आर्थिक रूप से नवीन थे। प्रारंभ में, बैंकों ने अपने ग्राहकों के साथ ई–मेल पते के माध्यम से संवाद किया। सूचना प्रौद्योगिकी को धीरे–धीरे अपनाने के साथ, बैंकों ने वेब पर एक वेब–साइट की मेजबानी शुरू कर दी है जो बैंक की सामान्य जानकारी, शाखाओं का स्थान, प्रदान की जाने वाली सेवाएं आदि प्रदान करता है। कई बैंक अब अपने ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सीधे उनके साथ बातचीत करने में सक्षम बनाते हैं और लेन–देन। इस तरह की सेवाओं में खाते खोलने के लिए अनुरोध, चेक के लिए आवश्यकता, पुस्तकें, भुगतान निर्देश, खाता विवरण, धन हस्तांतरण, और अन्य प्रश्न शामिल हैं। Broderick & Vachirapornpuk (2012) द्वारा किए गए अध्ययन ने इंटरनेट बैंकिंग का एक सेवा गुणवत्ता मॉडल प्रस्तावित किया। अकिंज एट अल (2004) ने परिष्कृत उपभोक्ताओं के बीच उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण और इंटरनेट बैंकिंग को अपनाने की समझ विकसित करने के लिए एक अध्ययन किया। इंटरनेट बैंकिंग उपयोगकर्ताओं और गैर–उपयोगकर्ताओं की जनसांख्यिकीय, व्यवहारवादी और व्यवहार संबंधी विशेषता की जांच की गई। अध्ययन के निष्कर्षों से पता चला कि उपयोगकर्ताओं और गैर–उपयोगकर्ताओं के जनसांख्यिकीय प्रोफाइल और दृष्टिकोण के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर मौजूद है। निष्कर्षों के परिणामों में कई निहितार्थ हैं जो बैंकिंग संस्थानों और उनके प्रबंधकों द्वारा विचार किए जा सकते हैं।

शर्मा (2014) द्वारा किए गए अध्ययन में सुधार मॉडल के कई आयामों से संबंधित है, जिसका उद्देश्य ग्राहकों की संतुष्टि के लिए उनकी दक्षता, उत्पादकता, लाभप्रदता के संदर्भ में बैंक सेवाओं में बहुत सुधार करना है। मिश्रा जे.के. और जैन एम। (2017) ने राष्ट्रीयकृत और निजी क्षेत्र के बैंकों में ग्राहकों की संतुष्टि के विभिन्न आयामों को खोजने के लिए दो–चरण कारक विश्लेषण किया। अध्ययन में क्रमशः राष्ट्रीयकृत और निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए ग्राहकों की संतुष्टि के दस कारकों और पांच आयामों का विश्लेषण किया गया है। परशुरामन, जीथमल और बेरी (2018) ने सुझाव दिया कि यदि सेवा की अपेक्षित गुणवत्ता है और वास्तविक कथित प्रदर्शन बराबर है या लगभग बराबर है तो ग्राहक हैं संतुष्ट हो सकते हैं, जबकि धारणाओं और अपेक्षाओं के बीच एक नकारात्मक विसंगति एक प्रदर्शन–अंतर के रूप में वे इसे असंतोष का कारण कहते हैं, एक सकारात्मक विसंगति उपभोक्ता को प्रसन्न करती है ।

अध्ययन के उदेश्य

1. बैंकों द्वारा दी जाने वाली इंटरनेट बैंकिंग के प्रति ग्राहकों की संतुष्टि के लिए संबंध की ग्राहकों की रिलेटिववेबरी की जांच करना
2. सार्वजनिक, निजी और विदेशी बैंकों के लिए इंटरनेट बैंकिंग के साथ ग्राहकों की थिसैसटिविटी स्तर की तुलना करना।

उत्पादों और सेवाओं के माध्यम से इंटरनेट बैंकिंग की पेशकश

प्रारंभ में, बैंकों ने एक ई–मेल पते के माध्यम से अपने ग्राहकों के साथ संवाद किया। भारत में बैंक अभी भी इंटरनेट बैंकिंग कार्यों के इस पहले चरण में हैं। सूचना प्रौद्योगिकी को धीरे–धीरे अपनाने के साथ, बैंकों ने वेब पर एक वेब–साइट की मेजबानी शुरू कर दी है जो बैंक की सामान्य जानकारी, शाखाओं का स्थान, प्रदान की जाने वाली सेवाएं आदि प्रदान करता है। कई बैंक अब अपने ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सीधे उनके साथ बातचीत करने में सक्षम बनाते हैं और लेन–देन। ऐसी सेवाओं में खाते खोलने के लिए अनुरोध, चेक बुक के लिए अनुरोध, भुगतान निर्देश, खाता विवरण, इलेक्ट्रॉनिक धन हस्तांतरण, ऑनलाइन खरीदारी, शुल्क भुगतान और अन्य प्रश्न शामिल हैं।

बाजार में निम्नलिखित तीन बुनियादी प्रकार के इंटरनेट बैंकिंग कार्यरत हैं:

1. **सूचनात्मक** – यह इंटरनेट बैंकिंग का मूल स्तर है। आमतौर पर, बैंक के पास एक अकेले सर्वर पर बैंक के उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानकारी होती है। इस तरह के इंटरनेट बैंकिंग में शामिल जोखिम अपेक्षाकृत कम है क्योंकि सूचना प्रणाली में आमतौर पर सर्वर और बैंक के आंतरिक नेटवर्क के बीच कोई रास्ता नहीं होता है। इंटरनेट बैंकिंग का यह स्तर बैंक या आउटसोर्स द्वारा प्रदान किया जा सकता है। जबकि किसी बैंक के लिए जोखिम अपेक्षाकृत कम है, सर्वर या वेबसाइट परिवर्तन के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। इसलिए उपयुक्त नियंत्रण बैंक के सर्वर या वेबसाइट पर अनधिकृ त परिवर्तनों को रोकने के लिए होना चाहिए

2. **कम्युनिकेटिव** – इस प्रकार की इंटरनेट बैंकिंग प्रणाली बैंक के सिस्टम और ग्राहक के बीच कुछ पारस्परिक क्रिया की अनुमति देती है। बातचीत ई–मेल, खाता जांच, ऋण अनुप्रयोगों, या स्थिर फाइल अपडेट (नाम और पता परिवर्तन) तक सीमित हो सकती है। क्योंकि इन सर्वरों में बैंक के आंतरिक नेटवर्क के लिए एक रास्ता हो सकता है, सूचना प्रणालियों की तुलना में इस कॉन्फिगरेशन के साथ जोखिम अधिक है। बैंक के आंतरिक नेटवर्क और कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचने के लिए किसी भी अनधिकृत प्रयास को रोकने, निगरानी और सतर्क प्रबंधन के लिए उपयुक्त नियंत्रण की आवश्यकता है। इस वातावरण में वायरस नियंत्रण भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता ळें

3 लेन–देन – इंटरनेट बैंकिंग का यह स्तर ग्राहकों को लेनदेन निष्पादित करने की अनुमति देता है। चूँकि आमतौर पर सर्वर और बैंक या आउटसोर्सर के आंतरिक नेटवर्क के बीच एक रास्ता मौजूद होता है, इसलिए यह उच्चतम जोखिम वास्तुकला है और इसमें मजबूत नियंत्रण होना चाहिए। ग्राहक लेनदेन में खातों का उपयोग करना, बिलों का भुगतान करना, धन हस्तांतरित करना आदि शामिल हो सकते हैं।

इंटरनेट बैंकिंग का विकास

इंटरनेट बैंकिंग अलग–अलग ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करता है जैसे कि बैलेंस पूछताछ, रिक्वेस्ट फॉरबुक किताबें, रिकॉर्डिंग स्टॉपएमेंट निर्देश, बैलेंस ट्रांसफर निर्देश, भुगतान सेवा, खाता खोलने, फॉर्म डाउनलोड आदि। आगे, विभिन्न बैंक्सविवि ऐसी सेवाओं के विभिन्न स्तरों की पेशकश करते हैं, जहां न्यूनतम स्तर से शुरुआत होती है इंटरनेट के माध्यम से उच्चतम स्तर पर वितरित किया जाता है जहां ऑनलाइनसेट्रान्स के माध्यम से डाला जाता है।

इंटरनेट बैंकिंग में लोकाचार

ऑनलाइन सेवाओं में सुरक्षा हमेशा सर्वोपरि रही है। ऑनलाइन गतिविधियों वाले संगठनों को मामले को एक अलग तरीके से निपटना होगा। जो लोग सुरक्षा के बारे में चिंतित हैं, उन्होंने इसे सबसे खतरनाक खतरे के रूप में पहचाना है। कर्मचारियों की जागरूकता का अभाव, वायरस, ट्रोजन हॉर्स, जासूसी इसे कमजोर बनाते हैं। यह सभी उद्योगों के लिए सही है। बैंकिंग उद्योग, हालांकि इस जोखिम के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील है। अधिक समग्र जोखिम प्रबंधन रणनीतियों को विकसित करने के लिए एक बढ़ा दबाव है। वित्तीय फर्मों पर अब अंडरराइटिंग प्रथाओं का फिर से परीक्षण करने और क्रेडिट प्रबंधन मूल्य श्रृंखला के विभिन्न हिस्सों को संरेखित करने और साथ ही बाजार आंदोलनों के वेग से जुड़े ब्याज, वित्तीय मूल्यांकन, और परस्पर जोखिम प्रबंधन चुनौतियों के संभावित संघर्षों को संबोधित करने का दबाव है। बैंकिंग उद्योग में ग्राहक प्रतिधारण और भी महत्वपूर्ण हो गया है। इंटरनेट सेवाओं के मामले में ग्राहकों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं क्योंकि कम स्विचिंग लागत संगठन के लिए ग्राहक को बनाए रखना मुश्किल बना देती है। इसलिए ग्राहक निष्ठा, ग्राहक अधिग्रहण पर महत्व और ग्राहक संबंध प्रबंधन रणनीतियों की आवश्यकता है। तकनीकी प्रगति ने मौजूदा इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं और उपकरणों को बढ़ावा दिया है। उनकी गुणवत्ता में सुधार हुआ है। कभी तेजी से और अधिक शक्तिशाली चिप्स और ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस के व्यापक उपयोग ने पूरी तरह से नए उपकरणों और आविष्कारों के उद्भव को ट्रिगर किए बिना अधिक से अधिक लोगों के लिए ऑनलाइन बैंकिंग को और अधिक आरामदायक बना दिया है। इंटरनेट बैंकिंग का एक और संभावित अनुप्रयोग वह अवसर है जो ऑनलाइन शोध के लिए प्रदान करता है। बैंक वेबसाइटों पर आगंतुकों की बढ़ती संख्या वित्तीय निर्णय लेने से पहले काफी शोध के लिए रास्ते प्रदान करती है। ग्राहकों को वित्तीय उत्पादों के लिए चारों ओर खरीदारी करने और अपने स्वयं के निवेश निर्णय लेने का अवसर भी मिलता है – सलाहकारों के बिना। ग्राहक केंद्रित रणनीति कई कार्यों में परिलक्षित होती हैरू ग्राहक लाभप्रदता विश्लेषण, संबंध प्रबंधन, गतिशील मूल्य निर्धारण (विशिष्ट बाजार और ६ या ग्राहक कारकों के आधार पर मूल्य निर्धारण) आदि। अब ग्राहक के लिए एक बेहतर डेटाबेस विकसित करने के लिए एक प्रतियोगिता है। इसने सूचना प्रबंधन और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के लिए सामग्री प्रबंधन और व्यवसाय प्रक्रिया प्रबंधन प्रौद्योगिकियों को अधिक से अधिक अपनाने का मार्ग प्रशस्त किया है।

इंटरनेट बैंकिंग में मुद्दे

इंटरनेट बैंकिंग में जनता के विश्वास का एक उच्च स्तर बनाए रखने के लिए, बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं के विचारों की ध्वनि, विशेष रूप से इंटरनेट पर आधारित, कुंजी रखती है। खुले नेटवर्क वातावरण में उच्च स्तरीय सार्वजनिक विश्वास बनाए रखने में मदद करने वाले घटक निम्न प्रकार के मुद्दों को शामिल करते हैं।

कानूनी और नियामक मुद्दे – भौगोलिक सीमाओं के पार इंटरनेट बैंकिंग। यह अपने यूजरस्टो को दुनिया के किसी भी स्थान पर पहुंचाने में सक्षम बनाता है। इस प्रकार, न्यायिक अधिकार क्षेत्र के मुद्दे, इलेक्ट्रॉनिक अनुबंध की वैधता, विभिन्न देशों के कानूनी या नियामक में अंतराल उत्पन्न होते हैं। कानूनी मुद्दों का एक सवाल है कि विवाद के मामले में भौगोलिक क्षेत्र किस पर लागू होगा। एक मुद्दा यह है कि आय के लेन–देन से उत्पन्न आय पर कर की देयता है। इन मुद्दों पर अभी भी कोई निश्चित उत्तर नहीं हैं।

ऑपरेशनल इश्यूज – ऑपरेशनल रिस्क सबसे आम रूपों में से एक है, जो इनफॉर्मेट बैंकिंग से जुड़ा होता है। इसमें आम तौर पर लेनदेन की गलत प्रसंस्करण, अनुबंधों की गैर–प्रवर्तनीयता, डेटा अखंडता में समझौता, डेटा गोपनीयता और गोपनीयता, अनधिकृत पहुंच आदि शामिल हैं।

सुरक्षा मुद्दे – लेनदेन की सुरक्षा इंटरनेट बैंकिंग में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है। सुरक्षा के मुद्दों का जवाब देते हुए कंप्यूटिंग रिसोर्सजैन्ट दुरुपयोग और अनधिकृत उपयोग को संरक्षित करना, और डेटा को आकस्मिक और क्षति से बचाने के लिए, प्रकटीकरण और संशोधन करना। बैंक के महत्वपूर्ण सूचना आधार पर अनधिकृत पहुंच के कारण सुरक्षा जोखिम उत्पन्न होता है। सुरक्षा में चूक से बैंक को सीधे वित्तीय नुकसान हो सकता है। डेटा की हानि, ग्राहक की जानकारी की चोरी या छेड़छाड़, बैंक के आंतरिक कंप्यूटर सिस्टम के महत्वपूर्ण हिस्से को अक्षम करना, इस प्रकार सेवा से इनकार करना, इनकी मरम्मत की लागत आदि हो सकती है। सुरक्षा का उद्देश्य कंप्यूटर नेटवर्क और वितरित प्रणाली में संचरण के दौरान डेटा की सुरक्षा करना है। सुरक्षा सुविधाओं में एन्क्रिप्शन ६ डिक्रिप्शन, फायरवॉल, डिजिटल सिग्नेचर, एंटी–वायरस आदि शामिल हो सकते हैं। कुछ जोखिम जो ग्राहकों को झेलने पड़ सकते हैं, सूँघने, फिशिंग करने आदि। कुछ अनधिकृत व्यक्ति सूँघने या डेटा हस्तांतरण पर नजर रखने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक का अर्थ है वास्तविक उपयोगकर्ता के ज्ञान के बिना। फिशिंग की प्रक्रिया में,

पीड़ित को व्यक्तिगत और गोपनीय वित्तीय विवरणों को विभाजित करने का लालच दिया जाता है। एक बार इन विवरणों का खुलासा हो जाने के बाद, धारक के खाते से अवैध रूप से धन निकाल लिया जाता है। बाहरी हमलों के अलावा बैंक आंतरिक स्रोतों यानी कर्मचारियों से सुरक्षा जोखिम के संपर्क में हैं। कर्मचारी पूरी प्रणाली और उनकी कमजोरियों से बहुत परिचित हैं, इस प्रकार बैंक के लिए एक संभावित सुरक्षा खतरा बन जाता है। सुरक्षा संबंधी कुछ प्रमुख मुद्दे निम्नलिखित हैं:

- प्रमाणीकरण
- गैर परित्याग
- गोपनीयता

गोपनीयता के मुद्दे – गोपनीयता के मुद्दों में व्यक्तिगत और गोपनीय खाते की जानकारी गोपनीय से संबंधित मुद्दे शामिल हो सकते हैं। यह अनधिकृत पहुंच के द्वारा किया जा सकता है और आपराधिक इरादे के साथ या इसके बिना दुनिया के किसी भी स्रोत से और कहीं से भी निकल सकता है। इंटरनेट बैंकिंग इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से की जाती है। इस प्रकार, इन साधनों पर यात्रा करने वाला डेटा किसी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा एक्सेस किए जाने से अधिक असुरक्षित हो जाता है और व्यक्तिगत जानकारी में घुसपैठ कर सकता है।

सामरिक मुद्दे – यह मुद्दा एक नए उत्पाद या सेवा की शुरुआत से जुड़ा है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि बैंक ने किसी व्यवसाय योजना के विकास से जुड़े विभिन्न पहलुओं को संबोधित किया है, इस योजना का समर्थन करने के लिए पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता, विक्रेता की विश्वसनीयता (यदि आउटसोर्स की गई है) और उपलब्ध तकनीक की तुलना में उपयोग की जाने वाली तकनीक का स्तर आदि। इस मुद्दे ने नए पेश किए गए उत्पाद या सेवाओं के लिए विफलता का जोखिम लगाया है। इस तरह के जोखिम को कम करने के लिए, बैंकों को उचित सर्वेक्षण करने, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से परामर्श करने, प्राप्त लक्ष्य स्थापित करने और प्रदर्शन की निगरानी करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, उन्हें लाभ विश्लेषण करने की आवश्यकता है। प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यकता है। इसके अलावा, प्रतिक्रिया प्रणाली के माध्यम से आवधिक मूल्यांकन भी आवश्यक है।

अन्य मुद्दे – इंटरनेट बैंकिंग में अन्य मुद्दों में शामिल हो सकते हैं:

- उपलब्धता
- जड़ता
- प्रौद्योगिकी का स्रोत
- जागरुकता की कमी
- मानव सहभागिता का अभाव
- कंप्यूटर साक्षरता

ग्राहक बैंकिंग सेवाओं के साथ ग्राहक सेवा

किसी भी संगठन का अंतिम लक्ष्य मुनाफे की पीढ़ी है और जिसे ग्राहक संतुष्टि प्राप्त करने के साथ प्राप्त किया जा सकता है। एक संतुष्ट ग्राहक वापस आएगा और इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं के साथ–साथ अधिक बिक्री और अधिक लाभ पैदा करेगा। बैंक अलग नहीं हैं क्योंकि वे मुनाफे के लिए भी पनपे हैं। ग्राहकों की संतुष्टि ग्राहक प्रतिधारण और वफादारी के लिए एक आवश्यक शर्त के रूप में मानी जाती है और इसलिए आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करती है। बैंक अब पारंपरिक बैंकिंग के साथ–साथ ऑनलाइन कारोबार की ओर बढ़ रहे हैं। इंटरनेट बैंकिंग सिर्फ पारंपरिक शाखा बैंकिंग का विस्तार है। यहां वे सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जा रही हैं जो मूल रूप से शाखाओं में प्रदान की गई थीं। इस प्रकार, इंटरनेट बैंकिंग में भी ग्राहकों की संतुष्टि को बहुत महत्व मिला है। ग्राहक द्वारा उच्च स्तर की संतुष्टि की मांग की जाती है क्योंकि इंटरनेट बैंकिंग में ग्राहकों की अपेक्षा बहुत अधिक है और पेशकश की गई सेवाओं के प्रकार में थोड़ा अंतर होने के साथ प्रतिस्पर्धा भी अधिक है। इसलिए, शोधकर्ताओं के साथ–साथ बैंकरों ने इंटरनेट बैंकिंग में ग्राहकों की संतुष्टि के महत्व को महसूस किया है।

निष्कर्ष

यह देखा गया है कि भारत में एक उल्लेखनीय संभावित इंटरनेट बैंकिंग है। भारत में आईटीईएस के क्षेत्र में भारतीय बैंकिंग उद्योग के सामने कई चुनौतियाँ हैं, ताकि ग्राहकों के विश्वास और उपयोग के स्तर को बढ़ाया जा सके। हालांकि भारत के पास बैंकिंग उद्योग में आईटी–सक्षम सेवाओं में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है, फिर भी इन सेवाओं को व्यवस्थित तरीके से विपणन करने की आवश्यकता है। अध्ययन उन कारकों की पहचान करने का एक प्रयास है जो इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं के साथ ग्राहकों की संतुष्टि में योगदान करते हैं। स्पर्शनीयता, विश्वसनीयता, जवाबदेही, आश्वासन और सहानुभूति जैसी सेवा गुणवत्ता के आयामों ने इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं के साथ ग्राहकों की संतुष्टि पर कम या ज्यादा प्रभाव दिखाया है। अध्ययन में बताया गया है कि ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं से संतुष्ट थे। संबंधित बैंक।

संदर्भ

1. फैरिस, पॉल डब्ल्यू।य नील टी। बेंडलेय फिलिप ई। फेफरय डेविड जे। रिबस्टीन (2010) .मार्केटिंग मेट्रिक्सरू द मेजरमेंट गाइड टू द मेजरिंग मार्केटिंग परफॉर्मेंस। अपर सैडल रिवर, न्यू जसीर्फ पियर्सन एजुकेशन।
2. फिलिप गेरार्ड, पी।य कनिंघम, जे। बी। (2003), षसिंगापुर के उपभोक्ताओं के बीच इंटरनेट बैंकिंग का प्रसार", बैंक मार्केटिंग का अंतर्राष्ट्रीय जर्नल।
3. अकिंजी, एस; अकोसी, एसय म्जपसहंद, म. (2004), "एडवांस्ड इंटरनेट सेगमेंट इन एडवांस्ड कंज्यूमर सेगमेंट्स इन एडवांस्ड डेवलपिंग कंट्री", इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बैंक मार्केटिंग।
4. मनोरंजना शर्मा (2004), बैंकों के पास बहुत कुछ है जीतने के लिए लकीर खींचना जारी है, मंगलवार, फरवरी 24
5. मिश्रा जे.के. और जैन एम। (2006–07)। 'ग्राहक संतुष्टि के निरंतर आयामरू राष्ट्रीयकृत और निजी बैंकों का एक अध्ययन '। प्रजानां।
6. परशुरामन, ए।, जीथमल, वी। ए।, और बेरी, एल। एल। (1988), ।स्सर्वविकालरू सर्विस क्वालिटी के उपभोक्ता धारणाओं को मापने के लिए एक बहु–आइटम स्केल, रिटेलिंग जर्नल।
7. न्यूमैन, के।य काउलिंग, ए। (1996), "रिटेल बैंकिंग में सेवा की गुणवत्ता: दो ब्रिटिश समाशोधन बैंकों का अनुभव", अंतर्राष्ट्रीय बैंक मार्केटिंग के जर्नल।
8. ब्रोडरिक, ए। जे।य टंबीपतंचवतदचना, एस। (2002), "इंटरनेट बैंकिंग में सेवा की गुणवत्ता: ग्राहक भूमिका का महत्व", विपणन
9. खुफिया और योजना।
10. का.आना, ए। (2002), "सर्विस लॉयल्टी इफेक्ट्स ऑफ सर्विस क्वालिटी एंड द मेडिटिंग रोल ऑफ कस्टमर सैटिस्फैक्शन", यूरोपियन जर्नल ऑफ मार्केटिंग।
11. बैजा–येट्स, आर। एंड रिबेरो–नेटो, बी (1999)। आधुनिक सूचना पुनर्प्राप्ति। एडिसन–वेस्ले प्रोफेशनल।
12. डेव, के।, लॉरेंस, एस। एंड पेनॉक, डी। एम। (2003)। मूंगफली गैलरी खनन: उत्पाद की समीक्षा की राय निष्कर्षण और शब्दार्थ वर्गीकरण। वर्ल्ड वाइड वेब पर 12 वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की कार्यवाही।

''पर्यावरण को प्रभावित करता कृषि उत्पादन''

राजेन्द्र कुमार मेघवंशी[1] व पूनम सोनी[2]

[1,2]भूगोल विभाग, श्री खुशाल दास विश्वविद्यालय, पीलीबंगा, हनुमानगढ़ (राज0)

प्रस्तावना

"भूमि प्रयोग केवल वनस्पति आवरण के संदर्भ में ही नहीं अपितु मानवीय क्रियाओं पर आधारित उपयोगी सुधारों के रूप में भी प्रयुक्त होना चाहिए। "भूमि उपयोग प्राकृतिक व सांस्कृतिक दोनों की अभिव्यक्ति होता है।

विन्क के अनुसार "भूमि उपयोग की सकल्पना को प्रायः सापेक्षिक स्थिर विषय समझना चाहिए, जिसका सम्बन्ध एक निश्चित प्रदेश में निश्चित भूमि के प्रयोग से होता है। यह उपलब्ध संसाधनों व मानवीय आवश्यकताओं के मध्य जनित अनवरत तनाव का परिणाम है जो मानवीय प्रयत्नों द्वारा किया जाता है।

आर. बारलो के अनुसार, "भूमि ससाधन उपयोग, भूमि समस्या एवं उसके नियोजन की विवेचना की धूरी हैं, जिससे अध्ययन के लिए उन्होंने निम्नांकित 5 महत्वपूर्ण दृष्टिकोण बताए हैं। –

1. आर्थिक दृष्टि से समृद्ध समाज का निर्माण।
2. भूमि संसाधन उपयोग की आवश्यकता तथा उसके अनुकूलतम उपयोग का निर्धारण।
3. विभिन्न लागत कारकों (जैसे पूंजी, श्रम आदि) के अनुपात में भूमि से अधिकतम लाभ प्राप्त करने की योजना ।
4. फसलगत भूमि के उपयोग में मांग के आधार पर लाभदायक सामंजस्य तथा परिवर्तन का सुझाव।
5. किसी सी क्षेत्र के लिए अनुकूलतम एव बहुद्देश्यी भूमि उपयोग की विवेचना करना तथा उसके सुझावो को क्षेत्रीय अंगीकरण हेतु समन्वित करना।

रौलेण्ड ने भूमि संसाधन उपयोग को आर्थिक शक्तियों का परिणाम बताया है। कृषि क्रिया किसी न किसी क्षेत्र पर की जाती है। इस क्षेत्र को सामान्यः धरातल, भूमि मृदा या धरती आदि के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अतः कृषि क्षेत्र से आशय उस स्थान से लगाया जाता है, जहां कृषि आजीविका कमाने हेतु खाधनों का उत्पादन करता है। कृषि क्रिया से पूर्व धरातल को वनभूमि, मरूभूमि, पर्वत, पठार, मैदान आदि के रूप में सम्बोधित किया जाता है। तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या को भोजन जुटाने के लिए वन भूमि अकृष्य क्षेत्रों को निरन्तर कृषि के अन्तर्गत लाया गया है। जिससे अकृष्य क्षेत्र में कमी हुई है। भूमि उपयोग के विश्लेषण में दूरी की. विशेष भूमिका होती है। यह गुरूत्व शक्ति के समान है। दूरी से नगर रूप में भूमि उपयोग उसी तरह प्रभावित होती है जैसे दो वस्तुओं के मध्य दूरी कम होने पर उनमें आकर्षण अधिक होता है तथा दूरी बढ़ने पर आकर्षण दूरी के वर्ग के अनुपात में कम होता जाता है।

शोध के सोपान

पीटर हंगेट के अनुसार ''मानव में निर्णय लेने की प्रक्रिया न तो पूर्णतः तर्क संगत है न ही पूर्णतः अव्यवस्थित है बल्कि यह अवसर रूचि और परिकलन की सम्भाव्यता से सम्बन्धित सम्मिश्रण है''

भारत में कृषि भूमि उपयोग में। भूमि उपयोग अध्ययन का इतिहास 1938 से प्रारम्भ होता है जब एल डी स्टाम्प महोदय कलकत्ता कत्ता में आयोजित भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 25 वें अधिवेशन में सम्मिलित हुए। पल एसी चटर्जी (1940) मे भारत में भूमि उपयोग सर्वेक्षण को संगठित करने का प्रयास किया करते थे। उन्होने 1940 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भूगोल व भूगर्भ विज्ञान खण्ड मे अध्यक्षीय सम्बोधन किया। उन्होंने पश्चिम बंगाल के

चौबीस परगनाव हावड़ा जिलों तथा मोहम्मद शफीने पूर्वी उत्तर प्रदेश का कृषि भूमि उपयोग सर्वेक्षण किया। विश्व के भूमि उपयोग सर्वेक्षण आयोग ने भारत में भूमि उपयोग सर्वेक्षण की आवश्यकता को भारत सरकार के समक्ष रखा इस उद्देश्य की पूर्ति के बाद सरकार ने एसपी चटर्जी के निर्देशन में एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया। इससे पूर्व भारतीय एटलस संगठन ने एक अंक के रूप में भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करने के लिए एक योजना बनाई। इसका मापक 1:1000000 एक तय किया गया था उस समय तक भारत में कोई व्यवस्थित भूमि उपयोग सर्वेक्षण नहीं किया गया था एसपी चटर्जी ने पश्चिम बंगाल के 800 गांव का सर्वेक्षण किया जिसे 4''=1 मील पर 11 भूमि उपयोग सीटों पर प्रदर्शित किया गया वास्तव में भूमि उपयोग नियोजन से कल्पनात्मक दृष्टि से कोई नई चीज नहीं है। लेकिन इसका व्यास निश्चित रूप से न्यूनतम है इस एक भूमि उपयोग नियोजन करता को भूमि के विषय में साफ तस्वीर देता है तो भूमि किस अमरता के रखरखाव हेतु भावी भू–उपयोग निश्चित करता है।

शोध का महत्व

ऐतिहासिक काल से मानव और पर्यावरण का निकट सम्बन्ध स्थापित हैं, लेकिन औद्योगिक क्रान्ति के साथ शहरीकरण और संचार के विकास से मनुष्य ने प्रकृति को जीतने की कोशिश कि हैं, जिससे और आगे विकास हो सके। इस प्रकार का दृष्टिकोण हमारे तंत्र की विकृति के लिए प्रमुख कारण रहा है। आर्थिक

विकास की दौड़ ने पर्यावरण को हर प्रकार से नुकसान पंहुचाया है। क्या यही तरीका है, प्रगति की भाग–दौड़ से आज मानवता खतरे में आ गयी है। वायु प्रदूषण तथा पर्यावरण प्रदूषण के अन्य हानिकारक दुष्प्रभाव के खतरों से हमें अनेक समस्याएँ पैदा हुई हैं। क्या हम वास्तव में विकास की ओर कदम बना रहे हैं या विनाश की ओर । यही समय है हमारे लिए विकसित राष्ट्रों से सबक लेने का, जो पहले ही इन अनेक समस्याओं के शिकार हो चुके हैं। Channellise के अनुसार हमारा विकास जो तार्किक तरीके से हो रहा है, जिसे हमें भविष्य के विकास की उपलब्धि के साथ, प्रकृति के साथ जोड़ते हैं, वह शहरी क्षेत्र द्वारा निर्मित है। जहां पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ मनुष्य द्वारा सामूहिक रूप से प्रयोग की जा रही हैं। यह बहुत दयनीय होगा, जब तक प्रकृति के ऊपर यह वर्चस्व स्थापित रहेगा। सीमित भूमि क्षेत्र में अधिक उत्पादन के लिए उत्तम स्तर के बीजों का प्रयोग अति आवश्यक है। दैनिक विज्ञान के माध्यम से बीजों की गुणवत्ता में विकास अब एक आम बात सी हो गई है। जैविक तकनीक के ज्ञान के उपयोग से अब बेहतर स्तर के बीजों

का उपयोग हो रहा है। बीजों के गुणवत्ता का विकास निम्नलिखित निर्माण के लिए हो रहा है। जिसके द्वारा उच्च उत्पादकता वाली किस्मों का निर्माण करना बेहतर स्तर के पोषक तत्वों से युक्त बीजों के निर्माण में जिन की दालों में प्रोटीन की गुणवत्ता गेहूं के 72 पक्ष की गुणवत्ता कुछ ऐसी किस्मों का निर्माण जो की बीमारियों व पीड़ितों दोनों का मुकाबला कर सके। रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले जीवो को अधिक कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती। इससे ना केवल पर्यावरण प्रदूषण से बचाव होता है बल्कि उत्पादन भी ज्यादा एवं शुद्ध होता है।

शोध का उद्देश्य

जे एच वान .थ्यूनेन (1826) ने ग्रामीण भूमि उपयोग तथा दूरी के मध्य पाये जाने वाले सम्बन्धों को सैद्धांतिक रूप दिया है। वे स्वीकार करते थे कि बाजार या उत्पादन केन्द्रों से दूरी बढ़ने के साथ–साथ भूमि उपयोग के स्वरूप में अंतर आता है। इससे कृषक का लाभ कम होता जाता है। जैसे–जैसे कृषक के घर या अधिवास से खेतों की दूरी बढ़ती जाती है, शष्य प्रतिरूप में परिवर्तन दिखाई देने लगता है। दूरी बढ़ने पर शुद्ध लाभ कर दर में कमी होती जाती है।. यह संकल्पना भूमि का प्रयोग करने वाले कृषक या उत्पादक के व्यवहार एवं परिस्थितियों से जुड़ी है। व्यवहार से आशय यह है कि कृषक भूमि से उत्पादन प्राप्त करने के सम्बन्ध में क्या निर्णय लेता है। निर्णय लेने की प्रक्रिया को अनेक सामाजिक व व्यक्तिगत परिस्थितियां भी प्रभावित करती हैं। कोई कृषक एक वर्ष में अपने खेत में एक फसल लेता है तो कोई दो या तीन फसलें उगाता है, कोई भैंस पालना पसंद करता है तो कोई भेड़, बकरी व गाय पालना आदि। भूमि उपयोग अध्ययन में प्रत्यक्ष बोध तथा प्रतिमूर्ति अत्यंत जटिल संकल्पना है निर्णय प्रक्रिया प्रत्यक्ष तथा प्रतिबिंब का ज्ञान से प्रभावित होती है। इसके आधार पर निर्णय वातावरण निर्धारित होता है। भूमि उपयोग संबंधी निर्णय में व्यक्ति स्वयं अपने अनुभव पर आधारित ज्ञान कथा साधनों द्वारा प्राप्त ज्ञान का प्रयोग करता है। कृषि का भूमि उपयोग संबंधी निर्णय प्रत्यक्ष ज्ञान से प्रभावित होता है खेत में फसल बोने से पूर्व फसल का निर्धारण संभावित मूल्यों के आधार पर तय कर लेता है कृषि भूमि उपयोग निर्णयन में भौतिक व मानवीय कारकों उच्चावच जलवायु, मिट्टी की उर्वरता, भू–स्वामित्व, खेत का आकार सरकारी नीति व कृषि कर, संस्कृति, प्राविधिकी, जीवन स्तर, विशेषीकरण, रीति–रिवाज, बाजार, दूरी, मांग, परिवहन, प्राप्यता, विश्वसनीयता, उत्पादन तकनीक, ज्ञान, विभिन्नता, कृषिगत इतिहास तथा उपभोक्ता व उसके स्तर आदि का प्रभाव पड़ता है। पीटर हंगेट के अनुसार ''मानव में निर्णय लेने की प्रक्रिया न तो पूर्णतः तर्क संगत है न ही पूर्णतः अव्यवस्थित है बल्कि यह अवसर रूचि और परिकलन की सम्भाव्यता से सम्बन्धित सम्मिश्रण है'' भारत में कृषि भूमि उपयोग में। भूमि उपयोग अध्ययन का इतिहास 1938 से प्रारम्भ होता है जब एल डी स्टाम्प महोदय कलकत्ता कत्ता में आयोजित भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 25 वें अधिवेशन में सम्मिलित हुए। पल एसी चटर्जी (1940) मे भारत में भूमि उपयोग सर्वेक्षण को संगठित करने का प्रयास किया करते थे। उन्होने 1940 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन

में भूगोल व भूगर्भ विज्ञान खण्ड मे अध्यक्षीय सम्बोधन किया। उन्होंने पश्चिम बंगाल के चौबीस परगनाव हावड़ा जिलों तथा मोहम्मद शफी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश का कृषि भूमि उपयोग सर्वेक्षण किया। विश्व के भूमि उपयोग सर्वेक्षण आयोग ने भारत में भूमि उपयोग सर्वेक्षण की आवश्यकता को भारत सरकार के समक्ष रखा इस उद्देश्य की पूर्ति के बाद सरकार ने एसपी चटर्जी के निर्देशन में एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया। इससे पूर्व भारतीय एटलस संगठन ने एक अंक के रूप में भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करने के लिए एक योजना बनाई। इसका मापक 1:1000000 एक तय किया गया था उस समय तक भारत में कोई व्यवस्थित भूमि उपयोग सर्वेक्षण नहीं किया गया था एसपी चटर्जी ने पश्चिम बंगाल के 800 गांव का सर्वेक्षण किया जिसे 4′′त्र1 मील पर 11 भूमि उपयोग सीटों पर प्रदर्शित किया गया वास्तव में भूमि उपयोग नियोजन से कल्पनात्मक दृष्टि से कोई नई चीज नहीं है। लेकिन इसका व्यास निश्चित रूप से न्यूनतम है इस एक भूमि उपयोग नियोजन करता को भूमि के विषय में साफ तस्वीर देता है तो भूमि किस अमरता के रखरखाव हेतु भावी भू–उपयोग निश्चित करता है।

निष्कर्ष

किसी भी भौगोलिक अध्ययन में क्षेत्र का चुनाव करना अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है क्योंकि क्षेत्र विशेष के चुनाव पर शोध की शुद्धता निर्भर करती है। इसी कारण क्षेत्र का चुनाव एक महत्वपूर्ण पहलू है। उसी के आधार पर ही शोध की सीमाओं और कार्यों का निधारण किया जाता है। प्रत्येक भौगोलिक अध्ययन एक निश्चित स्थान से सम्बंधित होता है। भूगोल के अध्ययन में किसी स्थान पर निवासियों और पर्यावरण के अन्तर्सम्बंधों के साथ–साथ वहां की प्राकृतिक एवं सभ्यता संस्कृति का वातावरण शामिल हो जाता है। वर्तमान सदी में तीव्र गति से बढते मानव के चमत्कारिक ढंग से परिवर्तन ने आज किसी क्षेत्र विशेष के संदर्भ में भूमि का सूक्ष्म अध्ययन करने पर विवश कर दिया है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Bhattacharya,P.T. (1976) : Population in India - A Study of InterstateVariations, New and Shastri, G.N. Delhi.
2. Bose, A. (1970) : Urbanization in India - An Inventory of Source Materials, Academic Books Ltd., New Delhi.
3. Davis, Kingsley (1951) : Population of India and Pakistan Princeton University, Princeton.
4. Desai, A.J. & Pillai, S.D.(1976) : Slums and Urbanization Popular Prakashan, Bombay.
5. Geddes Arthur (1941) : Half a Century of Population Trends in India -A Regional Study of Net Change and Variability, 1881-1931, The Geographical Journal Vol. 48.
6. Gist, N.P. & Halbert, L.A.(1965) : Urban Sociology Thomosy Growell Company, New York, 1965.
7. Hawley, A.H. .(1965) : World Urbanization - Trends and Prospects in R. Freedom : Population Vital Revolution, Chicago.
8. Kolb, A (1971) : East Asia, Methuen, London.
9. Madan, T.N. and Saran, G (1962 : Indian Antrhopology Asia Publishing House, Bombay.
10. Maury a, S.D. (1989) : Urbanization and Environmental Problems, Chugh Publications, Allahabad